भारतीय स्टेट बैंक

तुलन - पत्र, 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार

(000 को छोड़ दिया गया है)

	अनुसूची संख्या	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
पूंजी और देयताएँ			
पूंजी	1	892,45,88	797,35,04
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	2	218236,10,15	187488,71,22
जमाराशियाँ	3	2706343,28,50	2044751,39,47
उधार-राशियाँ	4	362142,07,45	317693,65,83
अन्य देयताएँ और प्रावधान	5	167138,07,68	155235,18,85
योग		**3454751,99,66**	**2705966,30,41**
आस्तियाँ			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ	6	150397,18,14	127997,61,77
बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	7	41501,46,05	43974,03,21
निवेश	8	1060986,71,50	765989,63,09
अग्रिम	9	1934880,18,91	1571078,38,11
अचल आस्तियाँ	10	39992,25,11	42918,91,79
अन्य आस्तियाँ	11	226994,19,95	154007,72,44
योग		**3454751,99,66**	**2705966,30,41**
आकस्मिक देयताएँ	12	1162020,69,30	1046440,93,19
उगाही के लिए बिल	-	74027,90,24	65640,42,04
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	17		
लेखा -टिप्पणियाँ	18		

उपरोक्त दर्शाई गई अनुसूचियाँ तुलन पत्र के अभिन्न अंग हैं ।

हस्ताक्षरकर्ता:

श्री दिनेश कुमार खारा
प्रबंध निदेशक
(जोखिम, आईटी एवं अनुषंगियां)

श्री पी. के. गुप्ता
प्रबंध निदेशक
(रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग)

श्री बी. श्रीराम
प्रबंध निदेशक
(कॉरपोरेट एवं ग्लोबल बैंकिंग)

निदेशक:
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता
श्री संजीव मल्होत्रा
श्री बसंत सेठ
डॉ. गिरीश के. अहूजा
श्री चंदन सिन्हा
डॉ. पुष्पेंद्र राय
श्री भास्कर प्रमाणिक

श्री रजनीश कुमार
अध्यक्ष

स्थान : मुंबई
दिनांक : 22 मई, 2018

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते वर्मा एंड वर्मा
सनदी लेखाकार

पी. आर. प्रसन्ना वर्मा
भागीदार: एम.नं.025854
फर्म पंजी. नं.004532 S

कृते जीएसए एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

सुनील अग्रवाल
भागीदार: एम. नं. 083899
फर्म पंजी. नं. 000257 N

कृते अमित रे एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

बासुदेव बनर्जी
भागीदार: एम. नं. 070468
फर्म पंजी. नं. 000483 C

कृते राव एण्ड कुमार
सनदी लेखाकार

के. च. एस. गुरु प्रसाद
भागीदार: एम. नं. 215652
फर्म पंजी. पंजी. नं. 003089 S

कृते चतुर्वेदी एण्ड शाह
सनदी लेखाकार

वितेश डी. गांधी
भागीदार: एम. नं. 110248
फर्म पंजी. नं. 101720 W

कृते मनुभाई एण्ड शाह, एलएलपी
सनदी लेखाकार

हितेश एम.पोमल
भागीदार: एम. नं.106137
फर्म पंजी. नं. 106041W/W100136

कृते चटर्जी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

आर. एन. बसु
भागीदार: एम. नं. 050430
फर्म पंजी. नं. 302114 E

कृते एस. एल. छाजेड़ एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

अभय छाजेड
भागीदार: एम. नं. 079662
फर्म पंजी. नं. 000709 C

कृते ब्रह्मय्या एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

के. जितेंद्र कुमार
भागीदार: एम. नं. 201825
फर्म पंजी. नं. 000511 S

कृते एस. के. मित्तल एंड कं.
सनदी लेखाकार

एस.के. मित्तल
भागीदार: एम. नं. 008506
फर्म पंजी. नं. 001135 N

कृते एम. भास्कर राव एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

एम. वी. रमण मूर्ति
भागीदार: स.सं.: M.No.206439
फर्म पंजी. सं.: 000459 S

कृते बंसल एण्ड कं.एलएलपी
सनदी लेखाकार

आर. सी. पाण्डेय
भागीदार: एम. नं. 070811
फर्म पंजी. नं. 001113N/N500079

कृते मित्तल गुप्ता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

अक्षय कुमार गुप्ता
भागीदार: एम. नं. 070744
फर्म पंजी. नं. 001874 C

कृते रे एण्ड रे
सनदी लेखाकार

अभिजीत नियोगी
भागीदार: एम. नं. 61380
फर्म पंजी. नं. 301072 E

स्थान : मुंबई
दिनांक : 22 मई, 2018

अनुसूची 1 - पूंजी

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
प्राधिकृत पूंजी : 5000,00,00,000 शेयर, ₹1 प्रति शेयर (पिछला वर्ष 5000,00,00,000 शेयर, ₹1 प्रति शेयर)	5000,00,00	5000,00,00
निर्गमित पूंजी : 892,54,05,164 इक्विटी शेयर, प्रति ₹1 (पिछला वर्ष ₹1 प्रति के 797,43,25,472 इक्विटी शेयर)	892,54,05	797,43,25
अभिदत्त और संदत्त पूंजी : 892,45,87,534 इक्विटी शेयर, प्रति ₹1 (पिछला वर्ष ₹1 प्रति के 797,35,04,442 इक्विटी शेयर)	892,45,88	797,35,04
उपर्युक्त में प्रति ₹ 1 के 12,62,48,980 इक्विटी शेयर (पिछला वर्ष प्रति ₹ 1 के 12,70,16,300 इक्विटी शेयर) सम्मिलित हैं जो 1,26,24,898 (पिछला वर्ष 1,27,01,630) ग्लोबल डिपोजिटरी रसीदों के रूप में हैं।		
योग	**892,45,88**	**797,35,04**

अनुसूची 2 - आरक्षित निधियाँ और अधिशेष

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)		31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I.	**सांविधिक आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	53969,83,67		50824,60,59	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	11367,14,70		3145,23,08	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
			65336,98,37		53969,83,67
II.	**पूंजी आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	3688,17,59		2194,78,95	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	5703,48,29		1493,38,64	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
			9391,65,88		3688,17,59
III.	**शेयर प्रीमियम**				
	अथशेष	55423,23,36		49769,47,71	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	23718,58,11		5659,92,72	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	17,59,96		6,17,07	
			79124,21,51		55423,23,36
IV.	**विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	4428,63,94		6056,24,72	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	1482,65,84		-	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	190,71,05		1627,60,78	
			5720,58,73		4428,63,94

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
V.	**राजस्व एवं अन्य आरक्षितियाँ ***				
	अथशेष	38392,85,99		34652,72,18	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	14888,94,48		3740,13,81	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	4388,56,60		-	
			48893,23,87		38392,85,99
VI.	**आरक्षित पुनर्मूल्यन**				
	अथशेष	31585,64,99		-	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	4670,63,97		31895,24,17	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	11408,30,31		309,59,18	
			24847,98,65		31585,64,99
VII.	**लाभ और हानि खाते की शेष राशि**		(15078,56,86)		31,68
	* टिप्पणी : राजस्व व अन्य आरक्षितियों में शामिल है (i) इसमें एकीकरण और विकास निधि (भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 36 के अंतर्गत रखी गई) के ₹5,00,00 हजार (पिछला वर्ष ₹5,00,00 हजार) (ii) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षिति ₹13421,76,76 हजार (पिछला वर्ष ₹10177,67,23 हजार)				
योग			**218236,10,15**		**187488,71,22**

वर्ष के दौरान परिवर्धन में पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक के अधिग्रहण पर प्राप्त हुई प्राप्तियां शामिल हैं।

अनूसूची - 3 जमाराशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क)	**I. माँग जमाराशियाँ**		
	(i) बैंकों से	5326,82,76	5507,43,88
	(ii) अन्य से	184847,05,92	146913,66,68
	II. बचत बैंक जमाराशियाँ	1013774,47,09	758961,38,54
	III. सावधि जमाराशियाँ		
	(i) बैंकों से	15218,78,64	19561,05,68
	(ii) अन्य से	1487176,14,09	1113807,84,69
योग		**2706343,28,50**	**2044751,39,47**
ख)	I. भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ	2599393,43,21	1953300,08,27
	II. भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ	106949,85,29	91451,31,20
योग		**2706343,28,50**	**2044751,39,47**

अनुसूची 4 - उधार-राशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
I. भारत में उधार-राशियाँ				
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक		94252,00,00		5000,00,00
(ii) अन्य बैंक		1603,85,43		1475,00,00
(iii) अन्य संस्थाएँ एवं अभिकरण		2411,83,26		69489,26,76
(iv) पूंजीगत लिखत :				
क) नवोन्मेषी सतत ऋण लिखत (आई पी डी आई)	11835,00,00		9265,00,00	
ख) गौण ऋण	32540,83,80		32406,33,80	
		44375,83,80		41671,33,80
योग		**142643,52,49**		**117635,60,56**
II. भारत के बाहर उधार-राशियाँ				
(i) भारत के बाहर उधार राशियाँ और पुनर्वित्त		217543,29,96		194059,42,77
(ii) पूंजीगत लिखत				
नवोन्मेषी सतत ऋण लिखत (आई पी डी आई)		1955,25,00		5998,62,50
योग		**219498,54,96**		**200058,05,27**
कुल योग		**362142,07,45**		**317693,65,83**
उपरोक्त I और II में प्रतिभूत उधार-राशियाँ सम्मिलित हैं		**106637,02,05**		**77576,26,94**

अनुसूची 5 - अन्य देयताएँ और प्रावधान

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	संदेय बिल	26617,74,90	26666,84,28
II.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	40734,57,50	35645,54,15
III.	उपचित ब्याज	16279,62,96	13080,91,99
IV.	आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	2,80,59	2989,77,14
V.	अन्य (प्रावधान सहित) *	83503,31,73	76852,11,29
	* मानक आस्तियों के लिए ₹12499,46,35 हजार का विवेकपूर्ण प्रावधान शामिल है (पिछला वर्ष ₹13678,23,56 हजार)		
योग		**167138,07,68**	**155235,18,85**

अनुसूची 6 - नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में जमा राशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट तथा स्वर्ण सम्मिलित हैं)	15472,42,20	12030,31,17
II.	भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियाँ		
	(i) चालू खाते में	134924,75,94	115967,30,60
	(ii) अन्य खातों में	-	-
योग		**150397,18,14**	**127997,61,77**

अनुसूची 7 - बैंकों में जमाराशियाँ और माँग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹
I.	**भारत में**		
	(i) बैंकों में जमाराशियाँ		
	(क) चालू खातों में	48,59,90	190,86,27
	(ख) अन्य जमा खातों में	-	-
	(ii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि		
	(क) बैंकों में	1614,44,26	6743,00,00
	(ख) अन्य संस्थाओं में	-	-
योग		**1663,04,16**	**6933,86,27**
II.	**भारत के बाहर**		
	(i) चालू खातों में	28528,09,13	22807,45,51
	(ii) अन्य जमा खातों में	1226,43,94	4454,77,98
	(iii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	10083,88,82	9777,93,45
योग		**39838,41,89**	**37040,16,94**
कुल योग (I एवं II)		**41501,46,05**	**43974,03,21**

अनुसूची 8 - निवेश

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹
I.	**भारत में निवेश :**			
	(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ		848395,84,44	575238,70,65
	(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		-	-
	(iii) शेयर		10516,69,01	5445,69,97
	(iv) डिबेंचर और बांड		77962,93,46	59847,40,25
	(v) अनुषंगियाँ और / अथवा संयुक्त उद्यम (इसमें सहयोगियाँ सम्मिलित)		5077,97,43	11363,45,35
	vi) अन्य (म्यूचुअल फंड के यूनिट , कमर्शियल पेपर इत्यादि)		72882,56,59	72363,63,94
योग			**1014836,00,93**	**724258,90,16**
II.	**भारत के बाहर निवेश**			
	(i) सरकारी प्रतिभूतियां (इसमें स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलित हैं)		10520,45,85	8821,01,82
	(ii) विदेशों में स्थापित समनुषंगियाँ और / अथवा संयुक्त उद्यम		2712,22,30	2643,75,00
	(iii) अन्य निवेश (शेयर, डिबेंचर इत्यादि)		32918,02,42	30265,96,11
योग			**46150,70,57**	**41730,72,93**
कुल योग (I एवं II)			**1060986,71,50**	**765989,63,09**
III.	**भारत में निवेश**			
	(i) निवेशों का सकल मूल्य		1026438,36,91	725421,41,68
	(ii) घटाएँ : कुल प्रावधान / मूल्यह्रास		11602,35,98	1162,51,52
	(iii) निवल निवेश (ऊपर I के अनुसार)	**योग**	**1014836,00,93**	**724258,90,16**
IV.	**भारत के बाहर निवेश**			
	(i) निवेशों का सकल मूल्य		46658,94,18	41815,76,58
	(ii) घटाएँ: कुल प्रावधान / मूल्यह्रास		508,23,61	85,03,65
	(iii) निवल निवेश (ऊपर II के अनुसार)	**योग**	**46150,70,57**	**41730,72,93**
कुल योग (III एवं IV)			**1060986,71,50**	**765989,63,09**

अनुसूची 9 - अग्रिम

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क)	I. क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	67613,55,55	73997,86,42
	II. कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और माँग पर प्रतिसंदेय ऋण	746252,38,11	605016,33,99
	III. सावधि ऋण	1121014,25,25	892064,17,70
योग		**1934880,18,91**	**1571078,38,11**
ख)	I. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों पर अग्रिम सम्मिलित हैं)	1505988,72,17	1206185,33,70
	II. बैंक / सरकारी गारंटी द्वारा संरक्षित	68651,16,60	82006,91,83
	III. अप्रतिभूत	360240,30,14	282886,12,58
योग		**1934880,18,91**	**1571078,38,11**
ग)	I. भारत में अग्रिम		
	(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	448358,95,60	341257,50,06
	(ii) सार्वजनिक क्षेत्र	161939,24,46	121630,62,69
	(iii) बैंक	2845,19,97	1404,44,69
	(iv) अन्य	1023464,39,00	823349,18,79
योग		**1636607,79,03**	**1287641,76,23**
	II. भारत के बाहर अग्रिम		
	(i) बैंकों से प्राप्य	77109,63,56	87802,75,38
	(ii) अन्यों से प्राप्य		
	(क) क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	14539,04,35	11672,61,58
	(ख) सिंडीकेट ऋण	120685,86,16	101077,74,18
	(ग) अन्य	85937,85,81	82883,50,74
योग		**298272,39,88**	**283436,61,88**
कुल योग (ग) I+(ग) II		**1934880,18,91**	**1571078,38,11**

अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	**परिसर (पुनर्मूल्यांकित परिसर सहित)**				
	पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	35961,29,86		3634,58,00	
	परिवर्धन :				
	वर्ष के दौरान	1056,24,24		435,79,61	
	पुनर्मूल्यांकन हेतु	4477,39,82		31895,24,17	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	11293,40,10		4,31,92	
	अद्यतन मूल्यह्रास				
	लागत पर	614,08,31		579,15,77	
	पुनर्मूल्यांकन पर	308,66,78		309,59,18	
			29278,78,73		35072,54,91
II.	**अन्य अचल आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित हैं)**				
	पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	21856,35,33		19551,20,04	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	9232,65,68		2708,13,72	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	974,10,05		402,98,43	
	अद्यतन मूल्यह्रास	20192,98,49		14583,91,16	
			9921,92,47		7272,44,17

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
III.	**पट्टाकृत आस्तियाँ**				
	पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	-		-	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
	अद्यतन मूल्यह्रास, प्रावधान सहित	-		-	
			-		-
IV.	**निर्माणाधीन आस्तियां (परिसर सहित)**		791,53,91		573,92,71
योग (I, II, III एवं IV)			**39992,25,11**		**42918,91,79**

वर्ष के दौरान परिवर्धन में पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक के अधिग्रहण पर प्राप्त हुई प्राप्तियां शामिल हैं।

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
(i)	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	-	-
(ii)	प्रोद्भूत ब्याज	25714,46,61	18658,87,85
(iii)	अग्रिम कर भुगतान/ स्रोत पर काटा गया कर	17546,11,08	8814,18,05
(iv)	आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल)	11368,79,19	427,90,49
(v)	लेखन सामग्री और स्टांप	107,05,92	90,80,91
(vi)	दावों के निपटान से प्राप्त की गई गैर-बैंकिंग आस्तियाँ	4,64,72	3,91,00
(vii)	अन्य *	172253,12,43	126012,04,14
	(* नाबार्ड / सिडबी / एनएचबी के पास रखे गए जमा ₹ 95643,16,91 हजार (पिछला वर्ष ₹ 59407,22,13 हजार)		
योग		**226994,19,95**	**154007,72,44**

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	35153,03,00	28971,02,14
II.	अंशतः प्रदत्त निवेशों/ जोखिम निधि के लिए देयता	619,44,30	599,95,40
III.	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत देयता	644102,45,28	572601,53,62
IV.	संघटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ		
	(क) भारत में	148866,54,48	131207,73,38
	(ख) भारत के बाहर	67469,26,89	71152,10,81
V.	प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व	121238,94,74	100059,57,31
VI.	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है*	144571,00,61	141849,00,53
	* ₹141154,40,39 हजार डेरिवेटिव शामिल (पिछला वर्ष ₹ 139669,75,58 हजार)		
योग		**1162020,69,30**	**1046440,93,19**

भारतीय स्टेट बैंक

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता

(000 को छोड़ दिया गया है)

		अनुसूची संख्या	31.03.2018 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	**आय**			
	अर्जित ब्याज	13	220499,31,56	175518,24,04
	अन्य आय	14	44600,68,71	35460,92,75
	योग		**265100,00,27**	**210979,16,79**
II.	**व्यय**			
	व्यय किया गया ब्याज	15	145645,60,00	113658,50,34
	परिचालन व्यय	16	59943,44,64	46472,76,94
	प्रावधान और आकस्मिक व्यय		66058,41,00	40363,79,25
	योग		**271647,45,64**	**200495,06,53**
III.	**लाभ**			
	निवल लाभ (वर्ष के लिए)		(6547,45,37)	10484,10,26
	आगे लाया गया लाभ		31,68	31,68
	योग		**(12954,82,66)**	**10484,41,94**
IV.	**विनियोजन**			
	सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरण		-	3145,23,08
	पूंजी आरक्षित निधियों में अंतरण		3288,87,88	1493,38,64
	राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण		(1165,13,68)	3430,54,64
	चालू वर्ष हेतु लाभांश		-	2108,56,29
	चालू वर्ष हेतु लाभांश पर कर		-	306,37,61
	तुलनपत्र में ले जाई गई शेषराशि		(15078,56,86)	31,68
	योग		**(12954,82,66)**	**10484,41,94**
	प्रति शेयर मूल आय			₹ 13.43
	प्रति शेयर कम की गई आय			₹ 13.43
	विशिष्ट लेखा नीतियां	17		
	लेखा - टिप्पणियाँ	18		

उपरोक्त दर्शाई गई अनुसूचियाँ लाभ और हानि खाते के अभिन्न अंग हैं ।

हस्ताक्षरकर्ता:

श्री दिनेश कुमार खारा
प्रबंध निदेशक
(जोखिम, आईटी एवं अनुषंगियां)

श्री पी. के. गुप्ता
प्रबंध निदेशक
(रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग)

श्री बी. श्रीराम
प्रबंध निदेशक
(कॉरपोरेट एवं ग्लोबल बैंकिंग)

निदेशक:
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता
श्री संजीव मल्होत्रा
श्री बसंत सेठ
डॉ. गिरीश के. अहूजा
श्री चंदन सिन्हा
डॉ. पुष्पेंद्र राय
श्री भास्कर प्रमाणिक

श्री रजनीश कुमार
अध्यक्ष

स्थान : मुंबई
दिनांक : 22 मई, 2018

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते वर्मा एंड वर्मा
सनदी लेखाकार

पी. आर. प्रसन्ना वर्मा
भागीदार: एम.नं.025854
फर्म पंजी. नं.004532 S

कृते जीएसए एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

सुनील अग्रवाल
भागीदार: एम. नं. 083899
फर्म पंजी. नं. 000257 N

कृते अमित रे एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

बासुदेव बनर्जी
भागीदार: एम. नं. 070468
फर्म पंजी. नं. 000483 C

कृते राव एण्ड कुमार
सनदी लेखाकार

के. च. एस. गुरु प्रसाद
भागीदार: एम. नं. 215652
फर्म पंजी. पंजी. नं. 003089 S

कृते चतुर्वेदी एण्ड शाह
सनदी लेखाकार

वितेश डी. गांधी
भागीदार: एम. नं. 110248
फर्म पंजी. नं. 101720 W

कृते मनुभाई एण्ड शाह, एलएलपी
सनदी लेखाकार

हितेश एम.पोमल
भागीदार: एम. नं.106137
फर्म पंजी. नं. 106041W/W100136

कृते चटर्जी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

आर. एन. बसु
भागीदार: एम. नं. 050430
फर्म पंजी. नं. 302114 E

कृते एस. एल. छाजेड़ एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

अभय छाजेड
भागीदार: एम. नं. 079662
फर्म पंजी. नं. 000709 C

कृते ब्रह्मय्या एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

के. जितेंद्र कुमार
भागीदार: एम. नं. 201825
फर्म पंजी. नं. 000511 S

कृते एस. के. मित्तल एंड कं.
सनदी लेखाकार

एस.के.मित्तल
भागीदार: एम. नं. 008506
फर्म पंजी. नं. 001135 N

कृते एम. भास्कर राव एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

एम. वी. रमण मूर्ति
भागीदार: स.सं.: M.No.206439
फर्म पंजी. सं.: 000459 S

कृते बंसल एण्ड कं.एलएलपी
सनदी लेखाकार

आर. सी. पाण्डेय
भागीदार: एम. नं. 070811
फर्म पंजी. नं. 001113N/N500079

कृते मित्तल गुप्ता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

अक्षय कुमार गुप्ता
भागीदार: एम. नं. 070744
फर्म पंजी. नं. 001874 C

कृते रे एण्ड रे
सनदी लेखाकार

अभिजीत नियोगी
भागीदार: एम. नं. 61380
फर्म पंजी. नं. 301072 E

स्थान : मुंबई
दिनांक : 22 मई, 2018

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज

(000 को छोड दिया गया है)

		31.03.2018 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा	141363,16,78	119510,00,30
II.	निवेशों पर आय	70337,61,67	48205,30,54
III.	भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	2249,99,69	1753,46,71
iv.	अन्य	6548,53,42	6049,46,49
योग		**220499,31,56**	**175518,24,04**

अनुसूची 14 - अन्य आय

(000 को छोड दिया गया है)

		31.03.2018 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली	22996,80,04	16276,57,34
II.	निवेशों के विक्रय पर लाभ/(हानि) (निवल)	13423,34,83	10749,61,95
III.	निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/(हानि) (निवल)	(1120,61,02)	-
IV.	भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ/(हानि) (निवल)	(30,03,00)	(37,05,48)
V.	विनिमय लेन-देन पर लाभ/(हानि)	2484,59,52	2388,44,90
VI.	विदेश / भारत में स्थित समनुषंगियों / कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांशों आदि के रूप में अर्जित आय	448,51,70	688,35,40
VII.	वित्तीय पट्टे से आय	-	-
VIII.	विविध आय #	6398,06,64	5394,98,64
योग		**44600,68,71**	**35460,92,75**

1 निवेशों के विक्रय पर लाभ/(हानि) (निवल) में ₹ 5436.17 करोड़ (पिछला वर्ष शून्य) की विशेष मदें शामिल हैं।

2 विविध आय में बट्टे खाते में ₹ 5333.20 करोड़ की वसूली शामिल है (पिछले वर्ष ₹ 3476.94 करोड़)

अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज

(000 को छोड दिया गया है)

		31.03.2018 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	जमाराशियों पर ब्याज	135725,70,41	105598,75,22
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर-बैंक उधार-राशियों पर ब्याज	5312,42,79	3837,46,97
III.	अन्य	4607,46,80	4222,28,15
योग		**145645,60,00**	**113658,50,34**

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय

(000 को छोड दिया गया है)

		31.03.2018 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	33178,67,95	26489,28,01
II.	भाड़ा, कर और बिजली खर्च	5140,43,15	3956,86,26
III.	मुद्रण और लेखन-सामग्री	518,13,63	411,17,79
IV.	विज्ञापन और प्रचार	358,32,54	281,13,58
V.	(क) बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास	2919,46,63	2293,30,95
VI.	निदेशकों के शुल्क, भत्ते और व्यय	61,93	86,12
VII.	लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित)	289,18,07	216,10,88
VIII.	विधि प्रभार	199,03,48	189,56,07
IX.	डाक व्यय, तार और टेलीफोन आदि	867,03,65	759,95,19
X.	मरम्मत और अनुरक्षण	826,93,29	639,75,29
XI.	बीमा	2759,88,05	1929,23,12
XII.	अन्य व्यय	12885,72,27	9305,53,68
योग		**59943,44,64**	**46472,76,94**

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

क. तैयार करने का आधार :

बैंक के वित्तीय विवरण, जहाँ अन्यथा न कहा गया हो, अवधिगत लागत परिपाटी के तहत लेखा की निरंतर प्रोद्भवन पद्धति के आधार पर तैयार किए गए हैं और वे भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा-सिद्धांतों (जीएएपी); जिनमें लागू सांविधिक प्रावधान, नियामक मानदंड/ भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देश, बैंककारी विनियमन अधिनियम-1949, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा-मानक और भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएँ शामिल होती हैं; के अनुरूप हैं।

ख. प्राक्कलनों का प्रयोग:

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को, वित्तीय विवरणों की तिथि को - आस्तियों और देयताओं, (इसमें आकस्मिक देयताएँ सम्मिलित हैं) की सूचित राशि तथा सूचना अवधि के दौरान सूचित आय एवं व्यय में प्रतिफलित प्राक्कलन और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन यथोचित एवं तर्कसंगत हैं। भावी परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं।

ग. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ:

1. आय निर्धारण:

1.1 जहाँ अन्यथा न कहा गया हो, आय और व्यय को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है। बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में आय एवं व्यय को उस देश के स्थानीय कानून के अनुसार शामिल किया गया है जिस देश में वह कार्यालय स्थित है।

1.2 ब्याज/ छूट आय का लाभ और हानि खाते में प्रोद्भूत आधार पर निर्धारण दिखाया गया निम्न के अतिरिक्तः (i) अग्रिमों, पट्टों और निवेशों से समाविष्ट अनर्जक आस्तियों से आय, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक/ विदेश स्थित कार्यालयों के मामलों में संबंधित देश के विनियामकों (इसके पश्चात् सामूहिक रूप से विनियामक प्राधिकारी के रूप में संदर्भित) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली आधार पर किया जाता है, (ii) निवेशों तथा बट्टाकृत बिलों पर अतिदेय ब्याज (iii) रुपया डेरिवेटिव्स पर आय जिसे वसूली के आधार पर लेखे में लिया गया है को "ट्रेडिंग" नाम दिया गया है।

1.3 निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ अथवा हानि को लाभ तथा हानि खाते में दिखाया जाता है। तथापि "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ को (प्रयोज्य करों और सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित की जाने वाली निवल राशि) "पूंजी आरक्षिती खाते" में विनियोजित किया जाता है।

1.4 वित्त पट्टों से हुई आय का परिकलन प्राथमिक पट्टा अवधि से अधिक अवधि के पट्टे में बकाया निवल निवेश पर पट्टे में अन्तर्निहित ब्याज दर लगाकर किया गया है। 01 अप्रैल, 2001 से प्रभावी पट्टों को पट्टे में निवल निवेश के समान राशि को आई सी ए आई द्वारा जारी लेखा मानक 19 - "पट्टा" के अनुसार अग्रिम के रूप में लेखे में लिया गया है। पट्टों का किराया मूल राशि और वित्त आय में संविभाजित किया है जो कि वित्त पट्टों के संबंध में बकाया निवल निवेशों के नियत आवधिक प्रतिफल के नमूने पर आधारित है। मूल राशि का उपयोग पट्टे में निवल निवेश की शेष राशि को घटाने के लिए किया गया है और वित्त आय को ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

1.5 "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी में निवेश पर आय (ब्याज को छोड़कर) को अंकित मूल्य की तुलना में बट्टाकृत मूल्य पर निम्नवत स्वीकृत किया गया है:

क) ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर इसे बिक्री/शोधन के समय मान्य किया गया है।

ख) शून्य-कूपन प्रतिभूतियों पर इसे प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए नियत आय आधार पर लेखे में लिया गया है।

1.6 लाभांश प्राप्त करने का अधिकार लागू होने पर, लाभांश आय को निर्धारित किया गया है।

1.7 इस अवधि में एलसी / बीजी, आस्थगित भुगतान गारंटियों, सरकारी व्यवसाय, एटीएम इंटरचेंज शुल्क और 'पुनर्संरचित खाते पर अग्रिम शुल्क' पर कमीशन को प्रोद्भूत आधार पर आनुपातिक रूप से निर्धारित किया गया है। अन्य सभी कमीशन और शुल्क आय उनकी प्राप्ति के आधार पर निर्धारित की गई है।

1.8 विशेष आवास ऋण योजना (दिसम्बर 2008 से जून 2009) के अंतर्गत प्रदत्त एकबारगी बीमा प्रीमियम को 15 वर्ष की अवधि के औसत ऋण पर परिशोधित किया गया है।

1.9 बॉन्ड/जमापत्र जारी करने के लिए किए गए भुगतान/खर्च को, दी गई दलाली, कमीशन व संबंधित बॉन्ड एवं जमापत्र की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है एवं इन्हें जारी करने पर हुए खर्च को अग्रिम रूप से प्रभारित किया गया है।

1.10 अनर्जक आस्तियों के विक्रय को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखे में लिया गया है,:-

i. जब बैंक अपनी वित्तीय आस्तियों का विक्रय प्रतिभूतिकरण कंपनी / पुनर्निर्माण कंपनी को करता है तो इसे अपने खातों से हटा देता है।

ii. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य (बही मूल्य से प्रावधानों को घटा कर) से कम है तो इस कमी को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते को नामे किया जाता है।

iii. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य से ज्यादा है तो आरबीआई की अनुमति के अनुसार अतिरिक्त प्रावधान की राशि को उसके प्राप्त होने वाले वर्ष में ही वापस कर लिया जाता है।

2. निवेश:

सभी प्रतिभूतियों में लेन-देन को "निपटान तिथि"(सेटलमेंट डेट) पर दर्ज किया गया है ।

2.1 वर्गीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार निवेशों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)", "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" और "व्यवसाय के लिए धारित" (एचएफटी)

2.2 वर्गीकरण का आधार:

i. जिन निवेशों को बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है, उन्हें "परिपक्वता तक धारित(एचटीएम)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ii. जिन निवेशों को सिद्धांततः क्रय तिथि से 90 दिनों के भीतर पुनर्विक्रय हेतु रखा गया है उन्हें "व्यवसाय के लिए रखे गए (एचएफटी)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iii. जिन निवेशों को उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है उन्हें "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iv. किसी निवेश को इसके क्रय के समय "परिपक्वता तक धारित", "विक्रय के लिए उपलब्ध" या "व्यवसाय के लिए रखे गए" के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उसके पश्चात श्रेणियों में परिवर्तन विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया गया है।

v. अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में किए गए निवेश को "परिपक्वता तक धारित" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2.3 मूल्यांकन:

i. किसी निवेश की अधिग्रहण-लागत का निर्धारण करने में:

(क) अभिदानों पर प्राप्त दलाली/कमीशन को लागत में से घटा दिया गया है।

(ख) निवेश के अधिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) आदि को उसी समय व्यय कर दिया गया है और इन्हें लागत में शामिल नहीं किया गया है।

(ग) ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/आय माना गया है और इन्हें लागत/विक्रय-प्रतिफल में शामिल नहीं किया गया है।

(घ) लागत का निर्धारण, "विक्रय के लिए उपलब्ध" एवं "व्यवसाय के लिए रखे गए" श्रेणी के तहत निवेश हेतु भारित औसत लागत प्रणाली के अनुसार एवं 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के लिए फीफो (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट) आधार पर किया गया है।

ii. एचएफटी/एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण, अंतरण की तिथि को अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य, इन तीनों में से न्यूनतम के आधार पर किया गया है। ऐसे अंतरण पर हुआ मूल्यहास, यदि कोई हो, तो उस हेतु पूर्णतः प्रावधान किया गया है। परंतु एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में अंतरण अधिग्रहण लागत/बही मूल्य पर किया गया है। अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया गया है एवं किसी भी प्रकार के मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया गया है ।

iii. ट्रेजरी बिलों और वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यांकन रखाव लागत आधार पर किया गया है।

iv. "परिपक्वता तक धारित" श्रेणीः क) "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के निवेशों को अधिग्रहण लागत पर लेखे में लिया गया है जब तक कि उसका मूल्य अंकित मूल्य से अधिक न हो, जिसमें प्रीमियम को बची हुई परिपक्वता अवधि के लिए नियत आय आधार पर परिशोधित किया गया है। ऐसे प्रीमियम के परिशोधन को "निवेश पर ब्याज" शीर्ष के अन्तर्गत आय के सापेक्ष समायोजित किया गया है। (ख) अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों (देश और विदेश दोनों) में निवेश को अवधिगत लागत आधार पर मूल्यांकित किया गया है। अस्थायी से इतर प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग, कमी की पूर्ति के लिए प्रावधान किया गया है। (ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश जिसे रखाव लागत (यानी बही मूल्य) आधार पर मूल्यांकित किया गया है।

v. विक्रय के लिए उपलब्ध तथा व्यवसाय के लिए धारित श्रेणियाँः एएफएस एवं एचएफटी श्रेणियों के तहत रखे गए निवेशों का पुनर्मूल्यन विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित बाजार मूल्य या उचित मूल्य के अनुसार किया गया है और प्रत्येक श्रेणी से सम्बद्ध प्रत्येक समूह जैसे (i) (सरकारी प्रतिभूतियाँ) (ii) (अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ) (iii) (शेयर) (iv) (बांड एवं ऋणपत्र) (v) (अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम) और (vi) अन्य के सिर्फ निवल मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि को लेखे में नहीं लिया गया है। मूल्यह्रास का प्रावधान होने पर प्रत्येक प्रतिभूति का बही मूल्य बाजार के बही - मूल्य के अनुसार अंकन के पश्चात अपरिवर्तित रहा है।

vi. प्रतिभूति रसीद जारी करने के बदले प्रतिभूतिकरण कंपनी/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी को अनर्जक आस्तियां (वित्तीय आस्तियां) बेचे जाने के मामले में प्रतिभूति रसीद में निवेश को i) वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य (बही मूल्य में से प्रावधान घटा कर) ii) प्रतिभूति के मोचन, दोनों में जो भी कम हो, मान्य किया जाता है। आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों के मूल्य का नॉन एसएलआर के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है। तदनुसार, जिन मामलों में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का परिशोधन तत्सम्बद्ध योजना के लिखतों के लिए आबंटित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली के अनुसार किया गया है, उन मामलों में निवल आस्ति मूल्य, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी से प्राप्त, की गणना ऐसे निवेश के मूल्यन के लिए की गई है।

vii. देशीय कार्यालयों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के तथा विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में उस देश के विनियामकों के दिशा-निर्देशों के आधार पर निवेश को अर्जक और अनर्जक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। देशीय कार्यालयों के निवेश निम्नलिखित स्थितियों में अनर्जक हो जाते हैं:

क) ब्याज/किस्त (परिपक्वता राशि सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया है।

ख) इक्विटी शेयरों के संबंध में, जहाँ अद्यतन तुलनपत्र की अनुपलब्धता के कारण शेयरों को ₹1/- प्रति कंपनी मूल्य प्रदान किया गया है - ऐसे इक्विटी शेयरों को अनर्जक निवेश माना जाएगा।

ग) यदि इकाई द्वारा ली गई कोई ऋण-सुविधा बैंक-बही में अनर्जक आस्ति हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में उसी इकाई द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में निवेश को और जारीकर्ता द्वारा निवेश को अनर्जक निवेश माना जाएगा।

घ) उपर्युक्त, आवश्यक परिवर्तनों के साथ उन अधिमानी शेयरों पर भी लागू होगा जहाँ नियत लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है।

ङ) ऐसे डिबेंचरों/बांडों में निवेश जो अग्रिम प्रकृति के माने गए हैं, उन पर भी अनर्जक निवेश के वही मानदंड लागू होंगे जो निवेश पर लागू होते हैं।

च) विदेश स्थित कार्यालयों के मामले में अनर्जक निवेश हेतु प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों, जो अधिक सख्त हों, के अनुसार किया गया है।

viii. रेपो/रिवर्स रिपो लेनदेन (भारतीय रिजर्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन लेनदेन के अलावा) का लेखाकरणः

क) रेपो/रिवर्स रेपो के अधीन विक्रय/क्रय की गई प्रतिभूतियों को संपार्श्विक ऋण लेन-देन के रूप में लेखांकित किया गया है। परंतु एकमुश्त विक्रय /क्रय लेनदेन मामलों की तरह प्रतिभूतियों को अंतरित किया गया है और इस तरह के अंतरणों को रिपो/ रिवर्स रिपो खातों एवं दुतरफा प्रविष्टियों का उपयोग करके दर्शाया गया है। इन प्रविष्टियों को परिपक्वता की तिथि

को प्रतिवर्तित किया गया है। लागत एवं आय को यथास्थिति ब्याज व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है। रेपो खाते की शेष राशि को अनुसूची - 4 (उधार-राशियाँ) एवं रिवर्स रिपो खाते की शेष राशि को अनुसूची - 7 (बैंकों में शेष तथा माँग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि) के तहत श्रेणीबद्ध किया गया है

ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन क्रय/ विक्रय की गई प्रतिभूतियों पर व्यय/अर्जित ब्याज को व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है।

ix. बाजार पुनर्खरीद और प्रतिवर्ती पुनर्खरीद लेनदेन के साथ-साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत आरबीआई के साथ लेनदेन को मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार उधार लेने और उधार देने के लेनदेन के रूप में माना गया है।

3. ऋण/अग्रिम और उन पर प्रावधान:

3.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक और अनर्जक ऋणों और अग्रिमों के रूप में किया गया है। ऋण आस्तियाँ उन मामला में अनर्जक बन जाती हैं, जहाँ:

i. सावधि ऋण के संबंध में, ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है;

ii. ओवरड्राफ्ट या नकद-ऋण अग्रिम के संबंध में खाता "असंगत" ("आउट ऑफ आर्डर)" रहता है, अर्थात् यदि बकाया शेष राशि निरन्तर 90 दिनों की अवधि के लिए संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से अधिक हो जाती है, या तुलनपत्र की तिथि को निरन्तर 90 दिनों तक कोई राशि जमा नहीं है अथवा ये जमाराशियाँ उसी अवधि के दौरान देय ब्याज का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त हैं;

iii. क्रय किए गए/बट्टाकृत बिलों के संबंध में, बिल 90 दिनों की अवधि से अधिक अतिदेय रहते हैं;

iv. कृषि अग्रिमों के संबंध में जब (अ) अल्पावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन की किस्त या ब्याज दो फसल- ऋतुओं के लिए अतिदेय रहते हैं एवं (ब) दीर्घावधि फसलों के लिए कृषि अग्रिमों के संबंध में, जहाँ मूलधन या ब्याज एक फसल-ऋतु के लिए अतिदेय रहते हैं।

3.2 अनर्जक अग्रिमों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अवमानक, संदिग्ध और हानिप्रद आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है:

i. अवमानक : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों या उससे कम अवधि के लिए अनर्जक रह गई है

ii. संदिग्ध : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों की अवधि के लिए अवमानक वर्ग में रही है।

iii. हानिप्रद : कोई ऋण आस्ति, जिसमें हानि की जानकारी हो गई है किन्तु उस राशि को पूर्णतया बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।

3.3 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशा - निर्देशों के अनुसार किए गए हैं और ये निम्नलिखित न्यूनतम प्रावधान मानदंड के अधीन किए गए हैं :

अवमानक आस्तियाँ : i. कुल बकाया पर 15% का सामान्य प्रावधान;

ii. ऋण जोखिमों, जो प्रारंभ से ही अप्रतिभूत हैं, के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहाँ प्रतिभूति का वसूली - मूल्य प्रारंभ से ही 10% से अधिक नहीं है);

iii. इन्फ्रास्ट्रक्चर अग्रिम खातों, जहाँ कुछ बचाव उपाय, जैसे एस्क्रो खाते आदि उपलब्ध हैं, से सम्बन्धित प्रतिभूति-रहित ऋण जोखिम - 20 %

संदिग्ध आस्तियाँ:

-प्रतिभूत भाग i. एक वर्ष तक - 25%

ii. एक से तीन वर्ष तक - 40%

iii. तीन वर्ष से अधिक - 100%

- अप्रतिभूत भाग 100%

हानिप्रद आस्तियाँ: 100%

3.4 विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में, ऋण एवं अग्रिमों का वर्गीकरण एवं अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों में जो अधिक सख्त हों, के अनुसार किया गया है।

3.5 अग्रिमों में से विशिष्ट ऋण पर किए गए हानिप्रद प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के प्राप्त दावों और बट्टाकृत बिलों को घटा दिया गया है।

3.6 पुनर्संरचनागत / पुनः निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसके अनुरूप पुनर्संरचना के पहले एवं बाद में हुए ऋण/अग्रिम के उचित मूल्य का अंतर प्रावधान के तौर पर संबंधित ऋण/अग्रिम के लिए व्यवस्था की जाती है। उपरोक्त मामलों में अंकित मूल्य में कमी में एवं त्याग किए गए ब्याज के लिए यदि कोई अतिरिक्त प्रावधान किया जाता है तो वह राशि अग्रिम से घटा दी जाती है ।

3.7 अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप होने पर ही किसी खाते को अर्जक खाते के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है।

3.8 पूर्ववर्ती वर्षो में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के सापेक्ष वसूली गई राशि का निर्धारण वसूल किए गए वर्ष में आय के रूप में किया गया है।

3.9 अनर्जक आस्तियों पर विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं। ये प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के "अन्य देयताएँ और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के अन्तर्गत प्रदर्शित हैं एवं निवल अनर्जक आस्तियों का निर्णय करने के लिए इनको संज्ञान में नहीं लिया जाता है।

3.10 बैंक के मौजूदा निर्देशों के अनुसार मूलधन या बकाया ब्याज की एनपीए में वसूली का समायोजन (संबंधित उधारकर्ता को स्वीकृत नवीन/अतिरिक्त क्रेडिट सुविधाओं से बाहर नहीं) निम्नलिखित प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है:

ए. प्रभार

बी. अप्राप्त ब्याज/ब्याज

सी. मूलधन

4. अस्थिर प्रावधान:

बैंक में अग्रिमों, निवेश तथा सामान्य प्रयोजनों हेतु पृथक रूप से अस्थायी प्रावधानों के सृजन एवं उपयोग हेतु एक नीति है। सृजन किए जाने वाले इन अस्थायी प्रावधानों की मात्रा का निर्धारण वित्त वर्ष के अंत में किया जाता है। इन अस्थायी प्रावधानों का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से नीति में निर्धारित असाधारण परिस्थितियों के अधीन सिर्फ आकस्मिकताओं के लिए ही किया जाएगा।

5. देशवार ऋण-जोखिम के लिए प्रावधान:

आस्ति वर्गीकरण की स्थिति के अनुरूप किए गए विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त पृथक् देशवार ऋण जोखिम (निजी देश के अलावा) के लिए प्रावधान किए गए हैं। इन देशों का वर्गीकरण सात जोखिम श्रेणियों यथा - नगण्य, कम, सामान्य, अधिक, अत्यधिक, प्रतिबंधित एवं ऋण में शामिल न होने वाले वर्गों में किया गया है तथा यह प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि प्रत्येक देश से संबंधित बैंक का देशवार ऋण जोखिम (निवल) कुल निधिक आस्तियों के 1% से अधिक नहीं होता है तो ऐसे देशवार ऋण जोखिम पर कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है। यह प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के "अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

6. डेरिवेटिव्स:

6.1 बैंक तुलनपत्र की/ तुलनपत्र इतर आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने या इनके क्रय-विक्रय के प्रयोजन से डेरिवेटिव्स संविदाएं जैसे विदेशी मुद्रा विकल्प, ब्याज दर अदला-बदली, मुद्रा अदला-बदली, परस्पर मुद्रा ब्याज दर अदला-बदली और वायदा दर करार निष्पादित करता है। तुलनपत्र की आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने के प्रयोजन से निष्पादित की जाने वाली विनिमय संविदाएं इस प्रकार तैयार की जाती हैं कि तुलनपत्र की अंतर्निहित मदों का प्रभाव प्रतिकूल और प्रति संतुलनकारी हो। इन डेरिवेटिव लिखतों का प्रभाव अंतर्निहित आस्तियों के क्रय-विक्रय पर निर्भर करता है और इसे बचाव-व्यवस्था लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार लेखे में लिया जाता है ।

6.2 बचाव संविदाओं के रूप में वर्गीकृत डेरिवेटिव संविदाओं को प्रोद्भवन आधार पर अंकित किया गया है। बचाव संविदाओं की गणना तब तक बाजार के बही मूल्य के अनुसार नहीं की जाती जब तक कि अंतर्निहित आस्तियाँ/देयताएं बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित न की गई हों।

6.3 उपर्युक्त के सिवाय, सभी अन्य डेरिवेटिव संविदाएं उद्योग में प्रचलित सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित की गई है। बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तन, परिवर्तन की अवधि में लाभ और हानि खाते में शामिल किए गए हैं। डेरिवेटिव संविदाओं के अंतर्गत प्राप्य राशि, जो 90 दिनों से अधिक अतिदेय है, को लाभ और हानि खाते से "उचंत खाता कुल प्राप्य" में प्रतिवर्तित किया गया है। ऐसे मामलों में जहां डेरिवेटिव संविदाएं भविष्य में और अधिक निपटान के अवसर प्रदान करती हैं और यदि ये डेरिवेटिव संविदा के अतिदेय प्राप्य 90 दिनों से अधिक समय तक अदत्त रहने के कारण समाप्त न हो गई हो तो भावी आगमों से संबंधित सकारात्मक एमटीएम को भी लाभ और हानि खाते से "उचंत खाता सकारात्मक एमटीएम " में प्रतिवर्तित किया जाता है .

6.4 संदत्त या प्राप्त ऑप्शन प्रीमियम को ऑप्शन अवधि की समाप्ति पर लाभ और हानि खाते में अंकित किया गया है। विक्रय किए गए ऑप्शनों पर प्राप्त प्रीमियम और क्रय किए गए ऑप्शनों पर संदत्त प्रीमियम की शेष राशि का फॉरेक्स ओवर द काउंटर ऑप्शनों के लिए बाजार मूल्य पर परिकलन करके बही में शामिल किया गया है।

6.5 सौदों के उद्देश्य से बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए जाने वाले डेरिवेटिवों में किए गए निवेश को बाजार द्वारा दिए गए प्रचलित बाजार दरों के अनुसार मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ तथा हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है।

7. अचल आस्तियाँ मूल्यह्रास और परिशोधन:

7.1 अचल आस्तियों का अंकन लागत में से संचित मूल्यह्रास / परिशोधन घटाकर किया गया है।

7.2 लागत में क्रय लागत तथा समस्त व्यय, जैसे कि स्थान की तैयारी, संस्थापन लागतें और आस्ति पर उसका उपयोग करने से पूर्व वहन की गई प्रोफेशनल फीस शामिल है। उपयोग की गई आस्तियों पर वहन किए गए अनुवर्ती व्यय / व्ययों को केवल तभी पूंजीकृत किया गया है, जब ये व्यय इन आस्तियों से होने वाले भावी लाभ को या इन आस्तियों की व्यावहारिक क्षमता को बढ़ाते हैं।

7.3 इन देशीय परिचालनों के संबंध में मूल्यह्रास की दरें और मूल्यह्रास प्रभारित करने की पद्धति का विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	अचल आस्तियों का विवरण	मूल्यह्रास प्रभारित करने की पद्धति	मूल्यह्रास/परिशोधन दर
1	कंप्यूटर	सीधी रेखा पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
2	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग है	सीधी रेखा पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
3	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है और सॉफ्टवेयर विकसित करने का खर्च	सीधी रेखा पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
4	ऑटोमेटेड टैलर मशीन/ कैश डिपॉजिट मशीन/ क्वाइन डिस्पेंसर/क्वाइन वेंडिंग मशीन	सीधी रेखा पद्धति	20.00% प्रति वर्ष
5	सर्वर	सीधी रेखा पद्धति	25.00% प्रति वर्ष
6	नेटवर्क उपकरण	सीधी रेखा पद्धति	20.00% प्रति वर्ष
7	अन्य अचल आस्तियां	सीधी रेखा पद्धति	आस्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर। प्रमुख अस्थायी आस्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन निम्नानुसार रहता है: परिसर - 60 वर्ष वाहन - 5 वर्ष जमा सुरक्षा लॉकर - 20 वर्ष फर्नीचर व फिक्सचर - 10 वर्ष

7.4 वर्ष के दौरान देशीय परिचालनों से प्राप्त आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास वर्ष में आस्ति का उपयोग करने के दिनों के अनुपात के आधार पर प्रभारित किया गया है।

7.5 आस्तियाँ जिनमें से प्रत्येक का मूल्य ₹1000/- से कम था उन्हें क्रय वर्ष में ही बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

7.6 पट्टाकृत परिसरों से सम्बद्ध पट्टा प्रीमियम, यदि कोई हो तो, को पट्टा अवधि पर परिशोधित किया गया है और पट्टा किराये को उसी वर्ष प्रभारित किया गया है।

7.7 बैंक द्वारा 31 मार्च 2001, को या उससे पूर्व पट्टे पर दी गई आस्तियों के संबंध में पट्टे पर दी गई आस्तियों के मूल्य को पट्टाकृत आस्तियों के रूप में अचल आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है और वार्षिक पट्टा शुल्क (पूंजी-वसूली) एवं मूल्यह्रास के अंतर को पट्टा समानीकरण लेखे में लिया गया है।

7.8 विदेश स्थित कार्यालयों की अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देशों के स्थानीय विनियमों/मानदंडों के अनुसार किया गया है।

7.9 बैंक पुनर्मूल्यांकन के लिए केवल अचल आस्तियों पर ही विचार करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अधिग्रहित आस्तियों का पुनर्मूल्यन नहीं किया गया है। इसके बाद हर तीन वर्षों में पुनर्मूल्यन की गई आस्ति का मूल्यांकन किया जाता है।

7.10 पुनर्मूल्यांकन के कारण निवल बही मूल्य में वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते में जमा किया जाता है। इन्हें लाभ और हानि खाते में नहीं दिखाया जाता है। निवल बही मूल्य में वृद्धि पर किए गए मूल्यह्रास की भरपाई पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते से की गई है।

7.11 पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर मूल्यह्रास पुनर्मूल्यांकन के समय यथामूल्यांकित आस्तियों की शेष उपयोगी अवधि पर काटा गया है।

8. पट्टे:

आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों के लिए लागू प्रावधानीकरण मानदंड, जैसाकि उपरोक्त पैरा 3 में दिया गया है, वित्तीय पट्टों पर भी लागू है।

9. आस्तियों की अपसामान्यता:

जब कभी घटनाएँ अथवा स्थितियों में परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव राशि की वसूली संदिग्ध है, तो ऐसी स्थिति में अचल आस्तियों की अपसामान्यता हेतु समीक्षा की जाती है। धारित और प्रयोग की जाने वाली आस्तियों की वसूली हो पाएगी या नहीं इसे मापने के लिए आस्ति की रखाव राशि की तुलना आस्ति द्वारा अपेक्षित भविष्यगत निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से तुलना करके ज्ञात की जाती है। यदि ऐसी आस्तियों को अपसामान्यता के योग्य पाया जाता है तो अपसामान्यता का माप-समावेश उस अधिक राशि के आधार पर किया जाता है, जो आस्ति की रखाव राशि और उसके उचित मूल्य के बीच का अंतर होता है।

10. विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का प्रभाव:

10.1 विदेशी मुद्रा लेन-देन

i. विदेशी मुद्रा लेन-देन को लेन-देन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर दर्ज किया गया है।

ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की सूचना भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) द्वारा अधिसूचित अंतिम (तत्काल/ वायदा) दरों का प्रयोग तुलन पत्र की तिथि को करके दी गई है।

iii. विदेशी मुद्रा गैर मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, की सूचना लेन-देन की तिथि को प्रचलित मुद्रा विनिमय दरों का प्रयोग करके दी गई है।

iv. विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की सूचना एफईडीएआई की अंतिम तत्काल दर का प्रयोग करके दी गई है।

v. व्यवसाय के लिए रखी गई बकाया तत्काल विदेशी मुद्रा विनिमय तथा वायदा संविदाओं को इनकी निर्धारित परिपक्वता के लिए एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

vi. विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, जो व्यवसाय के लिए अपेक्षित नहीं हैं और तुलनपत्र की तिथि को बकाया हैं, का अंतिम तत्काल दर पर पुनः मूल्यांकन किया गया है। ऐसी वायदा विनिमय संविदा के प्रारंभ से उद्भूत प्रीमियम या बट्टे को संविदा की परिपक्वता अवधि के व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया गया है।

vii. मौद्रिक मदों के निर्धारण से उद्भूत विनिमय अंतर राशियों को उन दरों, जो दरे आरंभ से दर्ज की गई थीं, से भिन्न दरों पर उस अवधि, जिसमें ये दरें उद्भूत हुई हैं, की आय या व्यय के रूप में निर्धारित किया गया है।

viii. मुद्रा वायदा व्यापार में विदेशी मुद्रा दरों की आरंभिक स्थिति में हुए परिवतनों के कारण हुए लाभ/हानि को विदेशी मुद्रा समाशोधन गृह से प्रतिदिन निर्धारित किया जाता है और इस लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

10.2 विदेशी परिचालन:

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयों (ओ बी यू) को असमाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिनिधि कार्यालयों को समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

क. असमाकलित परिचालन:

i. असमाकलित विदेशी परिचालनों की दोनों मौद्रिक और गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है।

ii असमाकलित विदेशी परिचालनों की आय एवं व्यय को तिमाही की औसत एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम दर पर परिवर्तित किया गया है।

iii. निवल निवेश का निपटान होने तक असमाकलित विदेशी परिचालनों से उद्भूत विनिमय अंतर-राशियों का संचयन विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति में किया गया है ।

iv. विदेशी कार्यालयों की आस्तियां और देयताएं (विदेश स्थित कार्यालयों की स्थानीय मुद्रा के अलावा) तुलनपत्र की तिथि लागू हाजिर दर का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित किया गया है।

ख. समाकलन परिचालन:

i. विदेशी मुद्रा लेन-देन को लेन-देन की तिथि की सूचित मुद्रा और विदेशी मुद्रा में विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में आरंभिक अभिज्ञान पर दर्ज किया गया है।

ii. समाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है। आकस्मिक देयताएं हाजिर दर पर रूपांतरित की गई हैं।

iii. अवधिगत लागत के अनुरूप अग्रनीत विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर का प्रयोग करके दी गई है।

11. कर्मचारी हितलाभ:

11.1 अल्पावधिक कर्मचारी हितलाभ:

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ यथा चिकित्सा हितलाभ, जिसको कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा के विनिमय में प्रदान किया जाना अपेक्षित है, कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा अवधि के दौरान शामिल किया गया है।

11.2 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ:

i. नियत हितलाभ योजना

क. बैंक एक भविष्य निधि योजना का परिचालन करता है, बैंक की भविष्य निधि योजना के अंतर्गत सभी पात्र कर्मचारी यह हितलाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। बैंक निर्धारित दर पर (वर्तमान समय में कर्मचारियों के मूल वेतन एवं पात्र-भत्ते का 10%) मासिक अंशदान करता है। इन अंशदान को, इस उद्देश्य के लिए स्थापित न्यास को प्रेषित कर दिया जाता है तथा इसे लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। बैंक इस प्रकार के वार्षिक अंशदानों और उस पर ब्याज को संबंधित वर्ष के संदर्भ में व्यय मानता है। यदि कोई कमी हो तो बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उसका प्रावधान किया जाता है।

ख. बैंक, ग्रेच्युटी और पेंशन जैसी नियत हितलाभ योजनाएँ परिचालित करता है।

(i) बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है। यह हितलाभ कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति या नौकरी के दौरान या मृत्यु हो जाने या नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि के भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है। यह राशि बैंक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूलवेतन के समतुल्य राशि होती है, जो सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा के अध्यधीन रहती है। यह हितलाभ सेवा के पांच वर्ष पूरे होने पर ही प्राप्त होता है। बैंक इस राशि का आवधिक अंशदान, वार्षिक स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करता है।

(ii) बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करता है। यह हितलाभ नियमानुसार मासिक भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है और यह भुगतान कर्मचारियों को नियमानुसार उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु होने या नौकरी की समाप्ति पर किया जाता है। निहितीकरण नियमों के अनुसार विभिन्न चरणों में सम्पन्न होता है। बैंक एसबीआई पेंशन फंड नियमों के अनुसार पेंशन निधि में वेतन के 10% का मासिक अंशदान करता है। पेंशन-देयता की गणना वार्षिक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यन के आधार पर की जाती है और बैंक आवश्यक होने पर पेंशन विनियम के अंतर्गत हितलाभों के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए इस निधि में अतिरिक्त अंशदान आवधिक आधार पर करता है।

ग. नियत हितलाभ-प्रावधान-लागत को प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर अग्रनीत बीमांकिक मूल्यन के आधार पर अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से निर्धारित किया जाता है। बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ और हानि में तुरन्त शामिल कर दिया जाता है और उन्हें स्थगित नहीं किया जाता है।

ii. नियत अंशदान योजना:

बैंक ने 01 अगस्त 2010 को या उसके बाद बैंक में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लागू की है, जो एक नियत अंशदान योजना है और नए कर्मचारी बैंक की वर्तमान पेंशन योजना के सदस्य बनने के पात्र नहीं हैं। इस योजना के तहत आने वाले कर्मचारी, अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते की 10% राशि को अंशदान के रूप में जमा करेंगे और इतनी ही राशि बैंक अपनी ओर से देगा। संबंधित कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक इन अंशदानों को बैंक में जमा रखा जाएगा एवं इस जमा पर किसी चालू भविष्य निधि खाते के समकक्ष ब्याज दिया जाएगा। बैंक इन अंशदानों एवं इन पर दिए जाने वाले ब्याज को सम्बन्धित वर्ष के खर्च के रूप में परिगणित करता है। स्थायी सेवानिवृति खाता संख्या की प्राप्ति पर समेकित अंशदान राशि को एनपीएस न्यास में अंतरित कर दिया जाता है।

iii. कर्मचारियों के अन्य दीर्घावधि हितलाभ:

क) बैंक का प्रत्येक कर्मचारी प्रतिपूरित अनुपस्थिति, रजत जयंती सम्मान और अवकाश यात्रा - रियायत, सेवानिवृत्ति लाभ और पुनर्वासन भत्ते का पात्र होता है। इस प्रकार के दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ की लागत के लिए निधि बैंक द्वारा आंतरिक स्रोत से उपलब्ध कराई जाती है।

ख) अन्य दीर्घावधि हितलाभ के प्रावधान की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को बीमांकिक मूल्यन की अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया जाता है। पूर्ववर्ती सेवा लागत को लाभ और हानि में तुरन्त शामिल कर दिया जात है और उन्हें स्थगित नहीं किया जाता है।

11.3 विदेश स्थित कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के कर्मचारी हितों को सम्बन्धित देशों को स्थानीय कानूनों / विनियमों के अनुसार मूल्यांकित एवं लेखांकित किया जाता है।

12. आय पर कर:

बैंक द्वारा भुगतान की गई वर्तमान कर तथा आस्थगित कर प्रभार की कुल राशि आय कर व्यय होता है। चालू वर्ष के कर तथा आस्थगित कर का निर्धारण आयकर अधिनियम 1961 तथा लेखा मानक 22, जो आय पर कर के लेखा से संबंधित है, ऐसा करते समय विदेश स्थित कार्यालयों द्वारा संबंधित देशों के कर नियमों के अनुसार भुगतान किए गए कर को भी शामिल किया जाता है। आस्थगित कर समायोजनों में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं में हुए परिवर्तन भी समाविष्ट हैं। आस्थगित कर - आस्तियों और देयताओं का आकलन वर्तमान वर्ष की कर योग्य आय और लेखा आय तथा अग्रनीत हानि के बीच के अवधिगत अंतर के प्रभाव पर विचार करते हुए किया गया है। आस्थगित कर आस्तियां और देयताओं को कर दर और कर नियमों द्वारा आंका जाता है जिसे तुलन-पत्र के दिन या उसके बाद अधिनियमित किया गया हो। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में हुए परिवर्तन का प्रभाव लाभ और हानि खाते में प्रकट किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों का अभिज्ञान प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर प्रबंधन के विवेक के आधार पर किया जाता है कि क्या उनकी वसूली होने की संभावना है/ होना निश्चित है।आस्थगित कर आस्तियों का आत्मसात नहीं हुई मूल्यह्रास और कर हानियों को आगे ले जाकर तभी निर्धारण किया जाता है जब इस बात का पक्का प्रमाण हो कि ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की वसूली भावी लाभ से की जा सकती है।

समेकित वित्तीय विवरण में दर्शाए गए आयकर व्यय में, प्रचलित कानून के अनुसार, मूल बैंक और इसकी अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों के पृथक वित्तीय विवरणों की राशि के समग्र रूप से जोड़ा गया है।

13. प्रति शेयर आय:

13.1 बैंक आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक - 20 "प्रति शेयर आय" के अनुसार प्रति शेयर 'मूल और कम हुई आय रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों को प्राप्य उस वर्ष के करोपरांत निवल लाभ को उस वर्ष के लिए शेष इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

13.2 कम की हुई प्रति शेयर आय यह प्रदर्शित करती है कि यदि प्रतिभूतियों अथवा अन्य संविदाओं को वर्ष के दौरान जारी करने या संपरिवर्तित करने का विकल्प लिया गया तो शेयर मूल्यों में कितनी कमी आएगी, कम की हुई प्रति शेयर आय की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और कम संभावना इक्विटी शेयरों के बीच तुलना करके की जाती है।

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां:

14.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 29 के अनुसार जारी " प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ" में बैंक पिछले परिणाम से उद्भूत वर्तमान दायित्व होने पर ही प्रावधान शामिल करता है, संसाधनों के संभावित बहिर्गमन के परिणामस्वरूप दायित्व के निपटान आर्थिक लाभ को समाविष्ट कर, इस दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन कर किया जा सकता है।

14.2 निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधान का समावेश नहीं किया गया है:

i. पिछले परिणाम से उद्भूत किसी सम्भावित दायित्व के लिए और बैंक के नियंत्रण से बाहर होने वाले एक या अधिक अनिश्चित भावी परिणामों की प्राप्ति या अप्राप्ति से जिसकी पुष्टि की जा सकेगी, अथवा

ii. किसी वर्तमान दायित्व के लिए, जो पिछले परिणामों से उद्भूत है, किन्तु उसे अभिज्ञान में नहीं लिया गया है, क्योंकि :-

क) यह संभव नहीं है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा, अथवा

ख) दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता. ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है। इन दायित्वों का नियमित अंतरालों पर मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे दायित्व के केवल उस अंश का, जिसके आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना है, नितान्त दुर्लभ परिस्थितियों, जिनमें कोई विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता, के अलावा प्रावधान किया गया है।

14.3 बैंक के डेबिट कार्डधारकों को दिए जाने वाले रिवार्ड प्वाइंट्स के लिए प्रावधान बीमांकिक के आकलन के अनुसार किया जा रहा है।

14.4 आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है।

15. सर्राफा लेनदेन:

बैंक अपने ग्राहकों को बेचने के लिए परेषण आधार पर बहुमूल्य धातु बारों समेत सर्राफा का आयात करता है। ये आयात सामान्यतः दुतरफा आधार पर होते है और ग्राहकों के लिए इनकी कीमत आपूर्तिकर्ता के द्वारा मांगी गई कीमत के आधार पर तय होती है। बैंक इस तरह के सर्राफा लेनदेन पर कुछ फीस के रूप में आय प्राप्त करता है। इस फीस की गणना कमीशन आय के अंतर्गत होती है। बैंक खुदरा ग्राहकों को भी सर्राफा मदें बेचता है। बैंक सोना जमा करने के लिए लेता है और इस पर उधार भी देता है, जिसे जमा / अग्रिम (जो भी हो) माना जाता है। इसमें भुगतान किए गए / प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय / आय के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है।

16. विशेष आरक्षित निधि:

राजस्व एवं अन्य निधियों में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि भी शामिल है। बैंक के निदेशक बोर्ड ने एक संकल्प पारित कर इस आरक्षित निधि के सृजन के लिए अनुमोदन किया है और यह भी पुष्टि की है कि उसका इस विशेष आरक्षित निधि से आहरण करने की कोई मंशा नहीं है।

17. शेयर जारी करने पर व्यय:

शेयर जारी करने के व्यय शेयर प्रीमियम खाते में खर्च के रूप में दिखाए गए हैं।

अनुसूची- 18

लेखा-टिप्पणियां

18.1 पूंजी:

1. पूंजी अनुपात:

बेसल - II के अनुसार

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मदें	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
(i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	अप्रयोज्य	
(ii)	टियर 1 पूंजी-अनुपात (%)	10.02%	10.27%
(iii)	टियर 2 पूंजी-अनुपात (%)	2.72%	3.29%
(iv)	कुल पूंजी-अनुपात- (%)	12.74%	13.56%

बेसल - III के अनुसार

क्र. सं.	मदें	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
(i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	9.68%	9.82%
(ii)	टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	10.36%	10.35%
(iii)	टियर 2 पूंजी अनुपात (%)	2.24%	2.76%
(iv)	कुल पूंजी अनुपात (%)	12.60%	13.11%
(v)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	58.03	61.23%
(vi)	भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों की संख्या*	517,89,88,645	488,23,62,052
(vii)	बाजार से प्राप्त इक्विटी पूंजी	23,813.69	5,681.00
(viii)	अतिरिक्त टियर -1 (एटी 1 पूंजी द्वारा उगाही गई राशि में सम्मिलित है		
	क) पीएनसीपीएस:	निरंक	निरंक
	ख) पीडीआई:	2,000.00	9,045.50
(ix)	उगाही गई टियर-2 पूंजी में सम्मिलित है:		
	क) ऋण पूंजी लिखत		
	ख) अधिमान शेयर पूंजी लिखत:	निरंक	निरंक
	ज्बेमियादी संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस)/	निरंक	निरंक
	मोचनीय असंचयी अधिमान शेयर		
	(आरएनसीपीएस)/मोचनीय संचयी		
	अधिमान शेयर (आरसीपीएस)		

क) भारतीय रिज़र्व बैंक ने परिपत्र सं. डीबीआर. न. बीपी. बीसी. 83/21.06.201 /2015-16 दिनांक 1 मार्च, 2016 के अनुसार बैंकों को पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती, विदेशी मुद्रा विनिमय आरक्षिती और आस्थगित कर आस्तियों को सीईटी-I पूंजी अनुपात के रूप में पूंजी पर्याप्तता की गणना करने हेतु विवेकाधिकार दिया है। बैंक ने उपरोक्त गणना में इस विकल्प का उपयोग किया है।

ख) इसके अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुपालन में बैंक ने अपनी पट्टाकृत संपत्तियों की पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती राशियों के प्रभाव को रिवर्स कर दिया है, जो पिछले वर्ष ₹ 11,210.94 करोड़ रखा गया था। .

2. शेयर पूंजी

क) वर्ष के दौरान, सहयोगी बैंकों (पूर्ववर्ती सहयोगी बैंक) और भारतीय महिला बैंक लि. के अधिग्रहण पर, बैंक ने पूर्ववर्ती स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (एसबीबीजे), स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (एसबीएम), स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (एसबीटी) और भारतीय महिला बैंक लि. के पात्र शेयरधारकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्वैप अनुपात के अनुसार इक्विटी शेयर जारी किए हैं। तदनुसार, बैंक ने दिनांक 01.04.2017 को प्रतिफल के रूप में प्रति शेयर ₹ 1/- अंकित मूल्य के 13,63,52,740 इक्विटी शेयर जारी किए हैं (एसबीबीजे के शेयरधारकों को 4,88,54,308 शेयर, एसबीएम के शेयरधारकों को 1,05,58,379 शेयर, एसबीटी के शेयरधारकों को 3,27,08,543 शेयर और बीएमबीएल के शेयरधारक के रूप में भारत सरकार को 4,42,31,510 शेयर)।

ख) बैंक को प्रति शेयर ₹ 1/- के 52,21,93,211 इक्विटी शेयर जारी करने के बदले ₹ 14,947.78 करोड़ की प्रीमियम राशि सहित ₹ 15,000.00 करोड़ की आवेदन राशि प्राप्त हुई है। इक्विटी शेयरों का आवंटन दिनांक 12.06.2017 को किया गया।

ग) बैंक को रोककर रखे गए प्रति शेयर ₹ 1/- के 3,400 इक्विटी शेयर जारी करने के रूप में ₹ 0.05 करोड़ की प्रीमियम राशि सहित ₹ 0.05 करोड़ की आवेदन राशि प्राप्त हुई है। रोककर रखे गए इक्विटी शेयरों का आवंटन दिनांक 01.11.2017 को किया गया।

घ) बैंक को भारत सरकार को जारी प्रति शेयर ₹ 1/- के 29,25,33,741 इक्विटी शेयर के अधिमानी निर्गम के बदले भारत सरकार से ₹ 8,770.75 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5,659.93 करोड़) की शेयर प्रीमियम राशि सहित ₹ 8,800.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5,681.00 करोड़) की आवेदन राशि प्राप्त हुई है। इक्विटी शेयरों का आवंटन दिनांक 27.03.2018 को किया गया। ये शेयर भारत सरकार के डिमैट खाते (सीडीएसएल) में दिनांक 03.04.2018 को जमा किए गए और दिनांक 02.04.2018 को एनएसई और दिनांक 03.04.2018 को बीएसई में सूचीबद्ध किए गए।

ङ) शेयर जारी करने से संबंधित व्यय ₹ 17.60 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 6.17 करोड़) शेयर प्रीमियम खाते को नामे किया गया।

3. नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखतें (आईपीडीआई)

जारी आईपीडीआई जो संमिश्र टियर-I पूंजी के लिए पात्र है और बकाया आईपीडीआई का ब्योरा निम्नानुसार है:

क) विदेशी

(₹ करोड़ में)

विवरण	निर्गम तिथि	अवधि	राशि	31.03.18 को रुपए के समतुल्य	31.03.2017 को रुपए के समतुल्य
एमटीएन कार्यक्रम - 12वीं श्रृंखला के तहत जारी बॉण्ड -	15.02.2007	बेमियादी अनाहूत (नॉन-काल) 10.25 वर्ष	400 मिलियन अमेरिकी डॉलर	-	2,594.00
एमटीएन कार्यक्रम - 14वीं श्रृंखला के तहत जारी बॉण्ड -	26.06.2007	बेमियादी अनाहूत (नॉन-काल) 10 वर्ष और एक दिन	225 मिलियन अमेरिकी डॉलर	-	1,459.13
एमटीएन कार्यक्रम - 29वीं श्रृंखला के तहत जारी अतिरिक्त टीयर-1 (एटी1) बॉण्ड -	22.09.2016	बेमियादी अनाहूत (नॉन-काल) 5 वर्ष	300 मिलियन अमेरिकी डॉलर	1,955.25	1,945.50
योग			**925 मिलियन अमरीकी डॉलर**	**1,955.25**	**5,998.63**

* बैंक ने दिनांक 15.05.2017 को कॉल ऑप्शन का उपयोग किया है।
# बैंक ने दिनांक 27.06.2017 को कॉल ऑप्शन का उपयोग किया है।
ये बॉण्ड सिंगापुर शेयर बाजार (एसजीएक्स-बॉण्ड्स बोर्ड) में सूचीबद्ध किए गए हैं।

ख) देशीय:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	बॉण्ड का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम तिथि	वार्षिक ब्याज की दर %
1.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड 2009-10 (टियर-1) श्रृंखला I	1,000.00	14.08.2009	9.10
2.	पूर्ववर्ती एसबीएम टियर-I	100.00	25.11.2009	9.10
3.	पूर्ववर्ती एसबीपी टियर-1 श्रृंखला I	300.00	18.01.2010	9.15
4.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड 2009-10 (टियर-1) श्रृंखला II	1,000.00	27.01.2010	9.05
5.	पूर्ववर्ती एसबीएच टियर-I श्रृंखला XII	135.00	24.02.2010	9.20
6.	पूर्ववर्ती एसबीएच टियर-1 श्रृंखला XIII	200.00	20.09.2010	9.05
7.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड 2016 अप्रतिभूत बेसल III 1 AT 1	2,100	06.09.2016	9.00
8.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड 2016 अप्रतिभूत बेसल III 1 AT 1 श्रृंखला II	2,500	27.09.2016	8.75
9.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड 2016 अप्रतिभूत बेसल III AT 1 श्रृंखला III	2,500	25.10.2016	8.39
10.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड 2016 अप्रतिभूत बेसल III AT 1 श्रृंखला IV	2,000.00	02.08.2017	8.15
कुल		**11,835.00***		

* इसमें वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान बाजार से जुटाए गए ₹ 2,000 करोड़ शामिल हैं जिसमें से एसबीआई कर्मचारी पेंशन निधि द्वारा किए गए ₹ 550 करोड़ के निवेश को आरबीआई अनुदेशों के अनुसार टियर-1 पूंजी के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

4. गौण ऋण

बॉण्ड पर अप्रतिभूत, दीर्घावधि, अपरिवर्तनीय एवं अमोचनीय पर प्रतिदेय होते हैं। बकाया गौण ?णों का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	बॉण्ड का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम तिथि / मोचन की तिथि	वार्षिक ब्याज दर %	परिपक्वता अवधि (माह में)
1	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2008-09 (IV) (निम्न टियर II)	1,000.00	06.03.2009 06.06.2018	8.95	111
2	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2008-09 (II) (निम्न टियर II)	1,500.00	29.12.2008 29.06.2018	8.40	114
3	पूर्ववर्ती एसबबीबीजे निम्न टियर II, श्रृंखला VI	500.00	20.03.2012 20.03.2022	9.02	120
4	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2008-09 (I) (उच्च टियर II)	2,500.00	19.12.2008 19.12.2023	8.90	180
5	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2013-14 (टियर II)	2000.00	02.01.2014 02.01.2024	9.69	120
6	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2008-09(III) (उच्च टियर II)	2,000.00	02.03.2009 02.03.2024	9.15	180
7	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2008-09(V) (उच्च टियर II)	1,000.00	06.03.2009 06.03.2024	9.15	180
8	पूर्ववर्ती एसबीपी टियर-II (श्रृंखला VI)	150.00	13.03.2009 13.03.2024	9.15	180
9	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2004-05 एसबीआईएन (श्रृंखला VII) (उच्च टियर II)	250.00	24.03.2009 24.03.2024	9.17	180
10	पूर्ववर्ती एसबीएच उच्च टियर II (श्रृंखला IX)	325.00	05.06.2009 05.06.2024	8.39	180
11	पूर्ववर्ती एसबीएच उच्च टियर II (श्रृंखला X)	450.00	21.08.2009 21.08.2024	8.50	180
12	पूर्ववर्ती एसबीएच उच्च टियर II (श्रृंखला XI)	475.00	08.09.2009 08.09.2024	8.60	180
13	पूर्ववर्ती एसबीएम टियर II बेसल-III - अनुपालक	500.00	17.12.2014 17.12.2024	8.55	120
14	पूर्ववर्ती एसबीपी टियर II बेसल-III - अनुपालक (श्रृंखला I)	950.00	22.01.2015 22.01.2025	8.29	120
15	पूर्ववर्ती एसबीबीजे टियर II बेसल-III - अनुपालक	200.00	20.03.2015 20.03.2025	8.30	120

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	बॉण्ड का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम तिथि / मोचन की तिथि	वार्षिक ब्याज दर %	परिपक्वता अवधि (माह में)
16	पूर्ववर्ती एसबीएच टियर II बेसल-III - अनुपालक (श्रृंखला XIV)	393.00	31.03.2015 31.03.2025	8.32	120
17	एसबीआई अपरिवर्तनीय (पब्लिक इश्यू) बॉण्ड 2010 (श्रृंखला - II), (निम्न टियर II)	866.92	04.11.2010 04.11.2025	9.50	180
18	एसबीआई अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत (निजी प्लेसमेंट) बेसल - III अनुपालक टियर- 2 बॉण्ड्स 2015-16 (श्रृंखला I)	4,000.00	23.12.2015 23.12.2025	8.33	120
19	पूर्ववर्ती एसबीएच टियर II बेसल-III - अनुपालक (श्रृंखला XV)	500.00	30.12.2015 30.12.2025	8.40	120
20	पूर्ववर्ती एसबीएम टियर II बेसल-III - अनुपालक	300.00	31.12.2015 31.12.2025	8.40	120
21	पूर्ववर्ती एसबीएम टियर II बेसल-III - अनुपालक	200.00	18.01.2016 18.01.2026	8.45	120
22	पूर्ववर्ती एसबीएच टियर II बेसल-III - अनुपालक (श्रृंखला XVI)	200.00	08.02.2016 08.02.2026	8.45	120
23	एसबीआई अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत (निजी प्लेसमेंट) बेसल III अनुपालक टियर II बॉण्ड्स 2015-16, (श्रृंखला II)	3,000.00	18.02.2016 18.02.2026	8.45	120
24	एसबीआई अपरिवर्तनीय (पब्लिक इश्यू) बॉण्ड - 2011 - रिटेल (श्रृंखला IV) (निम्न टियर II)	3937.60	16.03.2011 16.03.2026	9.95	180
25	एसबीआई अपरिवर्तनीय (पब्लिक इश्यू) बॉण्ड - 2011 - नॉन रिटेल (श्रृंखला IV) (निम्न टियर II)	828.32	16.03.2011 16.03.2026	9.45	180
26	एसबीआई अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत (निजी प्लेसमेंट) बेसल - III अनुपालक, टियर- 2 बॉण्ड्स 2015-16 (श्रृंखला III)	3000.00	18.03.2016 18.03.2026	8.45	120
27	एसबीआई अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत (निजी प्लेसमेंट) बेसल - III अनुपालक, टियर- 2 बॉण्ड्स 2015-16 (श्रृंखला IV)	500.00	21.03.2016 21.03.2026	8.45	120
28	पूर्ववर्ती एसबीटी टियर II बेसल-III - अनुपालक (श्रृंखला I)	515.00	30.03.2016 30.03.2026	8.45	120
29	पूर्ववर्ती एसबीटी टियर II बेसल-III - उपर टियर II (श्रृंखला III)	500.00	26.03.2012 26.03.2027	9.25	180
	योग	32,540.84			

18.2 निवेश

1. बैंक के निवेशों तथा निवेशों पर हुए मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधानों के उतार-चढ़ाव का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
1.	निवेशों का मूल्य		
	i) निवेशों का सकल मूल्य		
	(क) भारत में	10,26,438.37	7,25,421.42
	(ख) भारत से बाहर	46,658.94	41,815.77
	ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
	(क) भारत में	9,698.21	557.72
	(ख) भारत से बाहर	508.24	85.04
	iii) पुनर्संरचित खातों के पूंजीकृत ब्याज पर देयता(एलआईसीआरए)	1,904.15	604.80
	iv) निवेशों का निवल मूल्य		
	(क) भारत में	10,14,836.01	7,24,258.90
	(ख) भारत से बाहर	46,150.70	41,730.73
2.	निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव		
	i) वर्ष के प्रारंभ में अधिशेष	642.76	354.10
	ii) जोड़ें: पूर्ववर्ती सहयोगी बैंक एवं बीएमबी के विलय पर किए गए प्रावधान	9,959.55	552.48
	iii) घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग किए गए प्रावधान	16.51	-
	iv) घटाएं/जोड़ें: विदेशी मुद्रा पुनर्मूल्यांकन समायोजन	(5.65)	9.73
	v) घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन	385.00	254.09
	vi) वर्ष की समाप्ति पर अधिशेष	10,206.45	642.76

टिप्पणियां :

क) ₹ 40,992.04 करोड़ की प्रतिभूतियों (पिछले वर्ष ₹ 18,676.03 करोड़) को मार्जिन के रूप में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) / एनएससीसीएल / एमसीएक्स / एनएसईआईएल / बीएसई के पास प्रतिभूति निपटान के लिए रखा गया।

ख) वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी अनुषंगियों एवं सहयोगियों में अतिरिक्त पूंजी लगाई अर्थात i) एसबीआई फाउंडेशन में ₹ 3.00 करोड़ ii) नेपाल बैंक एसबीआई लि. में ₹ 68.47 करोड़ तथा पूंजी लगाने के बावजूद बैंक की हिस्सेदारी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। साथ ही बैंक ने एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लि. में अपनी हिस्सेदारी 60% से बढ़ाकर 74% की (₹ 10 प्रति शेयर की दर से 109,899,999 शेयर खरीद कर ₹ 887.26 करोड़ का निवेश किया) तथा जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट लि. में अपनी हिस्सेदारी 40% से बढ़ाकर 74% की (₹ 10 प्रति शेयर की दर से 8,024,342 शेयर खरीद कर ₹ 264.07 करोड़ का निवेश किया)

ग) वर्ष के दौरान निम्नलिखित अनुषंगियों तथा सहयोगियों से अपनी हिस्सेदारी बेची

- ₹ 5,436.17 करोड़ के लाभ पर एसबीआई लाईफ इंश्योरेंस कंपनी के 8,00,00,000 इक्विटी शेयर। अतः बैंक के हिस्सेदारी 70.10%से घटकर 62.10% रह गई।
- ₹ 140.80 करोड़ के लाभ पर द क्लीयरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. के 22,00,000 इक्विटी शेयर। अतः बैंक के हिस्सेदारी 21.20% से घटकर 16.80% रह गई।
- पुनर्खरीद प्रस्ताव के अंतर्गत ₹ 62.93 करोड़ के लाभ पर एसबीआई डीएफएचआई लि. के 19,11,974 शेयर तथा पुनर्खरीद प्रस्ताव के बाद हिस्सेदारी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

घ) पूर्ववर्ती बैंकिंग अनुषंगियों (डीबीएस) के अधिग्रहण के बाद, पूर्ववर्ती डीबीएस के आरआरबी बैंक से आरआरबी बन गया।

- कावेरी ग्रामीण बैंक
- मालवा ग्रामीण बैंक
- राजस्थान मरुधर ग्रामीण बैंक
- तेलांगना ग्रामीण बैंक

2. भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या DBR.No.BP.BC. 102/21.04.048 /2017-18 दिनांक 2 अप्रैल, 2018 तथा 31 दिसंबर, 2017 और 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाहियों के लिए ए एफ एस तथा एच एफ टी में रखे गए निवेशों पर मार्क टू मार्केट हानियों पर प्रावधानों को फैलाने का विकल्प देता है। परिपत्र कहता है कि इन तिमाहियों के लिए प्रावधानीकरण को उस तिमाही से शुरू करते हुए जिस तिमाही में हानि हुई है, को चार तिमाहियों तक फैलाया जा सकता है। बैंक ने संबंधित तिमाहियों में निवेश पर पूरी मार्क टू मार्केट हानि का निर्धारण किया तथा इस विकल्प का उपयोग नहीं किया।

3. रेपो लेनदेन (तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) सहित (अंकित मूल्य की शर्तो पर) :

वर्ष के दौरान एलएएफ सहित रेपो और रिवर्स रेपो के अधीन विक्रय एवं क्रय की गई प्रतिभूतियों का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण		वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया राशि	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया राशि	31 मार्च, 2018 को शेष राशि
रेपो के अधीन बिक्री की गई प्रति भूतियाँ					
i)	सरकारी प्रतिभूतियाँ				
		-	94,252.00	11,859.64	94,252.00
		(-)	(99,581.36)	(6,673.82)	(74,235.72)
ii)	कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	-	7,614.78	1,849.22	7,613.71
		(2,106.15)	(7,251.52)	(3,779.10)	(2,786.85)
रिवर्स रेपो के अधीन क्रय की गई प्रतिभूतियाँ					
i)	सरकारी प्रतिभूतियाँ				
		-	83,636.62	26,858.19	138.94
		(55.40)	(1,02,342.25)	(21,178.52)	(6,055.45)
ii)	कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ				
		-	581.22	573.73	574.07
		(571.45)	(590.18)	(581.28)	(573.39)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

4. गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉन -एसएलआर) निवेश पोर्टफोलियो

क. गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉनएसएलआर) निवेशों की निर्गमकर्ता-संरचना:

बैंक के गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉन -एसएलआर) निवेशों की निर्गमकर्ता-संरचना निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	निर्गमकर्ता	राशि	निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) की सीमा (राशि)	"निवेश ग्रेड से नीचे" वाली प्रतिभूतियों की सीमा (राशि)*	"रेटिंग रहित" प्रतिभूतियों की सीमा (राशि)*	"गैर सूचीबद्ध" प्रतिभूतियों की सीमा (राशि)*
(i)	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	49,524.49	25,424.36	414.14	-	-
		(47,224.95)	(34,926.02)	(836.32)	(462.77)	(762.76)
(ii)	वित्तीय संस्थाएं	72,183.66	66,780.93	-	-	250.00
		(58,179.05)	(49,893.49)	(-)	(-)	(200.00)
(iii)	बैंक	16,540.91	1,927.73	1,988.79	23.62	23.62
		(21,201.42)	(8,494.71)	(1,331.60)	(23.62)	(2,373.63)
(iv)	निजी कारपोरेट	48,275.25	36,182.49	528.49	481.94	24.70
		(35,054.91)	(23,111.85)	(1,156.49)	(658.82)	(164.21)
(v)	अनुषंगियाँ/ संयुक्त उद्यम**	7,793.06	-	-	-	-
		(14,010.07)	(-)	(-)	(-)	(-)
(vi)	अन्य	24,304.13	-	991.02	60.07	-
		(16,328.08)	(-)	(974.89)	(848.03)	(-)
vii)	मूल्यह्रास के लिए रखा गया प्रावधान, एलआईसीआरए सहित	6,030.63	-	-	-	-
		(1,247.56)	(-)	(-0.92)	(-)	(-)
	योग	**2,12,590.87**	**1,30,315.51**	**3,922.44**	**565.63**	**298.32**
		(1,90,750.92)	**(1,16,426.07)**	**(4,300.22)**	**(1,993.24)**	**(3,500.60)**

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

*इक्विटी, इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों, वेंचर कैपिटल, नियत आस्ति समर्थित प्रतिभूतियाँ, केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों और एआरसीआईएल में किए गए निवेशों को इन श्रेणियों के अंतर्गत अलग-अलग विभक्त नहीं किया गया है क्योंकि इन्हें रेटिंग/सूची दिशा-निर्देशों से छूट मिली हुई है।

** अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों में निवेशों को विभिन्न वर्गों में इसलिए अलग-अलग विभक्त नहीं किया गया है क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के अंतर्गत उक्त मदें नहीं आती हैं।

ख. अनर्जक गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉन-एसएलआर) निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अथशेष	447.54	146.24
पूर्ववर्ती सहयोगी और बीएमबी के विलय से वृद्धि	4,250.77	348.37
वर्ष के दौरान कमी	103.06	47.07
इतिशेष	4,595.25	447.54
रखे गए कुल प्रावधान	**2,452.30**	**227.85**

5. एचटीएम श्रेणी से/को प्रतिभूतियों की बिक्री एवं अंतरण

एचटीएम श्रेणी से/को प्रतिभूतियों की बिक्री एवं अंतरण का मूल्य वर्ष के प्रारम्भ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेश के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं है।

6. प्रतिभूत रसीदों में निवेश का प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	पिछले 5 वर्षों में जारी एसआर	5 वर्षों से अधिक पहले और 8 वर्षों के भीतर जारी एसआर	8 वर्ष से पहले जारी एसआर	कुल
i.	आधार के रूप में बैंक द्वारा विक्रय की गई अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य	10,447.81	-	41.72	10,489.53
	(i) के लिए रखा गया प्रावधान	125.30	-	41.72	167.02
ii.	आधार के रूप में अन्य बैंक/ वित्तीय संस्थान/ गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विक्रय की गई अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य	12.15	4.26	-	16.41
	(ii) के लिए रखा गया प्रावधान	-	-	-	-
कुल (i) + (ii)		**10,459.96**	**4.26**	**41.72**	**10,505.94**

7. प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) /पुनर्संरचना कंपनी (आरसी) को बेचे गए एनपीए के लिए प्रतिभूत रसीदों में निवेश का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	आधार के रूप में बैंक द्वारा विक्रय की गई अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित बही मूल्य		आधार के रूप में अन्य बैंक/ वित्तीय संस्थानों/गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विक्रय की गई अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित बही मूल्य		कुल	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
31 मार्च, 2018 को प्रतिभूति रसीदों में निवेश का बही मूल्य	10,489.53	5,544.08	16.41	22.65	10,505.94	5,566.73
वर्ष के दौरान प्रतिभूति रसीदों में किए गए निवेश का बही मूल्य	5,214.56	281.89	-	-	5,214.56	281.89

18.3 डेरिवेटिव्स:

क. वायदा दर करार/ ब्याज दर स्वैप (विनिमय)

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
i)	विनिमय करारों की आनुमानिक मूल राशि#	3,60,705.72	1,42,250.44
ii)	करार के अधीन प्रतिपक्षों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर होने वाली हानियां	904.42	835.56
iii)	विनिमय में शामिल होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक	निरंक	निरंक
iv)	विनिमय से उद्भूत ऋण-जोखिम का संकेन्द्रण	कोई महत्वपूर्ण नहीं	कोई महत्वपूर्ण नहीं
v)	विनिमय-बही का उचित मूल्य	(-) 555.68	51.70

बैंक के अपने विदेशी कार्यालयों तथा अन्य बैंकों के साथ किए गए आईआरएस/एफआरए की ₹ 2998.82 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 9,299.54 करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया क्योंकि यह राशि एफसीएनबी निधि के हेजिंग के लिए रखी गई है और बाजार मूल्य को बही में अंकित नहीं किया गया है।

31 मार्च, 2018 को वायदा दर करार तथा ब्याज दर स्वैप की प्रकृति और शर्तें नीचे दी गई हैंः

(₹ करोड़ में)

लिखत	प्रकृति	सं.	आनुमानिक मूलधन	आधार (बेचमार्क)	शर्तें
आईआरएस	हेजिंग	261	10,714.00	लिबोर	स्थिर प्राप्य/अस्थिर भुगतान योग्य
आईआरएस	हेजिंग	113	1,534.88	अन्य	स्थिर प्राप्य/अस्थिर भुगतान योग्य
आईआरएस	हेजिंग	65	34,194.87	लिबोर	स्थिर प्राप्य/अस्थिर भुगतान योग्य
आईआरएस	हेजिंग	30	2,688.53	लिबोर	अस्थिर प्राप्य/स्थिर भुगतान योग्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	143	26,403.00	लिबोर	स्थिर भुगतान योग्य/ अस्थिर प्राप्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	151	27,320.00	लिबोर	अस्थिर भुगतान योग्य/स्थिर प्राप्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	1789	1,20,068.00	MIBOR	स्थिर भुगतान योग्य/ अस्थिर प्राप्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	1900	1,22,473.92	MIBOR	अस्थिर भुगतान योग्य/स्थिर प्राप्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	41	1,525.00	MIFOR	स्थिर भुगतान योग्य/ अस्थिर प्राप्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	40	1,475.00	MIFOR	अस्थिर भुगतान योग्य/स्थिर प्राप्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	38	7,823.41	लिबोर	स्थिर प्राप्य / अस्थिर भुगतान योग्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	35	4,485.11	लिबोर	अस्थिर प्राप्य / स्थिर भुगतान योग्य
	कुल		**3,60,705.72**		

ख) बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरिवेटिव्स

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	वर्ष के दौरान बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरिवेटिव्स की आनुमानिक मूलराशि		
क	ब्याज दर वायदे	निरंक	निरंक
ख	भारत सरकार की 10 वर्षीय प्रतिभूति	54,611.66	7,819.64
2	31 मार्च, 2018 को बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरिवेटिव्स की बकाया आनुमानिक मूलराशि		
क	ब्याज दर वायदे	निरंक	निरंक
ख	भारत सरकार की 10 वर्षीय प्रतिभूति	निरंक	538.76
3	बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए स्व्रट्ठु-्र डेरिवेटिव्स की आनुमानिक मूलराशि जो बकाया है और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है।	लागू नहीं	लागू नहीं
4	बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरिवेटिव्स का अंकित बाजार मूल्य जो बकाया है और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है।	लागू नहीं	लागू नहीं

ग) डेरिवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर

(क) गुणात्मक जोखिम एक्सपोज़र

i बैंक वर्तमान में ओवर द काउंटर (ओटीसी) ब्याज दर और मुद्रा डेरिवेटिव्स तथा ब्याज दर फ्यूचर्स तथा एक्सचेंज में ट्रेड किए जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स का लेनदेन करता है। बैंक द्वारा लेनदेन किए जाने वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्स में रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप और वायदा दर करार, कैप, फ्लोर व कॉलर शामिल हैं। बैंक द्वारा लेनदेन किए जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स, मुद्रा मुद्रा स्वैप, रुपया डॉलर ऑप्शन्स और क्रास मुद्रा ऑप्शन्स शामिल हैं। बैंक के ग्राहकों को इन उत्पादों का स्वैप प्रस्ताव, उनके निवेशों को हेज करने के लिए किया जाता है और बैंक ऐसे जोखिमों से सुरक्षा के लिए डेरिवेटिव्स संविदाएं निष्पादित करता है। बैंक द्वारा डेरिवेटिव्स का प्रयोग क्रय-विक्रय के साथ-साथ तुलन-पत्र की मदों की हेजिंग हेतु भी किया जाता है। बैंक यूएसडी/ भारतीय रुपए में भी ऑप्शन्स की स्थिति रखता है जिसका प्रबंधन विविध प्रकार की हानि सीमा और ग्रीक सीमाओं के माध्यम से किया जाता है।

ii. डेरिवेटिव्स लेनदेन में बाजार जोखिम शामिल होता है, अर्थात ब्याज दरों/विनिमय दरों/इक्विटी का मूल्य में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण बैंक को होने वाली संभावित हानि उठानी पड़ सकती है, साथ ही डेरिवेटिव्स लेनदेन में ऋण जोखिम भी शामिल है, अर्थात यदि प्रतिपक्ष द्वारा अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया जाता, तो बैंक को ऋण जोखिम के रूप में संभावित हानि उठानी पड़ सकती है। बैंकों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैंक की "डेरिवेटिव्स नीति" में बाजार जोखिम मानदंड (ग्रीक सीमा, हानि सीमा, कट-लोस ट्रिगर, अवधि, संशोधित अवधि, पीवी01, आदि) निर्धारित किए गए हैं। इस नीति के अंतर्गत ग्राहक पात्रता मानदंड (ऋण पात्रता निर्धारण, बैंकिंग संबंध अवधि, सीमाएं ग्राहक उपयुक्तता तथा नीति की उपयुक्तता (सीएएस) आदि) भी निर्धारित किए गए हैं। इस नीति में निर्धारित मानदंडों पर खरे उतरने वाले प्रतिपक्षों से ही डेरिवेटिव लेनदेन करके ऋण जोखिम पर नियंत्रण किया जाता है। देयताओं को पूरा करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए प्रतिपक्ष के लिए समुचित सीमा निर्धारित की जाती है और बैंक प्रत्येक प्रतिपक्ष के साथ आईएसडीए करार करता है।

iii. इन जोखिमों के कुशल प्रबंधन की निगरानी बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) करती है। बैंक का ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी) डेरीवेटिव लेनदेन से सम्बद्ध बाजार जोखिम की पहचान, मापन, निगरानी करता है तथा इन जोखिमों को नियंत्रित एवं प्रबंधित करने में आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) की सहायता करता है और

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को नियमित अंतराल पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

iv. डेरिवेटिव्स के लिए लेखांकन-नीति भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार की गई है, जिसका ब्योरा वित्त वर्ष 2017-18 की महत्वपूर्ण लेखा नीति (एसएपी): अनुसूची-17 में दिया गया है।

v. ब्याज दर स्वैप का उपयोग मुख्यतः विदेश स्थित कार्यालयों में आस्ति और देयताओं की हेजिंग के लिए किया जाता है।

vi. हेजिंग स्वैप के अतिरिक्त, विदेशी कार्यालयों में किए जाने वाले स्वैप में हमारे विदेश स्थित कार्यालयों में किए गए बैक टू बैक (दुतरफा) स्वैप किए जाते हैं। इन्हें मुख्यतः ग्लोबल मार्केट्स, कोलकाता में विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (एफसीएनआर) जमा राशियों की हेजिंग हेतु किया जाता है।

vii. अधिकांश स्वैप प्रथम श्रेणी के प्रतिपक्षी बैंकों के साथ किए गए हैं।

viii. डेरिवेटिव्स लेनदेन में स्वैप शामिल हैं जिन्हें आकस्मिक देनदारियों के रूप में प्रकट किया गया है। स्वैप को ट्रेडिंग या हेजिंग के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है।

ix. डेरिवेटिव्स सौदे केवल उन्हीं अंतर बैंक प्रतिभागियों के साथ किए गए जिनके लिए प्रतिपक्षी एक्सपोजर सीमाएं स्वीकृत है। इसी प्रकार, डेरिवेटिव सौदे केवल उन कॉरपोरेट के साथ किए गए जिनके लिए क्रेडिट एक्सपोजर सीमा स्वीकृत की गई है। डेरिवेटिव लेनदेन के लिए संपार्श्विक आवश्यकताओं को, मामले दर मामले आधार पर क्रेडिट स्वीकृति शर्तों के हिस्से के रूप में रखा जाता है। बैंक कुछ मामलों में जोखिम शमन उपाय के रूप में लेनदेन को समाप्त करने का अधिकार रखता है।

ख. मात्रात्मक जोखिम एक्सपोज़र:

(₹ करोड़ में)

मद		मुद्रा डेरिवेटिव्स		ब्याज दर डेरिवेटिव्स	
		चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(I)	डेरिवेटिव्स				
	(आनुमानिक मूल राशि)				
	(क) हेजिंग के लिए	20,605.24 @	6,968.86 @	49,193.30#	53,721.17 #
	(ख) क्रय-विक्रय के लिए*	6,16,447.95	2,02,472.85	3,11,512.42	88,529.27
(II)	बाजार के बही-मूल्य के अनुसार स्थिति				
	(क) आस्ति	5,716.35	4,675.49	592.99	574.79
	(ख) देयता	5,218.09	1,285.33	1,152.54	565.10
(III)	ऋण जोखिम	21,749.61	7,428.09	4,160.44	2,286.34
(IV)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन (100*पीवी01) का संभाव्य प्रभाव				
	(क) हेजिंग डेरिवेटिव्स पर	-0.14	-0.25	-3.14	-7.60
	(ख) क्रय-विक्रय डेरिवेटिव्स पर	0.98	0.97	-11.62	46.52
(V)	वर्ष के दौरान 100*पीवी01 का अधिकतम एवं न्यूनतम				
	क) हेजिंग पर - अधिकतम- न्यूनतम	-	-	2.81	2.87
		-0.04	-0.04	-	-0.64
	ख) क्रय-विक्रय पर - अधिकतम - न्यूनतम	1.18	1.03	0.76	0.77
		-	0.04	-	-0.11

@ बैंक के अपने विदेश स्थित कार्यालयों और अन्य बैंकों के साथ किए गए स्वैप की ₹ 2870.26 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4,988.14 करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया क्योंकि यह राशि एफसीएनबी निधि के हेजिंग के लिए रखी गई है और बाजार के लिए चिन्हित नहीं की गई है।

#बैंक के अपने कार्यालयों के साथ प्रविष्ट आइआरएस/एफआरए की ₹ 2,988.82 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 9,299.54 करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया क्योंकि यह राशि एफसीएनबी निधि के हेजिंग के लिए रखी गई है और इसलिए बाजार के लिए चिन्हित नहीं की गई है।

* बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों से किए गए वायदा लेनदेन इसमें शामिल नहीं है। मुद्रा डेरिवेटिव्स ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य) और ब्याज दर डेरिवेटिव्स शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

1. मार्च 31, 2018 तक ग्लोबल मार्केट्स यूनिट और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग ग्रुप के बीच डेरिवेटिव्स व्यापार की बकाया आनुमानिक राशि ₹ 5,859.08 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 7,571.57 करोड़) है और 31 मार्च, 2018 तक भारतीय स्टेट बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों के बीच किए गए डेरिवेटिव्स व्यापार की राशि ₹ 12,056.81 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 16,955.57 करोड़) है।

2. ब्याज दर डेरिवेटिव्स की बकाया आनुमानिक राशि, जो बाजार-बही मूल्य के अनुसार अंकित नहीं की गई है, किन्तु जहाँ 31 मार्च, 2018 तक विचाराधीन आस्ति/देयताओं, जिनका बाजार-बहीमूल्य के अनुसार अंकन नहीं किया गया है, की राशि ₹ 45,442.82 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 53,675.54 करोड़) है।

18.4 आस्ति-गुणवत्ता

क. अनर्जक आस्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
i)	कुल अग्रिमों में निवल अनर्जक आस्तियाँ (%)	5.73%	3.71%
ii)	अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव (कुल)		
	(क) अथशेष	1,12,342.99	98,172.80
	(ख) पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों एवं बीएमबी के विलय से प्राप्त	1,60,303.65	39,071.38
	उप-योग(I)	2,72,646.64	1,37,244.18
	घटाएं:		
	(ग) वर्ष के दौरान अपग्रेडेशन के कारण कमी	4,746.09	3,436.91
	(घ) वसूलियों के कारण कमी (अपग्रेडेड खातों से की गई वसूलियों को छोड़कर)	4,277.67	894.48
	(ङ) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाता	4,537.11	निरंक
	(च) वर्ष के दौरान अपलेखन के कारण कमी	35,658.31	20,569.80
	उप- योग(II)	49,219.18	24,901.19
	(च) इतिशेष (I-II)	2,23,427.46	1,12,342.99
iii)	निवल अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव		
	(क) अथशेष	58,277.38	55,807.02
	(ख) पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों एवं बीएमबी के विलय से प्राप्त	61,478.47	3,238.02
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	8,901.15	767.66
	(घ) इतिशेष	1,10,854.70	58,277.38
iv)	निवल अनर्जक आस्तियों की प्रावधान राशि में उतार-चढ़ाव		
	(क) अथशेष	54,065.61	42,365.78
	(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान जिसमें पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों एवं बीएमबी के विलय से प्राप्त राशि शामिल हैं।	98,825.17	35,833.35
	(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का अपलेखन/प्रतिलेखन	40,318.02	24,133.52
	(घ) इतिशेष	1,12,572.76	54,065.61

एनपीए के प्रावधानों के अथशेष एवं इतिशेष में ईसीजीसी से प्राप्त दावे शामिल है और रखी गई बकाया समायोजन राशि क्रमशः ₹ 1.97 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 67.27) और ₹ 8.72 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.97 करोड़) है।

ख. आरबीआई द्वारा जारी परिपत्र सं. डीबीआर.बी.पी.बी.सी. नं .63/21.04.018/2016-17 दिनांक 18 अप्रैल, 2017 में आदेशित अनर्जक आस्तियों के सामने (मानक आस्तियों के सामने किए गए प्रावधानों को छोड़कर) बैंक द्वारा किए गए प्रावधानों के संबंध में वित्त वर्ष 2016-17 के विचलन से संबंधित प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	राशि
1	31 मार्च, 2017 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया सकल एनपीए	1,12,342.99
2	31 मार्च, 2017 को आरबीआई द्वारा मूल्यांकन किया गया सकल एनपीए	1,35,582.12
3	सकल एनपीए में विचलन (2-1)	23,239.13
4	31 मार्च, 2017 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया निवल एनपीए	58,277.38
5	31 मार्च, 2017 को आरबीआई द्वारा मूल्यांकन किया गया निवल एनपीए	75,795.85
6	निवल एनपीए में विचलन (5-4)	17,518.47
7	31 मार्च, 2017 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए एनपीए हेतु प्रावधान	54,065.61
8	31 मार्च, 2017 को आरबीआई द्वारा मूल्यांकन किया गया एनपीए हेतु प्रावधान	59,786.27
9	प्रावधान में विचलन (8-7)	5,720.66
10	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु रिपोर्ट किए गए कर (पीएटी) पश्चात निवल लाभ	10,484.10
11	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए प्रावधान में विचलन को ध्यान में रखते हुए समायोजित (आनुमानिक) कर (पीएटी) के बाद निवल लाभ	6,743.25

* आरबीआई द्वारा नोट की गई विचलनों के कारण उपर्युक्त पूर्वप्रभावी नई एनपीए का निवल चालू प्रभाव को 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के परिणामों में विधिवत रूप से दर्शाया गया है।

ग. पुनर्संरचित खाते

(₹ करोड़ में)

	पुनर्संरचना के तरीके		सीडीआर व्यवस्था के अधीन (1)					एसएमई ऋण पुनर्संरचना के अधीन (2)				
क्र. सं.	आस्ति वर्गीकरण		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिकर	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिकर	कुल
	विवरण											
1	1अप्रैल, 2017 तक पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक स्थिति)	उधारकर्ताओं की सं.	28	-	68	4	100	81	25	128	19	253
			(62)	(3)	(74)	(3)	(142)	(186)	(46)	(123)	(11)	(366)
		बकाया राशि	7,711.79	-	17,030.68	82.59	24,825.06	5,640.63	204.06	2,464.71	6.88	8,316.28
			(14186.03)	(219.43)	(14045.42)	(236.23)	(28687.11)	(1746.93)	(444.99)	(2148.54)	(31.56)	(4372.02)
		संबंधित प्रावधान	327.32	-	360.74	0.94	689.01	21.94	10.65	113.98	-	146.57
			(779.15)	(13.64)	(411.89)	(0.94)	(1205.62)	(49.49)	(18.24)	(104.21)	(-)	(171.95)
2	1 अप्रैल, 2017 को पूर्ववर्ती सहयोगी बैंक एवं बीएमबी के विलय से प्राप्त पुनर्संरचित आस्ति	उधारकर्ताओं की सं.	23	4	18	6	51	288	436	2,066	288	3,078
			(-)	(-)	(3)	(-)	(3)	(-)	(3)	(9)	(-)	(12)
		बकाया राशि	3,453.35	220.71	8,499.62	186.82	12,360.50	83.44	188.53	189.35	5.34	466.66
			(64.19)	(23.18)	(236.82)	(-)	(324.18)	(5135.02)	(51.01)	(138.13)	(-)	(5324.16)
		संबंधित प्रावधान	192.47	20.86	15.30	0.03	228.66	27.69	3.80	3.94	0.39	35.82
			(0.36)	(0.19)	(-)	(-)	(0.55)	(0.20)	(0.33)	(2.98)	(-)	(3.51)
3	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में अपग्रेड होना	उधारकर्ताओं की सं.	1	-	-1	-	-	1	-	-1	-	-
			(2)	(-1)	(-1)	(-)	(-)	(1)	(-)	(-1)	(-)	(-)
		बकाया राशि	443.42	-	-443.42	-	-	-	-	-	-	-
			(478.88)	(-79.13)	(-399.76)	(-)	(-)	(20.89)	(-17.31)	(-3.58)	(-)	(-)
		संबंधित प्रावधान	6.33	-	-6.33	-	-	-	-	-	-	-
			(37.06)	(-0.42)	(-36.64)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
4	ऐसे पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिनके लिए वित्त वर्ष के अंत में अतिरिक्त प्रावधान तथा/अथवा जोखिम प्रभार रखने की आवश्यकता नहीं रह गई है, और इसलिए उनको अगले वित्त वर्ष के प्रारंभ में पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है।	उधारकर्ताओं की सं.	-11				-11	-43				-43
			(-17)				(-17)	(-50)				(-50)
		बकाया राशि	-5,389.94				-5,389.94	-5,318.42				-5,318.42
			(-1063.82)				(-1063.82)	(-271.96)				(-271.96)
		संबंधित प्रावधान	-209.29				-209.29	-1.80				-1.80
			(-18.74)				(-18.74)	(-2.20)				(-2.20)
5	वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का डाउन ग्रेडेसन	उधारकर्ताओं की सं.	-13	-	11	2	-	-6	5	-3	4	-
			(-16)	(-2)	(15)	(3)	(-)	(-25)	(-3)	(18)	(10)	(-)
		बकाया राशि	-3,336.83	303.58	2,747.62	285.63	-	-235.87	125.95	108.16	1.76	-
			(-4942.66)	(-163.48)	(4860.65)	(245.50)	(-)	(-164.71)	(-54.54)	(206.59)	(12.66)	(-)
		संबंधित प्रावधान	-36.14	7.65	28.03	0.47	-	-12.02	12.02	-	-	-
			(-288.33)	(-13.41)	(289.39)	(12.35)	(-)	(-8.79)	(1.45)	(7.34)	(-)	(-)
6	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का अपलेखन	उधारकर्ताओं की सं.	-20	-1	-31	-4	-56	-273	-297	-2,019	-293	-2,882
			(-3)	(-)	(-23)	(-2)	(-28)	(-31)	(-21)	(-21)	(-2)	(-75)
		बकाया राशि	-2,274.02	-143.78	-11,993.72	-306.20	-14,717.72	-94.19	-140.70	-202.42	-7.16	-444.47
			(-1010.82)	(-)	(-1712.45)	(-399.14)	(-3122.42)	(-825.52)	(-220.09)	(-24.96)	(-37.34)	(-1107.94)
		संबंधित प्रावधान	-273.63	-0.34	-291.54	-1.44	-566.95	-17.58	0.38	-2.51	-	-19.71
			(-182.17)	(-)	(-303.90)	(-12.35)	(-498.42)	(-16.77)	(-9.37)	(-0.55)	(-)	(-26.69)
7	31 मार्च, 2018 तक कुल पुनर्संरचना खाते (अंतिम स्थिति)	उधारकर्ताओं की सं.	8	3	65	8	84	48	169	171	18	406
			(28)	(-)	(68)	(4)	(100)	(81)	(25)	(128)	(19)	(253)
		बकाया राशि	607.77	380.51	15,840.78	248.84	17,077.90	75.59	377.84	2,559.80	6.82	3,020.05
			(7711.79)	(-)	(17030.68)	(82.59)	(24825.06)	(5640.65)	(204.06)	(2464.71)	(6.88)	(8316.28)
		संबंधित प्रावधान	7.06	28.17	106.20	-	141.43	18.23	26.85	115.41	0.39	160.88
			(327.32)	(-)	(360.74)	(0.94)	(689.01)	(21.94)	(10.65)	(113.98)	(-)	(146.58)

	पुनर्संरचना के तरीके		अन्य (3)					योग (1 + 2 + 3)				
क्र. सं.	आस्ति वर्गीकरण		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिकर	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिकर	कुल
	विवरण											
1	1अप्रैल 2017 तक पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक स्थिति)	उधारकर्ताओं की सं.	100	206	1,990	49	2,345	209	231	2,186	72	2,698
			(301)	(520)	(2336)	(90)	(3247)	(549)	(569)	(2427)	(104)	(3649)
		बकाया राशि	23,281.14	2,714.14	6,774.45	30.56	32,800.30	36,633.56	2,918.20	26,269.85	120.03	65,941.64
			(23122.42)	(578.73)	(9210.75)	(146.17)	(33058.07)	(39178.48)	(1254.11)	(25470.39)	(424.81)	(66327.79)
		संबंधित प्रावधान	242.27	28.14	174.82	-	445.23	591.54	38.79	649.55	0.94	1,280.82
			(403.03)	(7.13)	(30.54)	(0.03)	(440.73)	(1232.45)	(38.97)	(603.00)	(0.98)	(1875.40)
2	चालू वित्त वर्ष के दौरान पूर्ववर्ती सहयोगी बैंक एवं बीएमबी के विलय से प्राप्त नई पुनर्संरचित आस्ति	उधारकर्ताओं की सं.	30,726	6,219	235	20	37,200	31,037	6,659	2,319	314	40,329
			(7)	(130)	(63)	(5)	(205)	(7)	(133)	(75)	(5)	(220)
		बकाया राशि	8,757.80	3,097.75	9,145.22	121.52	21,122.29	12,294.58	3,506.99	17,834.19	313.68	33,949.44
			(11674.54)	(646.34)	(2029.00)	(6.35)	(14356.24)	(16873.75)	(720.53)	(2403.95)	(6.35)	(20004.58)
		संबंधित प्रावधान	236.33	25.15	93.70	4.23	359.41	456.49	49.80	112.94	4.66	623.89
			(22.76)	(1.05)	(25.60)	(-)	(49.41)	(23.32)	(1.57)	(28.58)	(-)	(53.47)
3	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में अपग्रेड होना	उधारकर्ताओं की सं.	5	-3	-2	-	-	7	-3	-4	-	-
			(2)	(2)	(6)	(-10)	(-)	(5)	(1)	(4)	(-10)	(-)
		बकाया राशि	656.33	-605.65	-50.68	-	-	1,099.75	-605.65	-494.10	-	-
			(129.73)	(0.03)	(-129.45)	(-0.31)	(-)	(629.50)	(-96.41)	(-532.78)	(-0.31)	(-)
		संबंधित प्रावधान	3.99	-1.04	-2.95	-	-	10.32	-1.04	-9.28	-	-
			(0.96)	0.00	(-0.96)	(-)	(-)	(38.02)	(-0.42)	(-37.6)	(-)	(-)
4	ऐसे पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिनके लिए वित्त वर्ष के अंत में अतिरिक्त प्रावधान तथा/अथवा जोखिम प्रभार रखने की आवश्यकता नहीं रह गई है, और इसलिए उनको अगले वित्त वर्ष के प्रारंभ में पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है।	उधारकर्ताओं की सं.	-38				-38	-92				-92
			(-19)				(-19)	(-86)				(-86)
		बकाया राशि	-2,716.15				-2,716.15	-13,424.50				-13,424.50
			(-1747)				(-1747)	(-3082.78)				(-3082.78)
		संबंधित प्रावधान	-14.83				-14.83	-225.93				-225.93
			(-20.25)				(-20.25)	(-41.19)				(-41.19)
5	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का डाउन ग्रेडेसन	उधारकर्ताओं की सं.	-50	-222	249	23	-	-69	-217	257	29	-
			(-87)	(-222)	(290)	(19)	(-)	(-128)	(-227)	(323)	(32)	(-)
		बकाया राशि	-21,997.58	456.27	20,388.99	1,152.33	-	-25,570.29	885.80	23,244.77	1,439.72	-
			(-3698.54)	(1631.73)	(1752.57)	(314.24)	(-)	(-8805.91)	(1413.70)	(6819.81)	(572.40)	(-)
		संबंधित प्रावधान	-133.95	52.17	81.52	0.26	-	-182.12	71.84	109.55	0.73	-
			(-102.40)	(23.63)	(78.77)	(-)	(-)	(-399.52)	(11.67)	(375.50)	(12.35)	(-)
6	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का अपलेखन	उधारकर्ताओं की सं.	-30,383	-5,865	-1,378	-47	-37,673	-30,676	-6,163	-3,428	-344	-40,611
			(-104)	(-224)	(-705)	(-55)	(-1088)	(-138)	(-245)	(-643)	(-59)	(-1085)
		बकाया राशि	-3,801.80	-1,728.55	-6,626.80	-338.00	-12,495.16	-6,170.02	-2,013.03	-18,822.94	-651.36	-27,657.35
			(-6200.01)	(142.69)	(-6088.43)	(-435.90)	(-12867.01)	(-8159.48)	(-373.73)	(-7891.51)	(-883.23)	(-17307.95)
		संबंधित प्रावधान	-248.70	-24.28	-176.47	-3.85	-453.30	-539.91	-24.24	-470.52	-5.30	-1,039.97
			(-61.83)	(3.67)	(-40.87)	(-0.03)	(-24.66)	(-261.54)	(-12.99)	(-319.94)	(-12.39)	(-606.86)
7	31 मार्च, 2018 तक कुल पुनर्संरचना खाते (अंतिम स्थिति)	उधारकर्ताओं की सं.	360	335	1,094	45	1,834	416	507	1,330	71	2,324
			(100)	(206)	(1990)	(49)	(2345)	(209)	(231)	(2186)	(72)	(2698)
		बकाया राशि	4,179.74	3,933.96	29,631.18	966.41	38,711.28	4,863.08	4,692.31	48,031.77	1,222.07	58,809.23
			(23281.14)	(2714.14)	(6774.45)	(30.56)	(32800.30)	(36633.56)	(2918.20)	(26269.85)	(120.03)	(65941.64)
		संबंधित प्रावधान	85.11	80.14	170.62	0.64	336.51	110.39	135.15	392.24	1.03	638.81
			(242.27)	(28.14)	(174.82)	(-)	(445.23)	(591.54)	(38.79)	(649.55)	(0.94)	(1280.82)

टिप्पणी:

1. बकाया में ₹ 11,165.38 करोड़ की हुई वृद्धि (पिछले वर्ष ₹ 1,922.73 करोड़) नई वृद्धि में सम्मिलित है।
2. ₹ 10,935.28 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 10,070.48 करोड़) की बंदी और ₹ 9,266.34 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2,090.33 करोड़) की बकाया शेष में घटाई गयी राशि को बट्टे खाते में शामिल किया गया है।
3. उच्च प्रावधान नहीं की गई मानक आस्तियाँ योग के कालम में शामिल नहीं की गयी है।

घ. तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए खाते और उनके संबंध में की गई वसूलियों का विवरण :

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i) 1 अप्रैल को तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खातों का अथशेष	निरंक	निरंक
ii) जोड़ें: पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों एवं बीएमबी के साथ विलय पर प्राप्त	12,926.65	निरंक
iv) उप कुल (क)	12,926.65	निरंक
v) घटाएँ : वर्ष के दौरान पिछले तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खातों से की गई वसूली (ख)	8,389.54	निरंक
vi) 31 मार्च तक इतिशेष (क - ख)	4,537.11	निरंक

ङ. आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/ पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) को बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i) खातों की संख्या	32	38
ii) प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी (एससी/आरसी) को बिक्री किए गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधान का निवल)	964.72	503.91
iii) समग्र प्रतिफल	1,304.36	516.52
iv) पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	-	-
v) निवल बही मूल्य से अधिक कुल लाभ/ (हानि)#	339.64	12.61

*भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रतिफल के भाग स्वरूप प्राप्त प्रतिभूति रसीदों को निवल बही मूल्य/अंकित मूल्य कीमत से कम आंका गया है।
#इसमें प्रभार/(ब्याज) के रूप में जमा की गई ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ 0.54 करोड़) की राशि शामिल है।

च. प्रतिभूतीकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई अनर्जक आस्तियों के कारण हुए लाभ एवं हानि खाते में प्रतिवर्तित किया गया अतिरिक्त प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनर्जक आस्तियों की बिक्री के मामले में लाभ एवं हानि खाते में प्रतिवर्तित किया गया अतिरिक्त प्रावधान	-	5.23

छ. क्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) (क) वर्ष के दौरान क्रय किए गए खातों की सं.	निरंक	निरंक
(ख) कुल बकाया राशि	निरंक	निरंक
2) (क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचनागत खातों की संख्या	निरंक	निरंक
(ख) कुल बकाया राशि	निरंक	निरंक

ज. बिक्री की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) बिक्री किए गए खातों की सं.	16	31
2) कुल बकाया राशि	1,323.69	938.63
3) प्राप्त की गई कुल प्रतिफल राशि	1,057.73	487.76

झ. मानक आस्तियों पर प्रावधान:

बैंक द्वारा मानक आस्तियों पर किया गया प्रावधान निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मानक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधान	12,499.46	13,678.24

ञ. कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचित योजना पर प्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में विराम अवधि के अंतर्गत हैं)

एसडीआर लागू किये गये खातों की संख्या	31 मार्च, 2018 को बकाया राशि		31 मार्च, 2018 को उन खातों के संबंध में बकाया राशि जहां ऋण का इक्विटी में रूपांतरण लंबित है		31 मार्च, 2018 को उन खातों के संबंध में बकाया राशि जहां ऋण का इक्विटी में रूपांतरण हो गया है	
	मानक	एनपीए	मानक	एनपीए	मानक	एनपीए
	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

ट. मौजूदा ऋण की नमनीय संरचना पर प्रकटीकरण:

(₹ करोड़ में)

अवधि	नमनीय संरचना हेतु लिए गए उधारकर्ताओं की संख्या	नमनीय संरचना हेतु लिए गए ऋणों की :चंऊच		नमनीय संरचना हेतु लिए गए ऋणों के एक्सपोजर भारित औसत अवधि	
		मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	आवेदन पूर्व नमनीय संरचना (वर्ष)	आवेदन पश्चात नमनीय संरचना (वर्ष)
च्चचआचझ उचऍचद	6	3,230.38	-	4.43 वर्ष	8.66 वर्ष
पिछला उचऍचद	2	1,254.32	-	3.55 वर्ष	9.67 वर्ष

ठ. एसडीआर योजना के बाहर स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में विराम अवधि के अंतर्गत हैं)

(₹ करोड़ में)

बैंक द्वारा स्वामित्व में परिवर्तन के निर्णय से प्रभावित खातों की संख्या	रिपोर्टिंग दिनांक पर बकाया		खातों के संबंध में रिपोर्टिंग दिनांक को ऋण का इक्विटी में रूपांतरण / इक्विटी शेयरों की गिरवी का खंडन लंबित रहने के संदर्भ में बकाया राशि		खातों के संबंध में रिपोर्टिंग दिनांक को ऋण का इक्विटी में रूपांतरण / इक्विटी शेयरों की गिरवी का खंडन होने के संदर्भ में बकाया राशि		खातों के संबंध में रिपोर्टिंग दिनांक को ताजा शेयर जारी कर स्वामित्व में परिवर्तन की परिकल्पित हो या प्रमोटर इक्विटी की बिक्री की बकाया राशि	
वर्गीकृत	मानक	एनपीए	मानक	एनपीए	मानक	एनपीए	मानक	एनपीए
	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

ड. कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में विराम अवधि के अंतर्गत हैं)

(₹ करोड़ में)

परियोजना ऋण खातों की संख्या जहां बैंकों ने स्वामित्व में परिवर्तन को प्रभावित करने का फैसला किया है	31 मार्च, 2018 को बकाया राशि		
	मानक रूप में वर्गीकृत	मानक पुनर्संरचित के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

ढ. 31.03.2018 को अनर्जक आस्तियों (एस 4 ए) की संवहनीय संरचना के लिए योजना का प्रकटीकरण:

(₹ करोड़ में)

एस4ए प्रयुक्त खाते		बकाया कुल राशि	बकाया राशि		प्रावधानीकृत
आस्ति वर्गीकरण	खातों की संख्या		भाग ए में	भाग बी में	
मानक खाते	7	6,111.29	3,669.15	2,644.31	1,401.28
एनपीए	4	1,786.57	701.22	1,085.35	674.42

18.5 व्यवसाय अनुपात:

विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i.	कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याज आय का प्रतिशत	6.37%	6.86%
ii.	कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याजेतर आय का प्रतिशत	1.29%	1.39%
iii.	कार्यशील निधियों की तुलना में परिचालन लाभ का प्रतिशत	1.72%	1.99%
iv.	आस्तियों पर आय*	(-) 0.19%	0.41%
v.	प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा राशियाँ एवं अग्रिम जोड़कर) (₹ करोड़ में)	16.70	16.24
vi.	प्रति कर्मचारी लाभ (₹ हजार में)	(-) 243.33	511.10

* (निवल आस्ति आधार पर)

18.6 आस्ति देयता प्रबंधन: 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

	1 दिन	22 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 30 दिन	31 दिन से अधिक किंतु 2 मास तक	2 से अधिक किंतु 3 मास तक	3 से अधिक किंतु 6 मास तक	6 से अधिक किंतु 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	योग
जमाराशियाँ	18,801.34	62,884.68	36,410.72	59,039.39	1,02,902.64	95,934.27	2,68,120.10	5,02,239.16	5,05,095.20	2,82,468.59	7,72,447.20	27,06,343.29
	(24,697.20)	(38,065.95)	(25,980.69)	(42,544.33)	(59,304.31)	(62,862.54)	(1,77,889.82)	(3,50,586.32)	(4,57,630.51)	(2,04,524.39)	(6,00,665.33)	(20,44,751.39)
अग्रिम	9,505.35	22,201.83	23,146.72	96,137.66	47,241.42	61,224.31	1,17,078.25	2,73,529.68	2,87,544.39	2,47,962.40	7,49,308.18	19,34,880.19
	(88,220.08)	(11,902.42)	(10,735.41)	(24,246.23)	(26,857.91)	(33,575.28)	(25,110.19)	(34,647.16)	(5,73,668.96)	(1,30,137.82)	(6,11,976.92)	(15,71,078.38)
निवेश	79.71	1,753.94	7,824.29	7,044.03	41,927.02	29,445.22	33,385.93	55,415.07	1,64,722.92	1,74,516.31	544,872.27	10,60,986.71
	(0.11)	(2,467.87)	(3,533.97)	(9,420.60)	(20,303.63)	(23,030.42)	(65,709.50)	(47,135.41)	(1,00,108.55)	(1,09,188.92)	(3,85,090.65)	(7,65,989.63)
उधार-राशियाँ	217.95	84,918.90	38,244.45	19,866.70	23,856.81	23,304.46	25,422.91	30,492.51	44,182.98	23,658.96	47,975.44	3,62,142.07
	(5,668.32)	(87,457.90)	(8,903.41)	(18,284.39)	(23,097.43)	(24,040.18)	(37,371.23)	(13,169.80)	(20,431.03)	(23,590.79)	(55,679.18)	(3,17,693.66)
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ#	2,410.92	2,875.52	3,525.69	22,501.88	13,481.32	17,334.18	31,977.62	40,927.39	1,45,715.96	74,935.97	37,041.66	3,92,728.11
	(80,272.16)	(1,328.79)	(3,953.60)	(8,351.58)	(9,722.94)	(9,768.94)	(12,432.10)	(32,353.90)	(63,954.10)	(67,312.64)	(40,758.58)	(3,30,209.33)
विदेशी मुद्रा देयताएँ	877.05	22,146.51	10,534.83	23,488.39	31,245.24	31,360.75	39,865.36	63,595.71	73,874.40	39,418.43	28,029.95	3,64,436.62
	(30,639.24)	(12,268.81)	(10,316.45)	(21,500.13)	(28,558.95)	(30,283.69)	(51,784.89)	(35,556.34)	(46,971.60)	(34,795.54)	(18,202.56)	(3,20,878.20)

विदेशी मुद्रा आस्तियाँ, अग्रिम एवं निवेश(निवल का प्रावधान) को दर्शाते हैं
$विदेशी मुद्रा देयताएँ, ऋण एवं जमा को दर्शाते हैं
(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े 31 मार्च, 2017 के हैं)

18.7 एक्स्पोजर (ऋण-जोखिम)

बैंक आस्ति मूल्य में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों को भी ऋण प्रदान करता है।

क. स्थावर संपदा क्षेत्र

(₹ करोड़ में)

	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
I	प्रत्यक्ष एक्सपोजर		
	i) आवासीय बंधक	3,03,188.55	2,51,386.94
	ऋणकर्ता के कब्जे में या कब्जे में आने वाली या किराए पर दी गई आवासीय संपत्ति के बंधक द्वारा ऋण पूरी तरह सुरक्षित।	3,03,188.55	2,51,386.94
	जिसमें से आवासीय इकाई खरीदने/निर्माण के लिए प्रति परिवार महानगरीय क्षेत्रों (जनसख्या >= 10 लाख) में (i) 28 लाख रुपए तक व्यक्तिगत आवास ऋण (पिछला वर्ष में 28 लाख रुपए) तथा अन्य केंद्रों पर 20 लाख रुपए (पिछला वर्ष 20 लाख रुपए)।	1,26,359.38	1,06,094.23
	ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा		
	वाणिज्यिक स्थावर संपदा पर बंधक द्वारा प्रतिभूत (कार्यालय भवन, खुदरा क्षेत्र, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या माल गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण इत्यादि) गैर- निधि आधारित सीमा भी इस एक्सपोजर में शामिल है।	82,807.89	36,915.86
	iii) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर:	266.05	214.69
	क) आवासीय	266.05	214.69
	ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा	-	-
II	अप्रत्यक्ष एक्सपोजर		
	राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) में निधि आधारित और गैर-निधि आधारित एक्सपोजर	87,233.16	70,703.93
	कुल	**4,73,495.65**	**3,59,221.42**

ख. पूंजी बाजार

(₹ करोड़ में)

	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्डो, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में किए गए ऐसे प्रत्यक्ष निवेश जिनकी राशि विशेष रूप से कारपोरेट-ऋण में निवेश नहीं की गई है।	8,471.07	4,357.59
2)	शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति अथवा शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉन्डो, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश करने के लिए व्यक्तियों को बेजमानती आधार पर दिए गए अग्रिम	31.47	5.78
3)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डो या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है।	1,084.72	15,236.39
4)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए ऐसे अग्रिम जिनके लिए शेयरों अथवा परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनशील डिबेंचरों अथवा इक्विटी संबद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति दी गई है, अर्थात जहाँ शेयरों/ परिवर्तनशील बांडों/परिवर्तनशील डिबेंचरों/ इक्विटी संबद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के अतिरिक्त प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिम की राशि की पूर्ण प्रतिभूति के रूप में अपर्याप्त है।	12,187.75	668.52
5)	शेयर दलालों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम तथा शेयर दलालों एवं बाजार-नियामकों (मार्केट मेकर्स) की ओर से जारी गारंटियाँ	200.15	0.17
6)	संसाधन वृद्धि की अपेक्षा से नई कंपनी की इक्विटी में प्रवर्तक (प्रमोटर) के हिस्से को पूरा करने के लिए कॉर्पोरेटों को शेयरों/बॉन्डो/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के आधार पर अथवा बिना जमानत के संस्वीकृत किए गए ऋण।	3.36	410.19
7)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/शेयर निर्गमों के प्रति कंपनियों को दिए गए पूरक ऋण।	निरंक	निरंक
8)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंक द्वारा किया गया हामीदारी कारोबार।	निरंक	निरंक
9)	शेयर दलालों को मार्जिन क्रय-विक्रय के लिए वित्तपोषण	215.00	245.00
10)	उद्यम-पूंजी निधियों से संबंधित एक्सपोजर (पंजीकृत तथा गैर-पंजीकृत दोनों)	1,948.56	1,879.93
	पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर	24,142.08	22,803.57

ग. जोखिम श्रेणीवार देशीय एक्सपोजर

भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा-निदेशों के अनुसार, बैंक के देशवार एक्सपोजर का वर्गीकरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए विभिन्न जोखिम वर्गों में किया गया है। यूएसए को छोड़कर किसी भी अन्य देश में बैंक का देशगत जोखिम (निवल निधिकृत) कुल ऋण आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है अतः यूएसए के लिए देशगत जोखिम का प्रावधान किया गया है।

(₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	निवल निधिकृत जोखिम		किया गया प्रावधान	
	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
नगण्य	96,534.70	75,637.24	111.18	116.04
बहुत कम	53,321.64	53,117.01	निरंक	निरंक
कम	11,110.42	3,834.73	निरंक	निरंक
मध्यम कम	13,480.60	10,844.54	निरंक	निरंक
मध्यम	4,246.28	8,823.27	निरंक	निरंक
अधिक	8,082.38	4,954.18	निरंक	निरंक
अत्यधिक	3,964.32	4,124.84	निरंक	निरंक
प्रतिबंधित	**1,90,740.34**	**1,61,335.81**	**111.18**	**116.04**

घ. एकल ऋणकर्ता तथा समूह ऋणकर्ता को दिए गए ऋणों में बैंक द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक ऋण

बैंक ने एकल ऋणकर्ता तथा समूह ऋणकर्ता को आरबीआई द्वारा निर्धारित विवेकशील जोखिम सीमा में ही ऋण दिया।

ङ. अप्रतिभूत अग्रिम

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
क)	बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम	3,60,240.30	2,82,886.13
i)	इनमें से अधिकार शेयर, लाइसेंस, प्राधिकार इत्यादि जैसी अमूर्त प्रतिभूतियों पर प्रभार के प्रति देय अग्रिम बकाया	निरंक	277.42
ii)	इन अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य (उपर्युक्त (i) के अनुसार)	निरंक	277.42

18.8 विविध

क. अर्थदंडों का प्रकटीकरण

-मोनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर (एमएएस) ने ₹ 2.99 करोड़ (600,000 सिंगापुर डॉलर) का अर्थदंड सिंगापुर शाखा पर एमएएस अधिनियम की धारा 27 बी(2) का उल्लंघन होने कारण लगाया।

-भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ₹ 0.40 करोड़ का अर्थदंड भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जाली नोटों की परख एवं अवरोधन के संबंध में जारी निदेशों के अनुपालन नहीं किए जाने के संबंध में लगाया गया।

पिछले वर्षः सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान द्वारा ₹ 0.13 करोड़(8000 ओमनी रियाल) का अर्थदंड मस्कट शाखा पर बैंकिंग लॉ 2000 एवं सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान के परिपत्रों के कुछ प्रावधानों के अनुपालन नहीं किए जाने के कारण लगाया गया।

ख. एसजीएल फॉर्म्स की बाउंसिंग के लिए अर्थदंड

बैंक पर एसजीएल फॉर्म्स की बाउंसिंग के लिए कोई भी अर्थदंड नहीं लगाया गया है।

18.9 लेखा मानकों के अनुसार आवश्यकताओं का प्रकटीकरण

क. लेखा मानक - 5 ''अवधि के लिए शुद्ध लाभ अथवा हानि, अवधि पूर्व की मदें और लेखा नीतियों' में परिवर्तन''

बैंक ने 1 अप्रैल, 2017 से स्थगित भुगतान गारंटियों को छोडकर, साख पत्र और बैंक गारंटियां जारी करने पर अर्जित कमीशन की बुकिंग के संबंध में अपनी लेखा नीतियों में परिवर्तन करते हुए परिवर्तन किया है। अब इनको पूर्व में वसूली आधार के पर मान्य करने के स्थान पर एलसी/बीजी की अवधि के आधार पर मान्य किया जा रहा है।

नीति में हुए परिवर्तन के प्रभाव से, पूर्व वर्ष की तुलना में इस शीर्ष के अंतर्गत ₹ 1,203.60 करोड़ की कम आय 31 मार्च, 2018 के लिए प्राप्त हुई है। .

ख. लेखा-मानक-15 'कर्मचारी- हितलाभ'

i. नियत हितलाभ योजनाएँ

1. पेंशन योजना एवं ग्रेच्युटी योजना :

नीचे दी गई तालिका बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकक मूल्यांकन के अनुसार नियत हितलाभ पेंशन योजना तथा ग्रेच्युटी की स्थिति को स्पष्ट करती है:

(₹ करोड़ में)

	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना	
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
1 अप्रैल, 2017 को आरंभिक नियत हितलाभ दायित्व	67,824.90	59,151.41	7,291.02	7,332.14
वर्तमान सेवा लागत	978.19	715.64	286.07	151.08
ब्याज लागत	6,248.32	4,767.60	713.71	576.31
विगत सेवा लागत (निहित लाभ)	-	1,200.00	3,610.00	-
अधिग्रहण पर हस्तांतरित हुई देयता	16,045.22	-	2,526.13	-
बीमांकिक हानियाँ (लाभ)	3,338.70	6,525.61	(18.74)	227.95
प्रदत्त लाभ	(4,190.42)	(2,175.52)	(1,535.59)	(996.46)
बैंक द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान	(2,458.35)	(2,359.84)	-	-
31 मार्च, 2018 को अंतिम नियत हितलाभ दायित्व	87,786.56	67,824.90	12,872.60	7,291.02
योजना आस्तियों में परिवर्तन				
1 अप्रैल, 2017 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	64,560.42	53,410.37	7,281.18	6,879.77
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	5,908.09	4,304.88	709.95	540.75
नियोक्ता द्वारा अंशदान	4,363.79	6,771.00	226.90	674.78
अधिग्रहण पर हस्तांतरित हुई आस्तियां	14,742.79	-	2,484.28	-
कर्मचारियों द्वारा अनुमानित अंशदान	-	3.09	-	-
प्रदत्त हितलाभ	(4,190.42)	(2,175.52)	(1,535.59)	(996.46)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(135.07)	2,246.60	(25.96)	182.34
31 मार्च, 2018 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	85,249.60	64,560.42	9,140.76	7,281.18
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान				
31 मार्च, 2018 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	87,786.56	67,824.90	12,872.60	7,291.02
31 मार्च, 2018 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	85,249.60	64,560.42	9,140.76	7,281.18
कमी/(अधिशेष)	2,536.96	3,264.48	3,731.84	9.84
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत (निहित) इतिशेष	-	-	(2,707.50)	-
लेखे में नहीं ली गई अस्थायी देयता इतिशेष	-	-	-	-
निवल देयता/(आस्ति)	2,536.96	3,264.48	1,024.34	9.84
तुलन-पत्र में शामिल की गई राशि				
देयताएँ	87,786.56	67,824.90	12,872.60	7,291.02
आस्तियाँ	85,249.60	64,560.42	9,140.76	7,281.18
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	2,536.96	3,264.48	3,731.84	9.84
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत (निहित) इतिशेष	-	-	(2,707.50)	-
लेखे में नहीं ली गई अस्थायी देयता इतिशेष	-	-	-	-
कुल देयताएँ/(आस्तियाँ)	2,536.96	3,264.48	1,024.34	9.84
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत				
वर्तमान सेवा लागत	978.19	715.64	286.07	151.08
ब्याज लागत	6,248.32	4,767.60	713.71	576.31

(₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(5,908.09)	(4,304.88)	(709.95)	(540.75)
कर्मचारियों द्वारा अनुमानित अंशदान	-	(3.09)	-	-
लेखे में ली गई (परिशोधित) विगत सेवा लागत	-	-	-	-
लेखे में ली गई विगत सेवा लागत (निहित लाभ)	-	1,200.00	902.50	-
लेखे में शामिल की गई वर्ष के दौरान निवल बीमांकिक हानियाँ (लाभ)	3,473.77	4,279.01	7.22	45.61
अनुसूची 16 "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" में शामिल की गई नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत	4,792.19	6,654.28	1,199.55	232.25
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ और बीमांकिक प्रतिलाभ का समाधान				
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	5,908.09	4,304.88	709.95	540.75
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(135.07)	2,246.60	(25.96)	182.34
योजना आस्तियों पर बीमांकिक प्रतिलाभ	5,773.02	6,551.48	683.99	723.09
तुलन-पत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति) के आरंभिक अधिशेष व इतिशेष का समाधान				
1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार निवल प्रारंभिक देयता/(आस्ति)	3,264.48	5,741.04	9.84	452.37
लाभ और हानि खाते में शामिल व्यय	4,792.19	6,654.28	1,199.55	232.25
बैंक द्वारा सीधे प्रदत्त	(2,458.35)	(2,359.84)	-	-
अन्य प्रावधानों को डेबिट	-	-	-	-
आरक्षित निधियों में शामिल	-	-	-	-
हस्तांतरित की गई निवल देयता (आस्ति)	1,302.43	-	41.85	-
नियोक्ता का अंशदान	(4,363.79)	(6,771.00)	(226.90)	(674.78)
तुलन-पत्र में शामिल की गई निवल देयता/(आस्ति)	2,536.96	3,264.48	1,024.34	9.84

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार पेंशन निधि तथा ग्रेच्युटी निधि की योजना आस्तियों के अंतर्गत किए गए निवेश निम्नानुसार हैं :

आस्तियों की श्रेणी	पेंशन निधि योजना आस्तियों का %	ग्रेच्युटी निधि योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	24.57%	21.39%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	30.32%	24.69%
ऋण प्रतिभूतियाँ, पूंजी बाज़ार प्रतिभूतियाँ एवं बैंक जमा	30.55%	14.91%
म्यूचुअल फंड	2.49%	2.28%
बीमाकर्ता प्रबंधित निधियाँ	2.19%	29.29%
अन्य	9.88%	7.44%
योग	100.00%	100.00%

प्रमुख बीमांकिक आकलन;

विवरण	पेंशन योजनाएँ		ग्रेच्युटी योजनाएँ	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	7.76%	7.45%	7.78%	7.27%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	7.76%	7.45%	7.78%	7.27%
वेतन बढ़ोतरी	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
पलायन दर	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
मृत्यु संख्या सारणी	IALM (2006-08) ULTIMATE	IALM (2006-08) ULTIMATE	IALM (2006-08) ULTIMATE	IALM (2006-08) ULTIMATE

योजना में अधिशेष / कमी
ग्रेच्युटी योजना

(₹ करोड़ में)

तुलन - पत्र में ली गई राशि	31-03-2014 को समाप्त वर्ष	31-03-2015 को समाप्त वर्ष	31-03-2016 को समाप्त वर्ष	31-03-2017 को समाप्त वर्ष	31-03-2018 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में देयता	6,838.07	7,182.35	7,332.14	7,291.02	12,872.60
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	7,090.59	7,110.25	6,879.77	7,281.18	9,140.76
अंतर	(252.52)	72.10	452.37	9.84	3,731.84
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत	-	-	-	-	2,707.50
लेखे में नहीं ली गई अस्थायी देयता	-	-	-	-	-
तुलन-पत्र में ली गई राशि	(252.52)	72.10	452.37	9.84	1,024.34

विगत (एक्सपिरियंस) समायोजन

(₹ करोड़ में)

तुलन - पत्र में ली गई राशि :	31-03-2014 को समाप्त वर्ष	31-03-2015 को समाप्त वर्ष	31-03-2016 को समाप्त वर्ष	31-03-2017 को समाप्त वर्ष	31-03-2018 को समाप्त वर्ष
योजना देयता पर (लाभ)/ हानि	210.19	(24.69)	326.09	10.62	399.62
योजना आस्ति (हानि)/ लाभ	23.87	106.04	(43.09)	182.34	(25.96)

योजना में अधिशेष / कमी
पेंशन

(₹ करोड़ में)

तुलन पत्र में ली गई राशि	31-03-2014 को समाप्त वर्ष	31-03-2015 को समाप्त वर्ष	31-03-2016 को समाप्त वर्ष	31-03-2017 को समाप्त वर्ष	31-03-2018 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में देयता	45,236.99	51,616.04	59,151.41	67,824.90	87,786.56
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	42,277.01	49,387.97	53,410.37	64,560.42	85,249.60
अंतर	2,959.98	2,228.07	5,741.04	3,264.48	2,536.96
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत	-	-	-	-	-
लेखे में नहीं ली गई अस्थायी देयता	-	-	-	-	-
तुलन-पत्र में ली गई राशि	2,959.98	2,228.07	5,741.04	3,264.48	2,536.96

एक्सपिरियंस समायोजन

(₹ करोड़ में)

योजना देयता पर (लाभ)/हानि	7,709.67	1,732.86	5,502.35	3,007.59	4,439.54
योजना आस्ति पर (हानि)/लाभ	335.40	2,285.87	(162.93)	2,246.60	(135.07)

बीमांकिक मूल्यन में प्रतिफलित भावी वेतन वृद्धि का पूर्वानुमान, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा रोजगार-बाजार में आपूर्ति और मांग की स्थिति जैसे अन्य संगत कारणों को ध्यान में रखकर किया गया है। ये अनुमान बहुत लंबी अवधि के हैं तथा सीमित विगत अनुभव/निकट भविष्य पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य भी बताते हैं कि बहुत लंबी अवधि में लगातार, उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है, लेखा-परीक्षकों ने इन्हें स्वीकार किया है।

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 में संशोधन होने और ग्रेच्युटी की सीमा ₹ 10.00 लाख से बढ़कर ₹ 20.00 लाख तक होने के फलस्वरूप, ₹ 3,610.00 करोड़ की अतिरिक्त देयता निकली है। आरबीआई ने पत्र सं. डीबीआर. बीपी.9730/21.04.018/2017-18 दिनांक 27 अप्रैल, 2018 के अनुसार सूचित किया है कि बैंक अपने विवेक से, इस खर्च को 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुई तिमाही से लेकर अगली चार तिमाहियों में बांट सकते हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि संवर्धित ग्रेच्युटी से संबंधित अपरिशोधित खर्च को टियर-1 पूंजी से नहीं घटाया जाएगा।

तदनुसार, ₹ 3,610 करोड़ की कुल देयता में से, ₹ 902.50 करोड़ की राशि 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए लाभ एवं हानि खाते को नामे की गई है और ₹ 2,707.50 करोड़ की शेष अपरिशोधित देयता अगली तीन तिमाहियों, अर्थात जून-18 तिमाही से दिसंबर 18 तिमाही में प्रभारित की जाएगी।

2. कर्मचारी भविष्य निधि

बैंक के भविष्य निधि न्यास में हुई ब्याज की कमी के संबंध में नियतिवादी दृष्टिकोण के अनुसार संचालित बीमांकिक मूल्यांकन ठक्ब्रुस्डि देयता दर्शाता है। अतः वित्तीय वर्ष 2017-18 में किसी भी तरह का प्रावधान नहीं किया गया है।

निम्नलिखित तालिका बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए या किया गया बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार भविष्य निधि की स्थिति को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

	भविष्य निधि	
विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
नियत हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
1 अप्रैल, 2017 को नियत हितलाभ दायित्व योजना की आरंभिक राशि	25,921.96	25,159.70
वर्तमान सेवा लागत	942.85	811.36
ब्याज लागत	2,428.48	2,177.60
कर्मचारी अंशदान (वीपीएफ सहित)	1,357.28	1,031.10
हस्तांतरित हुई देयता	3,309.05	-
बीमांकिक हानि (लाभ)	25.56	-
प्रदत्त लाभ	(4,050.55)	(3,257.80)
31 मार्च, 2018 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का इतिशेष	29,934.63	25,921.96
योजना आस्तियों में परिवर्तन		
1 अप्रैल, 2017 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	26,915.23	25,985.32
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	2,428.48	2,177.60
अंशदान	2,300.13	1,842.46
अन्य कंपनियों से हस्तांतरित	3,723.65	-
प्रदत्त हितलाभ	(4,050.55)	(3,257.80)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	185.55	167.65
31 मार्च, 2018 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	31,502.49	26,915.23
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान		
31 मार्च, 2018 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	29,934.63	25,921.96
31 मार्च, 2018 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	31,502.49	26,915.23
कमी/(अधिशेष)	(1,567.86)	(993.27)
तुलन पत्र में शामिल न की गई निवल आस्ति	1,567.86	993.27
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत		
वर्तमान सेवा लागत	942.85	811.36
ब्याज लागत	2,428.48	2,177.60
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(2,428.48)	(2,177.60)
ब्याज में आई कमी को वापस किया गया	-	-

(₹ करोड़ में)

	भविष्य निधि	
विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
अनुसूची 16 "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" में शामिल की गई नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत।	942.85	811.36
तुलन-पत्र में शामिल की गई प्रारम्भिक एवं अंतिम निवल देयता / (आस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल, 2017 को प्रारम्भिक निवल देयता	-	-
उपरोक्तानुसार व्यय	942.85	811.36
नियोक्ता का अंशदान	(942.85)	(811.36)
तुलन-पत्र में शामिल की गई निवल देयता /(आस्ति)	-	-

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि की योजना आस्तियों के अंतर्गत निवेश निम्नानुसार है:

	भविष्य निधि
आस्तियों की श्रेणी	**योजना आस्तियों का %**
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	37.02%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	23.04%
ऋण प्रतिभूतियाँ, पूंजी बाज़ार प्रतिभूतियाँ और बैंक जमा	32.73%
बीमाकर्ता प्रबंधित निधियाँ	1.62%
अन्य	5.59%
योग	100.00%

प्रमुख बीमांकिक आकलन;

विवरण	**भविष्य निधि**	
	चालू वर्ष	**पिछला वर्ष**
बट्टा दर	7.78%	7.27%
सुनिश्चित प्रतिलाभ	8.65%	8.80%
पलायन दर	2.00%	2.00%
वेतन वृद्धि	5.00%	5.00%
मृत्यु दर सारणी	IALM (2006-08) ULTIMATE	IALM (2006-08) ULTIMATE

एसबीआई कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत देयता पर सुनिश्चित प्रतिलाभ दर लागू है, जो नीचे बताई गई दो दरों में से किसी से कम नहीं होगी :

क. पूर्ववर्ती वर्ष (पूर्ववर्ती 31 मार्च को समाप्त) में बारह माह के लिए नई सावधि जमाओं के लिए बैंक द्वारा उद्धृत औसत मानक दर (एक चौथाई प्रतिशत ऊपर या नीचे समायोजित) से आधा प्रतिशत अधिक : या च

ख. तीन प्रतिशत वार्षिक, बशर्ते कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाए।

ii. नियत अंशदान योजना

01 अगस्त 2010 या उसके बाद बैंक की सेवा में आने वाले सभी श्रेणी

के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए बैंक ने नियत अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) लागू की है। इस योजना का प्रबंधन नई पेंशन योजना (एनपीएस) न्यास द्वारा पेन्शन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के तत्त्वावधान में किया जाता है। एनपीएस के लिए, राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. को केंद्रीय रिकार्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹ 390.00 करोड़ का अंशदान किया (पिछले वर्ष ₹ 218.15 करोड़ था)।

iii. दीर्घावधि कर्मचारी- हितलाभ (अनिधिकृत देयताएँ)

क. संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ (अर्जित अवकाश)

निम्नलिखित तालिका में बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार संचयी क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों (अर्जित अवकाश) की स्थितियां दर्शायी गई है

(₹ करोड़ में)

	संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ (अर्जित अवकाश)	
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
परिभाषित हितलाभ दायित्व की वर्तमान राशि में बदलाव		
1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार परिभाषित प्रारंभिक हितलाभ दायित्व	4,754.10	4,375.49
वर्तमान सेवा लागत	208.26	212.74
ब्याज लागत	432.03	343.91
अधिग्रहण में हस्तांतरित हुए देयता	1,188.49	-
बीमांकिक हानियां/(लाभ)	593.08	397.82
प्रदत्त लाभ	(933.78)	(575.86)
31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार इतिशेष परिभाषित निवल देयता	6,242.18	4,754.10
लाभ एवं हानि खाते में शामिल निवल लागत		
वर्तमान सेवा लागत	208.26	212.74
ब्याज लागत	432.03	343.91
बीमांकिक (लाभ)/हानियां	593.08	397.82
अनुसूची 16 -ठख्रस्व्झ्ड्द्र्श को भुगतान एवं उनके लिए ख्र्त्रठ्ठद्द ठ्ठक्ड में शामिल परिभाषित हितलाभ योजनाओं की कुल लागत	1,233.37	954.47
तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित प्रारंभिक एवं अंतिम निवल देयता / (आस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक निवल देयता	4,754.10	4,375.49
उपरोक्तानुसार व्यय	1,233.37	954.47
अधिग्रहण में हस्तांतरित हुए देयता	1,188.49	
नियोजक का अंशदान	-	-
नियोजक द्वारा प्रदत्त प्रत्यक्ष लाभ	(933.78)	(575.86)
तुलन-पत्र में शामिल निवल देयता/ (आस्ति)	6,242.18	4,754.10

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	7.78%	7.27%
वेतन वृद्धि	5.00%	5.00%
पलायन दर	2.00%	2.00%
मृत्यु दर सारणी	IALM (2006-08) ULTIMATE	IALM (2006-08) ULTIMATE

ख. अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ के लिए ₹ (-) 63.95 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 46.94 करोड़) की राशि का प्रावधान/(अपलेखन) किया गया तथा इसे लाभ एवं हानि लेखा में ठख्रस्व्झ्ड्द्र्श को भुगतान एवं उनके लिए ख्र्त्रठ्ठद्द ठ्ठक्ड शीर्ष में शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ के लिए किए गए प्रावधान का विवरण:

(₹ करोड़ में)

क. सं.	दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	अवकाश यात्रा एवं गृह यात्रा छूट (नकदीकरण/उपयोग)	(10.88)	15.10
2	रुग्ण अवकाश	-	-
3	रजत जयंती अवार्ड	(27.87)	30.64
4	अधिवर्षिता पर पुनर्वास व्यय	(13.23)	(0.25)
5	आकस्मिक अवकाश	-	-
6	सेवानिवृत्ति अवार्ड	(11.97)	1.45
	योग	**(63.95)**	**(46.94)**

प्रमुख बीमांकिक अनुमान

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	7.78%	7.27%
वेतन वृद्धि	5.00%	5.00%
पलायन दर	2.00%	2.00%
मृत्यु दर सारणी	IALM (2006-08) ULTIMATE	IALM (2006-08) ULTIMATE

ग. लेखा मानक - 17 'खंडवार सूचना'

1. खंड अभिनिर्धारण

I) प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

निम्नलिखित बैंक के प्राथमिक खंड है:

- खजाना (ट्रेजरी)

- कारपोरेट/थोक बैंकिंग

- खुदरा बैंकिंग

- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

बैंक की वर्तमान लेखा एवं सूचना प्रणाली में उपरोक्त खंडों के लिए अलग से आंकड़े संग्रहण व एक्ट्रेक्ट करने की व्यवस्था नहीं है। तथापि, वर्तमान आंतरिक, संगठनात्मक तथा प्रबंधकीय रिपोर्टिंग संरचना एवं प्राथमिक खंडों में निहित जोखिम व प्रतिलाभ के आधार पर निम्नलिखित के अनुसार उनकी गणना की गई है :-

i) **ट्रेजरी-** ट्रेजरी खंड में संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी विनिमय व डेरिवेटिव्स संविदाओं में ट्रेडिंग शामिल हैं। ट्रेजरी खंड की आय में मुख्य रूप से फीस तथा ट्रेडिंग परिचालनों से होने वाले लाभ या हानि तथा निवेश पोर्टफोलियो की ब्याज-आय शामिल होती है।

ii) **कारपोरेट/थोकबैंकिंग-** कारपोरेट/थोक बैंकिंग खंड में कारपोरेट लेखा समूह, मध्य कारपोरेट लेखा समूह तथा तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह की ऋण गतिविधियाँ शामिल हैं। इनमें कॉर्पोरेट और संस्थागत ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली ऋण व लेन-देन सेवाएँ तथा विदेश स्थित कार्यालयों के गैर-कोष परिचालन भी शामिल हैं।

iii) **खुदरा बैंकिंग-** खुदरा बैंकिंग खंड में राष्ट्रीय बैंकिंग समूह की शाखाएँ आती हैं, इन शाखाओं की गतिविधियों में राष्ट्रीय बैंकिंग समूह से संबद्ध कॉरपोरेट ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराने सहित वैयक्तिक बैंकिंग गतिविधियाँ शामिल हैं। इस खंड में एजेंसी व्यवसाय व एटीएम भी शामिल हैं।

iv) **अन्य बैंकिंग व्यवसाय**
उपर्युक्त (i) से (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत न किए गए खंड इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं।

II) द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

i) देशीय परिचालन- भारत में परिचालित शाखाएँ/कार्यालय।

ii) विदेशी परिचालन- भारत के बाहर परिचालित शाखाएँ/कार्यालय तथा भारत में परिचालन करने वाली समुद्र पारीय बैंकिंग इकाइयाँ।

III) अंतर-खंडीय अंतरणों का मूल्य-निर्धारण

खुदरा बैंकिंग खंड मूलतः प्राथमिक संसाधन संग्रहण इकाई है। कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग एवं ट्रेजरी खंड, खुदरा बैंकिंग खंड से ही निधियाँ प्राप्त करते हैं। बाजार संबद्ध निधि अंतरण मूल्यन (एमआरएफटीपी) का अनुसरण किया जाता है, इसके अंतर्गत निधीयन केंद्र (फंडिंग सेंटर) नामक एक अलग इकाई बनाई गई है। निधीयन केंद्र, व्यवसाय इकाइयों द्वारा जमाओं या उधारियों के रूप उगाही गई निधियों को कल्पित (नोशनल) रूप से खरीदता है तथा आस्ति सृजन में लगी व्यवसाय इकाइयों को कल्पित विक्रय करता है।

IV) व्यय, आस्तियों और देयताओं का आबंटन

सीधे कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग एवं खुदरा बैंकिंग परिचालनों अथवा राजकोषीय परिचालन खंड से संबंधित कॉरपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं में किए गए खर्च को उसी अनुसार आबंटित किया गया है। सीधे-सीधे न जुड़े हुए खर्च को प्रत्येक खंड के कर्मचारियों की संख्या/सीधे संबंध रखने वाले व्यय के अनुपात के आधार पर आंबटित किया गया है। बैंक में कुछ ऐसी सामान्य आस्तियाँ और देयताएँ होती हैं जिन्हें किसी खंड में शामिल नहीं किया जा सकता, उन्हें अन-आबंटित श्रेणी में रखा गया है।

2. खंडवार सूचना

भाग क: प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

(₹ करोड़ में)

व्यवसाय खंड	ट्रेजरी	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग	खुदरा बैंकिंग	अन्य बैंकिंग परिचालन	योग
आय #	82,020.76	63,280.84	1,11,809.55	-	2,57,111.15
	(63,551.80)	(60,676.63)	(84,411.17)	(-)	(2,08,639.60)
अन-आबंटित आय #					2,552.68 (2339.57)
कुल आय					2,59,663.83 (2,10,979.17)
परिणाम #	48.05 (14,043.57)	38,498.98 (-18,192.09)	19,412.16 (20,864.26)	- (-)	-19,038.77 (16,715.74)
जोंड़े: अपवादात्मक मदें	5,436.17 (-)	- -	- -	- -	5,436.17 -
परिणाम (अपवादात्मक मदों के पश्चात)	5,484.22 (14,043.57)	-38,498.98 (-18,192.09)	19,412.16 (20,864.26)	- -	-13,602.60 (16,715.74)

(₹ करोड़ में)

व्यवसाय खंड	ट्रेजरी	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग	खुदरा बैंकिंग	अन्य बैंकिंग परिचालन	योग
अन-आबंटित आय (+) / व्यय (-) - निवल #					-1,925.64 (-1860.58)
कर पूर्व लाभ #					- 15,528.24 (14,855.16)
कर #					- 8,980.79 (4,371.06)
असाधारण लाभ #					निरंक निरंक
निवल लाभ #					-6,547.45 (10,484.10)
अन्य सूचना :					
खंड आस्तियां *	(8,04,449.56)	(9,31,293.68)	(9,54,597.65)	(-)	34,23,431.82 (26,90,340.89)
अन-आबंटित आस्तियां *					31,320.18 (15,625.41)
कुल आस्तियां *					34,54,752.00 (27,05,966.30)
खंड देयताएं *	8,19,731.87	10,48,664.62	13,11,134.57	-	31,79,531.06
	(6,08,747.16)	(8,44,527.74)	(9,97,848.30)	(-)	(24,51,123.20)
अन-आबंटित देयताएँ*					56,092.38 (66,557.04)
कुल देयताएँ *					32,35,623.44 (25,17,680.24)

(कोष्ठक के आंकड़ें पिछले वर्ष के हैं)

भाग ख : द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

(₹ करोड़ में)

	देशीय		विदेशी		योग	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय #	2,48,361.36	2,00,296.31	11,302.47	10,682.86	2,59,663.83	2,10,979.17
परिणाम #	- 7,891.83	7,637.52	1,344.38	2,846.58	- 6,547.45	10,484.10
आस्तियाँ*	30,69,761.21	23,45,534.83	3,84,990.79	3,60,431.47	34,54,752.00	27,05,966.30
देयताएँ *	28,50,632.65	21,57,248.77	3,84,990.79	3,60,431.47	32,35,623.44	25,17,680.24

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

* 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार

घ. संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

1 संबंधित पक्ष

क. अनुषंगियाँ

i. विदेशी बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. कॉमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मास्को
2. बैंक एसबीआई (बोत्सवाना) लिमिटेड
3. एसबीआई कनाडा बैंक
4. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया)
5. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड
6. एसबीआई (मॉरीशस) लि.
7. पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया
8. नेपाल एसबीआई बैंक लि.

iii. देशीय गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड
2. एसबीआईकैप सिक्युरिटीज लि.
3. एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लि.
4. एसबीआईकैप वैंचर्स लि.
5. एसबीआईडी डीएफएचआई लिमिटेड
6. एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.
7. एसबीआई इन्फ्रा मैनेजमेंट सोल्यूशन्स प्रा. लि.
8. एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि.
9. एसबीआई पेमेंटस सर्विसेज प्रा. लि.
10. एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लि.
11. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
12. एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
13. एसबीआई कार्ड्स एण्ड पेमेंट्स सर्विसेज प्रा. लि.
14. एसबीआई बिजनस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि. (दिनांक 15.12.2017)
    (इसे पहले जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विस प्रा. लि. कहा जाता था)
15. एसबीआई- एसजी ग्लोबल सिक्यूरीटीज सर्विसेज प्रा.लि.
16. एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.
17. एसबीआई फाउंडेशन

iv. विदेशी गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. एसबीआईकैप (सिंगापुर) लि.
2. एसबीआई कैप (यूके) लि.
3. एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्रा. लि.
4. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्विकोस लिमिटाडा
5. नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिंग लिमिटेड

ख. संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियाँ

1. सी-ऐज टेकनोलॉजीज़ लि.
2. जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा.लि. (14.12.2017 तक)
3. एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
4. एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.
5. मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
6. मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.
7. ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-मैनजमेंट कंपनी प्रा. लि.
8. ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.
9. जियो पेमेंट्स बैंक लि.

ग. सहयोगी

i. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
2. अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक
3. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक
4. इलाकाई देहाती बैंक
5. लंगपी देहांगी रूरल बैंक
6. मध्यांचल ग्रामीण बैंक
7. मेघालय ग्रामीण बैंक
8. मिजोरम रूरल बैंक
9. नागालैंड रूरल बैंक‘
10. पूर्वांचल बैंक
11. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
12. उत्कल ग्रामीण बैंक
13. उत्तराखंड ग्रामीण बैंक
14. वनांचल ग्रामीण बैंक
15. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक
16. तेलंगाना ग्रामीण बैंक
17. कावेरी ग्रामीण बैंक
18. मालवा ग्रामीण बैंक

ii. अन्य

1. एसबीआई होम फाइनैंस लिमिटेड (परिसमापन के अधीन)
2. क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3. बैंक ऑफ भूटान-लिमिटेड

घ. बैंक के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

1. श्री रजनीश कुमार, अध्यक्ष (07.10.2017 से)
2. श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य (06.10.2017 तक)
3. श्री रजनीश कुमार, प्रबंध निदेशक (कॉरपोरेट बैंकिंग समूह) (06.10.2017 तक)
4. श्री पी. के. गुप्ता, प्रबंध निदेशक (रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग)
5. श्री दिनेश कुमार खारा, प्रबंध निदेशक (जोखिम, आईटी एवं अनुषंगियाँ)
6. श्री बी. श्रीराम प्रबंध, निदेशक प्रबंध निदेशक (कॉरपोरेट एवं ग्लोबल बैंकिंग समूह)

2. वर्ष के दौरान जिन पक्षकारों के साथ लेनदेन किए गए

लेखा मानक लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अंतर्गत ''सरकार-नियंत्रित उद्यम'' के संबंधित पक्ष के संबंध में कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त, लेखा मानक 18 के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के संबंधियों सहित बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति वाले लेनदेनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

3. लेनदेन एवं शेष राशियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक एवं उनके संबंधी	योग
31 मार्च को बकाया			
उधार राशि	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
जमा राशि	44.22	निरंक	44.22
	(14.91)	(निरंक)	(14.91)
अन्य देयताएँ	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
बैंकों में अधिशेष	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
अग्रिम	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
निवेश	67.66	निरंक	67.66
	(81.15)	(निरंक)	(81.15)
गैर-निधि दायित्व (एलसी/बीजी)	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया			
उधार राशि	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
जमा राशि	205.68	निरंक	205.68
	(29.17)	(निरंक)	(29.17)

(₹ करोड़ में)

विवरण	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक एवं उनके संबंधी	योग
अन्य देयताएँ	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
बैंकों में अधिशेष	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
अग्रिम	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
निवेश	77.10	निरंक	77.10
	(81.15)	(निरंक)	(81.15)
गैर-निधि प्रतिबद्धता (एलसी/बीजी)	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
31 मार्च को समाप्त वर्ष के दौरान			
ब्याज आय	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
ब्याज व्यय	0.09	निरंक	0.09
	(0.18)	(निरंक)	(0.18)
लाभांश से अर्जित आय	29.24	निरंक	29.24
	(33.83)	(निरंक)	(33.83)
अन्य आय	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
अन्य व्यय	7.66	निरंक	7.66
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
भूमि/भवन व अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ/(हानि)	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
प्रबंधन संविदाएँ	निरंक	2.05	2.05
	(निरंक)	(1.39)	(1.39)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़ें पिछले वर्ष के हैं)
वर्ष के दौरान संबंधित पक्षकार लेनदेन बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं।

ङ लेखा-मानक - 19 "पट्टे"

परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों का ब्योरा नीचे दिया गया है:

परिचालन पट्टे पर परिसरों में मुख्यतः कार्यालय परिसर और स्टाफ आवास शामिल हैं, इन पट्टों को नवीकृत करने का विकल्प बैंक के पास है :-

(i) गैर-निरस्तीकरण योग्य परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों की देयता का ब्योरा नीचे प्रस्तुत किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
1 वर्ष तक	163.35	282.78
1 वर्ष से 5 वर्ष तक	535.88	1,145.19
5 वर्ष के पश्चात	246.15	303.09
योग	**945.38**	**1,731.06**

(ii) परिचालन पट्टों के संबंध में लाभ एवं हानि खाते में शामिल की गई राशि ₹ 3,244.23 करोड़ (पिछले वष ₹ 2,582.72 करोड़) है।

च. लेखा मानक-20 'प्रति शेयर उपार्जन'

बैंक, लेखा मानक 20, "प्रति शेयर उपार्जन" के अनुसार प्रत्येक इक्विटी शेयर पर मूल और कम की गई आय रिपोर्ट करता है। प्रतिशेयर "मूलआय" की गणना, वर्ष के दौरान, कर पश्चात निवल आय को बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर निकाली गई है।

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मूल तथा कम किए गए		
वर्ष के प्रारंभ में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	797,35,04,442	776,27,77,042
वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयरों की संख्या	95,10,83,092	21,07,27,400
वर्ष के अंत तक बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	892,45,87,534	797,35,04,442
प्रति शेयर मूल आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	853,30,51,135	780,37,67,851
प्रति शेयर कम की गई आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयरों की संख्या	853,30,51,135	780,37,67,851
निवल लाभ (₹ करोड़ में)	(6,547.45)	10,484.10
प्रति शेयर मूल आय (₹)	(7.67)	13.43
प्रति शेयर कम की गई आय (₹)	(7.67)	13.43
प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य (₹)	1	1

छ. लेखा मानक- 22 'आय पर कर का लेखांकन'

क. वर्तमान कर:-

बैंक ने वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खाते से ₹ 673.54 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4,165.83 करोड़) वर्तमान कर के रूप में डेबिट किए हैं। भारत में वर्तमान कर की गणना, विदेशी अधिकार क्षेत्र में भुगतान किए गए कर के लिए उपयुक्त छूट प्राप्त कर लेने के बाद आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

ख. आस्थगित कर:-

बैंक ने वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खाते से ₹ 9,654.33 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 337.78 करोड़) आस्थगित कर के रूप में डेबिट किए हैं।

बैंक की बकाया निवल आस्थगित कर देयता (डीटीएल) ₹ 11,365.99 करोड़ (पिछले वर्ष निवल डीटीएल ₹ 2,561.87 करोड़) रही, जिसमें 'अन्य देयताएं एवं प्रावधान' के अंतर्गत ₹ 2.80 करोड़ (पिछले वर्ष निवल डीटीएल ₹ 2,989.77 करोड़) की डीटीएल तथा 'अन्य आस्तियाँ' के अंतर्गत ₹ 11,368.79. करोड़ (पिछले वर्ष निवल डीटीए ₹ 427.90 करोड़) की 'आस्थगित कर आस्तियां' (टीडीए) शामिल है। डीटीए और डीटीएल की प्रमुख मदों का ब्योरा नीचे प्रस्तुत किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर आस्तियाँ (डीटीए)		
दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	3,454.26	2,332.20
मानक आस्तियों के लिए प्रावधानर	4,197.64	2,564.22
अन्य आस्तियों/अन्य देयताओं के लिए प्रावधान	743.57	724.65
बट्टे का परिशोधन	-	2.26
संचित हानि पर (पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों सहित)	13,862.05	-
विदेशी कार्यालयों से	317.04	427.91
योग	22,574.56	6,051.24
आस्थगित कर देयताएँ (डीटीएल)		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	83.36	219.73
प्रतिभूतियों पर ब्याज प्रोद्भूत किंतु देय नहीं	6,315.01	4,305.62
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(viii)के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	4,690.10	3,522.29
विदेशी कार्यालयों से	2.80	2.19
विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि पर	117.30	563.28
योग	11,208.57	8,613.11
निवल आस्थगित कर आस्तियाँ / (देयताएँ)	11,365.99	(2,561.87)

$ वर्ष के दौरान, बैंक ने आईआरसीए मानदंडों के अनुसार मानक आस्तियों पर प्रावधान करने के संबंध में आस्थगित कर आस्तियों के लिए ₹ 2,461.40 करोड़ निर्धारित किए हैं जिसे अब तक इस वर्ष के परिणामों के अनुवर्ती प्रभाव से आस्थगित कर आस्ति के रूप में नहीं समझा गया है।

ज. लेखा मानक - 27 'संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में निवेश'

निवेशों में ₹ 67.66 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 78.17 करोड़) शामिल हैं जो संयुक्त रूप से नियंत्रित निम्नलिखित कंपनियों में बैंक के हिस्से को दर्शाता है:

क्र. सं.	कंपनी का नाम	राशि ₹ करोड़ में	देश	धारिता %
1	सी-ऐज टेक्नोलॉजीज़ लि.	4.90 (4.90)	भारत	49%
2	एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	18.57 (18.57)	भारत	45%

क्र. सं.	कंपनी का नाम	राशि ₹ करोड़ में	देश	धारिता %
3	एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज प्रा. लि.	0.03 0.03	भारत	45%
4	मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	2.25 (2.25)	सिंगपुर	45%
5	मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज लि.#	- (1.07)	बरमुडा	45%
6	ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड- मैनजमेंट कंपनी प्रा. लि.	2.30 (2.30)	भारत	50%
7	ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.	0.01 (0.01)	भारत	50%
8	जियो पेमेंट्स बैंक	39.60 (39.60)	भारत	30%

एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि. के माध्यम से अप्रत्यक्ष होल्डिंग के आधार पर कम्पनी ने 31 मार्च, 2017 तक किए गए निवेश पर 100% प्रावधान किया है। (कोष्ठकों में दिए गए आंकड़ें पिछले वर्ष के हैं)

वर्ष के दौरान बैंक ने जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट लि. में अपने अंश को 40% से 74% तक बढा दिया है। इस वृद्धि के बाद, यह संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई से बैंक की अनुषंगी बन गई है।

लेखांकन मानक 27 की अपेक्षा के अनुरूप, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में बैंक के हिस्से से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताओं व प्रतिबद्धताओं की कुल राशि निम्नानुसार दर्शाई गई है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 18 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 17 की स्थिति के अनुसार
देयताएँ		
पूंजी और आरक्षितियाँ	153.26	230.72
जमा-राशियाँ	-	-
उधार-राशियाँ	0.60	9.93
अन्य देयताएँ एवं प्रावधान	53.57	118.74
योग	207.43	359.39
आस्तियाँ		
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा-राशियाँ	0.02	0.02
बैंकों में जमा-राशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	68.86	139.84
निवेश	49.47	54.65
अग्रिम	-	-
अचल आस्तियाँ	8.91	44.68
अन्य आस्तियाँ	80.17	120.20
योग	207.43	359.39

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 18 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 17 की स्थिति के अनुसार
पूँजी प्रतिबद्धताएँ	-	-
अन्य आकस्मिक देयताएँ	1.28	1.52
आय		
अर्जित ब्याज	4.13	9.14
अन्य आय	184.18	366.32
योग	188.31	375.46
व्यय		
व्यय किया गया ब्याज	0.23	0.71
परिचालन व्यय	119.34	299.69
प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ	20.24	23.91
योग	139.81	324.31
लाभ	48.50	51.15

ज. लेखा मानक - 28 'आस्तियों की क्षति'

प्रबंधन की दृष्टि में, वर्ष के दौरान, आस्तियों की क्षति का कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया जिस पर लेखा मानक 28 - "आस्तियों की क्षति" लागू होती हो।

झ. आकस्मिक देयताओं का विवरण (लेखांकन मानक 29)

क्र. सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1	बैंक के विरुद्ध दावे जो ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं हैं।	व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में बैंक विभिन्न कार्यवाहियों में एक पक्ष है। बैंक आशा नहीं करता कि इन कार्यवाहियों के परिणाम स्वरूप बैंक की वित्तीय स्थितियों, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाह पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कुछ मामलों में कर निर्धारण अपीलें विचाराधीन हैं तथा बैंक उन विभिन्न मामलों में भी एक पक्ष है।
2	अंशतः प्रदत्त निवेशों/उद्यम निधि पर देयताएँ	यह मद, अंशतः चुकता निवेशों के लिए चुकता न की गई शेष राशि की देयता को दर्शाती है। इसमें जोखिम पूंजी निधियों हेतु अनाहरित प्रतिबद्धताएं भी शामिल हैं।
3	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएँ	बैंक अपने सामान्य व्यावसायिक कार्यकलाप के भाग के रूप में, भविष्य की किसी तारीख को पूर्व-निर्धारित दर पर मुद्रा परिवर्तन के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाएं करता है। वायदा मुद्रा विनिमय संविदाएँ, संविदागत दर पर निर्धारित तारीख को विदेशी मुद्रा खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्धता होती है। कल्पित राशि को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया जाता है। अपने ग्राहकों के साथ किए गए लेनदेन के संबंध में संतुलन साधने के लिए सामान्यतः बैंक अंतर-बैंक बाजार में प्रतिसंतुलन लेनदेन करता है। इसका परिणाम बड़ी संख्या में बकाया लेनदेन होता है, और इसलिए संविभाग की सकल कल्पित मूल राशि की मात्रा भी बहुत बढ़ जाती है, जबकि निवल बाजार जोखिम बहुत कम होता है।

क्र. सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
4	ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ, स्वीकृतियाँ, परांकन तथा अन्य दायित्व	अपनी सामान्य वाणिज्यिक बैंकिंग कार्यकलापों के एक भाग के रूप में बैंक, अपने ग्राहकों की ओर से प्रलेखी ऋण तथा गारंटियाँ जारी करता है। प्रलेखी ऋण से बैंक के ग्राहकों की ऋण-अवस्थिति बढ़ती है। गारंटियाँ सामान्यतः बैंक की ओर से अप्रतिसंहरणीय (जिसे वापस न लिया जा सके) आश्वासन होता है कि यदि ग्राहक अपने वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल रहता है तो बैंक उनका भुगतान करेगा।
5	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है।	बैंक अपने लिए तथा ग्राहकों की ओर से अंतर-बैंक सहभागियों के साथ मुद्रा ओपशंस, वायदा दर करार, विदेशी मुद्रा विनिमय तथा ब्याज दर स्वैप में शामिल होता है। मुद्रा स्वैप, पूर्व-निर्धारित दरों के आधार पर ब्याज/मूल राशि के माध्यम से एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में विनिमय का नकदी प्रवाहों के परिवर्तन की प्रतिबद्धता हैं। ब्याज दर स्वैप, ब्याज की स्थिर तथा अस्थिर दर नकदी प्रवाहों के विनिमय की प्रतिबद्धताएँ हैं। आकस्मिक देयताएँ, संविदाओं के ब्याज अंश की गणना के लिए बेंचमार्क के रूप में प्रयोग की जाने वाली विशिष्ट राशियाँ हैं। आगे, इसमें संविदाओं की ऐसी अनुमानित राशि भी शामिल है जो पूंजी खाते में डाली जानी है और जिसका प्रावधान नहीं किया गया, बैंक द्वारा सहयोगियों एवं अनुषंगियों की ओर से जारी चुकौती आश्वासन पत्र, जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि खाते के अंतर्गत बैंक की देयताएँ और अन्य विविध आकस्मिक देयताएँ भी शामिल हैं।

उपर्युक्त आकस्मिक देयताएँ यथास्थिति, न्यायालय/पंचाट/ न्यायालय के बाहर समझौते, अपीलों के निपटान, राशियों की मांग, संविदागत बाध्यताओं की शर्तों, संबंधित पक्षों द्वारा माँग और उसे उद्भूत करने के दायित्व पर आधारित हैं।

ट. आकस्मिक देयताओं के प्रति प्रावधानों में उतार-चढ़ाव

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आरंभिक अधिशेष	423.34	401.10
पूर्व सहयोगी बैंकों तथा भारतीय महिला बैंक के अधिग्रहण पर अधिगृहीत	705.60	98.27
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	227.64	2.10
वर्ष के दौरान उपयोग न की गई राशि की वापसी	398.14	73.93
इतिशेष	503.16	423.34

18.10 अतिरिक्त प्रकटन

1. प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ लाभ एवं हानि खाते में शामिल की गई प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कराधान हेतु प्रावधान		
- वर्तमान कर	673.54	4,165.83
- आस्थगित कर	-9,654.33	337.78
- आय कर का प्रतिलेखन	-	-132.54
निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	8,087.58	298.39
अलाभकारी आस्तियों के लिए प्रावधान	71,374.22	32,905.63
पुनर्रचित आस्तियों के लिए प्रावधान	-693.99	-658.94
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	-3,603.66	2,499.64
अन्य प्रावधान	-124.95	948.00
योग	**66,058.41**	**40,363.79**

2. अस्थिर प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आरंभिक अधिशेष	25.14	25.14
पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों तथा भारतीय महिला बैंक के अधिग्रहण पर अधिगृहीत	168.61	-
वर्ष के दौरान आहरण	-	-
इतिशेष	193.75	25.14

3. आरक्षित निधि से आहरण

वर्ष के दौरान, आरक्षित निधि से कोई आहरण नहीं किया गया।

4. शिकायतों की स्थिति:

क. ग्राहक शिकायतें (एटीएम से संबंधित शिकायतों सहित)

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	46,282	15,335
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	21,59,700	14,68,471
वर्ष के दौरान समाधान की गई शिकायतों की संख्या	21,26,723	14,37,524
वर्ष के अंत में विचाराधीन शिकायतों की संख्या	79,259	46,282

ख. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय:

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	3	-
वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	78	42
वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	73	39
वर्ष के अंत तक कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	8	3

5. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006, के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को भुगतान

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को मूल राशि या ब्याज के विलम्बित भुगतान का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है।

6. चुकौती आश्वासन पत्र :

बैंक ने कोई चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है और इन्हें 31 मार्च, 2018 और 31 मार्च, 2017 को आकस्मिक देयताएं के रूप में रिकार्ड नहीं किया गया है।

7. प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (पीसीआर):

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार बैंक सकल अनर्जक आस्तियाँ अनुपात हेतु 66.17-% का प्रावधान किया गया। (पिछला वर्ष 65.95%)

8. बैंक-बीमा व्यवसाय के संबंध में प्राप्त फीस/पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	714.75	491.55
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	212.57	107.20
मनु लाइफ फाइनैंसियल लि. एवं एनटीयूसी	1.05	0.86
टोकियो मैरिन, एसीई	0.32	0.05
यूनिट ट्रस्ट	0.26	0.04
एआईए सिंगापुर	0.07	0.14
योग	**929.02**	**599.84**

9. जमा राशियों, अग्रिम जोखिमों एवं अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण (आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार गणना)

क. जमा राशियों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बारह सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियाँ	1,19,585.93	1,24,740.17
बैंक की कुल जमाराशियों में बारह जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	4.42%	6.10%

ख. अग्रिमों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बारह सबसे बड़े ऋणकर्ताओं को कुल ऋण राशि	1,95,211.00	1,82,031.00
बैंक की कुल जमाराशियों में बारह ऋणकर्ताओं के ऋण का प्रतिशत	7.91%	11.19%

ग. जोखिमों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
सबसे बड़े बारह उधारकर्ताओं/ग्राहकों का कुल ऋण-जोखिम	3,65,809.00	3,98,050.00
बैंक के कुल जोखिमों में सबसे बड़े बारह उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के कुल ऋण-जोखिम का प्रतिशत	12.11%	14.67%

घ. अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
सबसे बड़े चार अनर्जक आस्ति खातों का कुल ऋण-जोखिम	38,239.70	21,901.53

10. क्षेत्र-वार अग्रिम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियाँ	इस क्षेत्र में सकल अनर्जक आस्तियों की तुलना में कुल अग्रिमों का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियाँ	इस क्षेत्र में सकल अनर्जक आस्तियों की तुलना में कुल अग्रिमों का प्रतिशत
क.	**प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र**						
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	188,502.88	20,964.77	11.12	1,30,231.77	7,354.64	5.65
2	उद्योग (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम तथा बड़े)	99,386.61	16,020.84	16.12	78,050.67	11,536.03	14.78
3	सेवाएँ	74,363.81	7,339.66	9.87	53,723.75	2,378.55	4.43
4	वैयक्तिक ऋण	104,507.85	3,332.33	3.19	89,888.59	972.64	1.08
	उप-योग (क)	466,761.15	47,657.60	10.21	3,51,894.78	22,241.86	6.32
ख.	**गैर-प्राथमिकता प्राप्त**						
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	3,753.61	301.93	8.04	2,692.79	99.26	3.69
2	उद्योग (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम तथा बड़े)	906,557.34	162,784.99	17.96	7,89,932.27	82,086.39	10.39
3	सेवाएं	220,925.77	9,264.85	4.19	1,70,032.85	6,704.73	3.94
4	वैयक्तिक ऋण	450,389.43	3,418.09	0.76	3,12,724.85	1,210.75	0.39
	उप-योग (ख)	1,581,626.15	175,769.86	11.11	12,75,382.76	90,101.13	7.06
ग.	**योग (क)+(ख)**	2,048,387.30	223,427.46	10.91	16,27,277.54	1,12,342.99	6.90

11. विदेशों में आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियाँ तथा आय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	कुल आस्तियाँ	3,84,990.79	3,60,431.47
2	कुल अनर्जक आस्तियाँ (सकल)	7,199.29	6,794.16
3.	कुल राजस्व	11,302.47	10,682.86

12. तुलन-पत्र बाह्य प्रायोजित की गई विशेष प्रयोजन संस्थाएं (एसपीवी)

(₹ करोड़ में)

	प्रायोजित विशेष प्रयोजन संस्था (एसपीवी) का नाम	
	देशीय	विदेशी
चालू वर्ष	निरंक	निरंक
पिछला वर्ष	निरंक	निरंक

13. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की संख्या	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
3.	तुलन पत्र की तारीख को एमएमआर अनुपालन में बैंक द्वारा रखी गई कुल जोखिम राशि	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	क. तुलन पत्र बाह्य जोखिम				
	i. प्रथम हानि				
	ii. अन्य				
	ख. तुलन पत्र जोखिम				
	i. प्रथम हानि				
	ii. अन्य				
4.	एमएमआर से अतिरिक्त प्रतिभूतिकरण लेनदेन से संबंधित जोखिम की राशि	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	क) तुलन पत्र बाह्य जोखिम				
	i. अपनी आस्तियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम				
	1. प्रथम हानि				
	2. अन्य				
	ii. अन्य पक्ष प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम				
	1. प्रथम हानि				
	2. अन्य				
	ख. तुलन पत्र जोखिम				
	i. अपनी आस्तियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम				
	1. प्रथम हानि				
	2. अन्य				
	ii. अन्य पक्ष आस्तियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम				
	1. प्रथम हानि				
	2. अन्य				

14. ऋण चूक स्वैप

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		संरक्षण क्रेता रूप में	संरक्षण विक्रेता रूप में	संरक्षण क्रेता रूप में	संरक्षण विक्रेता रूप में
1.	वर्ष के दौरान हुए लेन-देन की संख्या क. इनमें से जो भौतिक रूप से निपटाएं गए/जाएंगे ख. नकद निपटान	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2.	वर्ष के दौरान क्रय/विक्रय किए गए संरक्षण की राशि क. इनमें से जो भौतिक रूप से निपटाएं गए/जाएंगे ख. नकद निपटान	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
3.	वर्ष के दौरान लेन-देन की संख्या प्राप्त/प्रदत्त की गई क्रेडिट इवेंट क. चालू वर्ष से संबंधित ख. पिछले वर्ष (वर्षों) से संबंधित	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
4.	अब तक पिछले वर्ष दौरान सीडीएस लेनदेन से संबंधित निवल आय/लाभ (खर्च/हानि) क. अदा किया गया/प्राप्त किया गया प्रीमियम ख. क्रेडिट इवेंट भुगतान : * अदा (आस्तियों के मूल्य की वसूली का निवल) * प्राप्त (पूर्तियोग्य प्रतिबद्धता के मूल्य का निवल)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
5.	31 मार्च को बकाया लेनदेन क. लेनदेनों की संख्या ख. संरक्षण की राशि	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
6.	वर्ष के दौरान लेनदेन का उच्चतम बकाया क. लेनदेनों की संख्या (1 अप्रैल को) ख. संरक्षण की मात्रा (1 अप्रैल को)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

15. अंतरा-समूह एक्सपोज़र

(₹ करोड़ में)

	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i.	अंतरा-समूह एक्सपोजर की कुल राशि	25,469.43	23,296.28
ii.	शीर्ष बीस अंतरा-समूह एक्सपोजर की कुल राशि	25,469.43	23,296.28
iii.	बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों के संबंध में कुल एक्सपोजर की तुलना में अंतरा-समूह एक्सपोजर का प्रतिशत	0.84%	0.86%
iv.	अंतरा-समूह एक्सपोजर की सीमाओं के उल्लंघन तथा उन पर की गई विनियामक कार्रवाई का विवरण	निरंक	निरंक

16. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ़) को अंतरित की गई दावा न की गई देयताएँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
डीईएएफ को अंतरित राशियों का अधिशेष	1,081.42	880.92
जमा : वर्ष के दौरान डीईएएफ को राशि हस्तांतरित की गई जिसमें अधिग्रहण पर पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक लि. से प्राप्त राशि शामिल है।	1,050.31	201.64
घटाः दावों की प्रतिपूर्ति के लिए डीईएएफ द्वारा वापिस की गई राशियाँ	6.11	1.14
डीईएएफ को अंतरित राशियों का इतिशेष	2,125.62	1,081.42

17. बचाव (हेड्ज) किया गया विदेशी मुद्रा एक्स्पोजर

'संस्थाओं को एक्सपोजर हेतु पूंजी एवं प्रावधानीकरण आवश्यकताएँ' पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीओडी संख्या बीपी.बीसी 85/21.06.200 /2013-14 दिनांक 15 जनवरी, 2014 के अनुसार, बैंक ने हेज न किए गए विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए प्रावधान किया।

31 मार्च, 2018 के अनुसार ₹ 86.44 करोड़ की राशि (पिछला वर्ष ₹ 110.74 करोड़) मुद्रा उत्प्रेरित ऋण जोखिम के लिए तथा ₹ 66.49 करोड़ की राशि (पिछला वर्ष ₹ 246.98 करोड़) मुद्रा उत्प्रेरित ऋण जोखिम के लिए पूंजी आबंटन किया गया।

18. चलनिधि सुरक्षा अनुपात (एलसीआर):

चलनिधि सुरक्षा अनुपात (एलसीआर) मानक को इस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया है कि बैंक भार-रहित उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्तर बनाए रखें जिन्हें अत्यधिक गंभीर तरलता दबाव परिदृश्य में 30 कैलेन्डर दिनों की समयावधि के लिए तरलता आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नकदी में बदला जा सके।

एलसीआर को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है:-

'उच्च गुणवत्तायुक्त तरल आस्तियाँ (एचक्यूएलए)' का स्टॉक
अगले 30 कैलेन्डर दिनों में कुल निवल नकदी प्रवाह

तरल आस्तियों में उच्च गुणवत्ता वाली ऐसी आस्तियाँ शामिल है जिन्हें तुरंत नकदी में बदला जा सकता है या दबाव की स्थिति में निधि प्राप्त करने के लिए जिन्हें संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में उपयोग किया जा सकता है। एचक्यूएलए के स्टॉक में दो श्रेणियों की आस्तियों को शामिल किया जाता है, अर्थात स्तर-1 तथा स्तर-2 आस्तियाँ। स्तर-1 0% मार्जिन (हेयरकट) वाली है, स्तर-2ए तथा स्टार-2बी आस्तियाँ क्रमशः 15% तथा 50% हेयरकट वाली हैं। आगामी 30 कलैंडर दिनों के लिए कुल अपेक्षित नकदी प्रवाह में से कुल प्रत्याशित नकदी बर्हिप्रवाह घटाने के बाद कुल निवल नकदी प्रवाह निकाला जाता है। कुल प्रत्याशित नकदी प्रवाह की गणना विभिन्न श्रेणियों के बकाया अधिशेषों या देयताओं के प्रकारों तथा तुलन पत्र बाह्य प्रतिबद्धताओं के प्रत्याशित प्रवाह या आहरण की दर से गुणा करके की जाती है। कुल प्रत्याशित नकदी प्रवाह की गणना संविदागत प्राप्यों की विभिन्न श्रेणियों के बकाया अधिशेषों तथा कुल प्रत्याशित नकदी प्रवाह के कुल 75% की अधिकतम सीमा तक प्रत्याशित प्रवाह की दर से गुणा करके की जाती है।

क. मात्रात्मक प्रकटीकरण :

(₹ करोड़ में)

एसबीआई ग्रुप एलसीआर घटक		मार्च 2018 तिमाही के समाप्ति पर**		31 दिसंबर, 2017 तिमाही के समाप्ति पर		30 सितंबर, 2017 तिमाही के समाप्ति पर		30 जून, 2017 तिमाही के समाप्ति पर		31 मार्च, 2017 तिमाही के समाप्ति पर	
उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
(1)	कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचक्यूएएल)				672,029		658,888		619,383		510,555
नकदी बहिर्गमन											
(2)	फुटकर जमाराशियां और लघु व्यवसाय ग्राहकों से प्राप्त जिनमें:										
	(i) स्थिर जमाराशियाँ	278,238	13,912	290,650	14,532	243,833	12,192	234,526	11,726	190,776	9,539
	(ii) कम स्थिर जमा राशियाँ	1,751,396	175,140	1,724,041	172,404	1,727,038	172,704	1,680,569	168,057	1,327,592	132,759
3)	अप्रतिभूत थोक निधीयन जिनमे से:										
	(i) परिचालन जमा राशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार)	63	16	13	3	0	0	1	0	0	0
	(ii) गैर-परिचालन जमाराशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार)	556,336	327,440	545,715	325,181	561,715	334,075	581,337	340,759	470,093	282,965
	(iii) अप्रतिभूत उधार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4)	प्रतिभूत थोक निधीयन	30,025	0	29,234	0	7,885	0	3,520	0	3,687	0
(5)	अतिरिक्त आवश्यकताएँ, जिनमे से:										
	(i) डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्गमन	150,911	150,911	150,497	150,497	140,940	140,940	151,397	151,397	126,314	126,314
	(ii) उधार उत्पादों पर निधीयन की हानि से संबंधित बहिर्गमन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(iii) ऋण एवं तरलता सुविधाएं	43,416	6,376	48,665	7,254	41,979	6,888	59,524	8,219	78,531	10,964
6	अन्य संविदागत निधीयन दायित्व	39,838	39,838	29,400	29,400	33,360	33,360	28,623	28,623	22,157	22,157
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व	563,500	20,659	563,395	20,686	527,855	19,084	551,619	19,851	465,170	16,683
8	कुल नकदी बहिर्गमन नकदी अंतर्वाह	738,817	3,396,878	723,422	3,299,670	722,703	3,299,662	732,014	3,371,843	742,951	
9	प्रतिभूति ऋणान्वयन (उदाहराणार्थ प्रतिवर्ती रेपों)	0	6,743	0	53,171	0	54,138	0	50,698	0	
10	पूर्णत: निष्पादन करने वाले एक्सपोजर से अंतर्वाह	220,510	202,086	226,044	207,518	227,422	209,011	237,759	214,036	235,209	213,985
11	अन्य नकदी अंतर्वाह	38,779	28,758	39,193	28,656	47,814	36,762	38,784	29,302	40,317	32,989
12	कुल नकदी अंतर्वाह	266,364	230,844	271,980	236,174	328,407	245,773	330,681	243,338	326,224	246,974
13	कुल एचक्यूएलए		674,894		672,029		658,888		619,383		510,555
14	कुल निवल नकदी बहिर्गमन		503,446		483,783		473,470		485,294		354,407
15	चलनिधि सुरक्षा अनुपात (%)		134.05%		138.91%		139.16%		127.63%		144.06%

नोट 1: आरबीआई परिपत्र सं. आरबीआई/2014-15/529 डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.80/21.06.201/2014-15 दिनांक 31 मार्च, 2015 में समाविष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार, औसत भारित और अभारित राशि की गणना 1 जनवरी, 2017 से साधारण दैनिक औसत पर विचार करते हुए और जनवरी-मार्च 2018 तिमाही के लिए 66 डेटा बिन्दुओं को लेते हुए की जानी चाहिए।

नोट 2 : 1 मार्च, 2018 से बैंक ने देशीय एलसीआर की ऑटोमेटेड गणना आरंभ कर दी हैं।

नोट 3 : 31 मार्च, 2017 को समाप्त तिमाही के लिए एलसीआर स्थिति एसबीआई के स्टैंडअलोन आधार के आंकड़ों पर आधारित है, अर्थात पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों के आंकड़े शामिल नहीं है, जिनका 1 अप्रैल, 2017 को एसबीआई के साथ विलय कर दिया गया है।

एलसीआर स्थिति आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम 90% की सीमा से अधिक है। बैंक की एलसीआर तीन माह (वित्त वर्ष 17-18 की चौथी तिमाही) के दैनिक औसत के आधार पर 134.05% हैं। तिमाही के लिए औसत एचक्यूएलए ₹ 6,74,894 करोड़ था, जिसमें से स्तर-1 आस्तियां कुल एचक्यूएलए का 93.58% थीं। सरकारी प्रतिभूतियां कुल स्तर 1 आस्तियां का 96.92% है। स्तर-2ए आस्तियां कुल एचक्यूएलए का 5.39% तथा स्तर-2बी आस्तियां कुल एचक्यूएलए का 1.03% थीं। आरबीआई/सेंट्रल बैंक से प्राप्त होने वाली राशियों में कमी आने से निवल नकदी बहिर्प्रवाह स्थिति में मामूली सी वृद्धि हुई है। अंतर्वाह तथा बहिर्प्रवाह की लगभग एक समान स्थिति के कारण डेरिवेटिव एक्सपोजर को महत्वपूर्ण नहीं माना गया। तिमाही के दौरान, औसत एलसीआर के लिए यूएसडी (विदेशी मुद्रा की महत्वपूर्ण मात्रा जो बैंक के तुलन पत्र का 5% से अधिक है) 77.98% रहा।

बैंक में तरलता प्रबंधन की व्यवस्था आस्ति एवं देयता प्रबंधन (एएलएल) नीति तथा विनियामक निर्धारण द्वारा सुनिश्चित की जाती है। देशी और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग ट्रेजरियाँ, आस्ति देयता प्रबंधन समिति (अल्को) को रिपोर्ट करती हैं। बैंक के बोर्ड द्वारा आल्को को निधियन कार्यनीतियाँ निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निधीयन के स्रोत सुविभाजित हो तथा बैंक की परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप हों। अल्को के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों को आवधिक रूप में बोर्ड को रिपोर्ट किया जाता है। बैंक की तरलता आवश्यकताओं के निरंतर मूल्यांकन के लिए दैनिक/मासिक एलसीआर रिपोर्टिंग के अतिरिक्त बैंक दैनिक संरचनात्मक तरलता विवरण तैयार किया जाता है।

बैंक अनिवार्य आवश्यकताओं से अधिक एसएलआर निवेशों के रूप में एचक्यूएलए अनुरक्षित करता रहा है। भली भांति विवधिकृत खुदरा जमाएँ कुल निधियन स्रोतों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। प्रबंधन का विचार है कि बैंक के पास संभावित भावी अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त तरलता कवर उपलब्ध है।

ख. समेकित एलसीआर

31 मार्च, 2015 को जारी किए गए पूरक दिशानिर्देशों के माध्यम से आरबीआई ने 1 जनवरी, 2016 से समेकित स्तर पर एलसीआर लागू करना निर्धारित किया है। तदनुसार, एसबीआई समूह समेकित एलसीआर की गणना कर रहा है।

एलसीआर समूह में शामिल की गई संस्थाएं भारतीय स्टेट बैंक तथा सात विदेशी बैंकिंग अनुषंगिया हैं - एसबीआई बोत्सवाना लि., कॉमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को, नेपाल एसबीआई बैंक लि., स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया), एसबीआई कनाडा बैंक, एसबीआई (मारीशस) लि., पीटी बैंक एसबीआई इन्डोनेशिया।

तीन महीनों, अर्थात जनवरी, फरवरी और मार्च 2018 के औसत आधार पर 31 मार्च, 2018 को एसबीआई समूह एलसीआर 134.01% बैठता है:

(₹ करोड़ में)

एसबीआई ग्रुप एलसीआर घटक		मार्च 2018 तिमाही के समाप्ति पर**		31 दिसंबर, 2017 तिमाही के समाप्ति पर		30 सितंबर, 2017 तिमाही के समाप्ति पर		30 जून, 2017 तिमाही के समाप्ति पर		31 मार्च, 2017 तिमाही के समाप्ति पर	
उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
(1)	कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचक्यूएएल)	677442			676830	660869			624950		640508
नकदी बहिर्गमन											
(2)	फुटकर जमाराशियां और लघु व्यवसाय ग्राहकों से प्राप्त जिनमें:										
	(i) स्थिर जमाराशियाँ	280782	14039	292752	14638	246200	12310	236582	11830	241589	12079
	(ii) कम स्थिर जमा राशियाँ	1758364	175836	173141	173141	173438	173439	168826	168827	1,704,999	170,500
(3)	अप्रतिभूत थोक निधीयन जिनमे से:										
	(i) परिचालन जमा राशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार)	177	44	113	28	89	22	79	19	59	15
	(ii) गैर-परिचालन जमाराशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार)	558884	329566	543376	326347	563068	335048	582760	341749	586666	336902
	(iii) अप्रतिभूत उधार	0	0	0	0	0	0	0	0	7456	7456
(4)	प्रतिभूत थोक निधीयन	30,209	184	29,738	0	7,981	96	3,621	101	3,709	1,236
(5)	अतिरिक्त आवश्यकताएँ, जिनमे से:										
	(i) डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्गमन	150,912	150,912	150,499	150,499	140,940	140,940	151,400	151,400	154,037	154,119
	(ii) उधार उत्पादों पर निधीयन की हानि से संबंधित बहिर्गमन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(iii) ऋण एवं तरलता सुविधाएं	44,693	6,877	49,790	7,734	43,110	7,359	60,948	8,777	104,556	12,695
6	अन्य संविदागत निधीयन दायित्व	40,639	40,639	30,292	30,292	34,352	34,352	29,411	29,411	28,620	28,620
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व	565,427	20,718	565,264	20,743	529,544	19,137	546,593	19,900	540,151	19,328
8	कुल नकदी बहिर्गमन	3,430,087	738,817	3,396,878	723,422	3,299,670	722,703	3,299,662	732,014	3,371,843	742,951
	नकदी अंतर्वाह										
9	प्रतिभूति ऋणान्वयन (उदाहराणार्थ प्रतिवर्ती रेपों)	7,076	1	6,745	1	53,173	1	54,139	0	60,900	0
10	पूर्णतः निष्पादन करने वाले एक्सपोजर से अंतर्वाह	223,818	203,448	228,905	208,493	230,026	209,832	240,145	215,072	278,044	249,098
11	अन्य नकदी अंतर्वाह	39,889	29,867	39,611	29,075	48,819	37,767	40,470	30,989	65,560	56,743
12	कुल नकदी अंतर्वाह	270,783	233,316	275,261	237,568	332,019	247,600	334,754	246,061	404,503	305,841
13	कुल एचक्यूएलए		677,442		676,830		660,869		624,950		640,508
14	कुल निवल नकदी बहिर्गमन		505,501		485,854		475,103		485,953		437,110
15	चल निधि सुरक्षा अनुपात (%)		134.01%		139.30%		139.10%		128.60%		146.53%

नोट 1 - समुद्र पारीय (ओवरसीज़) बैंकिंग अनुषंगियों के लिए 3 महीनों के मासिक औसत डेटा और एसबीआई (स्टैंडअलोन) के लिए दैनिक औसत पर विचार किया गया है।

नोट 2 - स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके) को शामिल नहीं किया गया है कारण कि इसने दिनांक 02.04.2018 से कार्य करना शुरू किया है।

समूह अनिवार्य आवश्यकताओं से अधिक एसएलआर निवेशों के रूप में एचक्यूएलए अनुरक्षित कर रहा है। भली भांति विविधीकृत खुदरा जमाएँ कुल निधीयन स्रोतों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। प्रबंधन का विचार है कि बैंक के पास संभावित भविष्यत अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त तरलता कवर उपलब्ध है।

19. वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियाँ तथा किए गए प्रावधान

वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई कुल 1789 मामलों में ₹ 2532.24 करोड़ की धोखाधड़ियों (पिछला वर्ष 837 मामलों में ₹ 2,424.74 करोड़) में से 539 मामलों में ₹ 2359.61 करोड़ (पिछला वर्ष 278 मामलों में ₹ 2,360.37 करोड़) अग्रिमों को धोखाधड़ियाँ घोषित किया गया है।

20. अंतर कार्यालय खाते

शाखाओं, नियंत्रक कार्यालयों और स्थानीय प्रधान कार्यालयों तथा कॉरपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं के बीच अंतर कार्यालय खातों का निरंतर आधार पर समाधान किया जा रहा है तथा चालू वर्ष के लाभ और हानि खाते की राशि पर इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है।

21. पुनर्संरचना कंपनियों को आस्तियों की बिक्री

वर्ष के दौरान पुनर्संरचना कंपनियों को आस्तियों की बिक्री के कारण हुई ₹ 9.07 करोड़ (पिछला वर्ष ₹ 48.59 करोड़) कमी को चालू वर्ष में प्रभारित किया गया है।

22. एमएसएमई ऋणी

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत एमएसएमई ऋणियों के लिए राहत से संबंधित आरबीआई परिपत्र सं. डीबीआर.सं.बीपी.बीस्टी.100/21.04.048/2017-18 दिनांक 7 फरवरी, 2018, के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2018 को ₹ 320.15 करोड़ की बकाया राशि वाले ऋणियों के खातों को मानक खातों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

23. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋणान्वयन प्रमाणपत्र (पीएसएलसी)

वर्ष के दौरान बैंक ने निम्नलिखित पीएसएलसियों की खरीदी की है :-

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	राशि
1	पीएसएलसी सूक्ष्म उद्यम	350.00
2	पीएसएलसी कृषि	100.00
3	पीएसएलसी सामान्य	33,485.00
4	पीएसएलसी पीएसएलसी लघु एवं सीमांत किसान	1,664.00
	कुल	**35,599.00**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक ने कोई भी पीएसएलसी की बिक्री नहीं की है।

24. प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर (सीसीपीबी)

"अस्थायी प्रावधानों/प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर का उपयोग' पर अपने परिपत्र संख्या डीबीआर.संख्या बीपी. बीसी. 21.04.048/2014-15 दिनांक 30 मार्च, 2015 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के लिए विशिष्ट प्रावधान करने हेतु 31 दिसंबर, 2014 को बैंकों द्वारा रखे गए सीसीपीबी के 50% को उपयोग में लाने की अनुमति दी गई।

वर्ष के दौरान बैंक ने एनपीए के लिए विशिष्ट प्रावधानों हेतु सीसीपीबी का उपयोग नहीं किया।

25. खाद्य ऋण

भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार एक राज्य सरकार को दीर्घ अवधि खाद्यान ऋण अग्रिम में बकाया के प्रति बैंक ने 7.5% का प्रावधान किया है जिसकी राशि ₹ 285.31 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 856 करोड़) है।

26. बैंक की पट्टाकृत संपातियों के पुनर्मूल्यांकन आरक्षित का प्रतिवर्तन

भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुपालन में, बैंक ने कुछ पट्टाकृत संपतियों के मूल्य में पूर्व अवधि में ₹ 11,210.94 करोड़ के पुनर्मूल्यांकन के प्रभाव को प्रतिवर्तित किया, जिसका परिणाम ₹ 193.24 करोड़ की पूर्व प्रभारित राशि का प्रतिलेखन है।

27. बैंकिंग अनुषंगियों तथा भारतीय महिला बैंक लि. का विलय

अ. भारत सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 35 की उप-धारा (2) के तहत आदेश दिनांक 22 फरवरी, 2017 और 20 मार्च, 2017 के अनुसार एसबीआई की पांच देशीय बैंकिंग अनुषंगियों, अर्थात स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर (एसबीबीजे), स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (एसबीएच), स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (एसबीपी), स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (एसबीएम), स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (एसबीटी) के अधिग्रहण और भारतीय महिला बैंक लिं. (बीएमबीएल) के अधिग्रहण के लिए मंजूरी प्रदान की है। भारत सरकार के आदेशों के अनुसार अधिग्रहण की योजनाएं दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगी (यहां इसके बाद प्रभावी तिथि के रूप में संदर्भित किया गया है)।

उक्त योजना के अनुसार, अंतरणकर्ता बैंकों के उपक्रमों के इस प्रभावी तिथि से तुरंत पहले उनके स्वामित्व, कब्जे या अंतरणकर्ता बैंक के अधिकार वाले सभी व्यवसाय, आस्तियां, देयताएं, आरक्षितियां एवं अधिशेष, वर्तमा या आकस्मिक और उक्त संपत्तियों से उठने वाले अन्य सभी अधिकार और हित शामिल किए हुए समझे जाएंगे और इस प्रभावी तिथि को या इस तिथि से एसबीआई को अंतरित हो जाएंगे (यहां इसके बाद इसे अंतरिती बैंक के रूप में संदर्भित किया गया है)।

ख. विलय की गई इकाइयों के शेयरधारकों को बैंक के शेयर आवंटित किए गए हैं जिनका उल्लेख नीचे किया गया है।

अन्तरणकर्ता बैंक का नाम	शेयर विनिमय अनुपात/निर्गमित
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (एसबीबीजे)	एसबीबीजे के प्रति शेयर ₹ 10/- अंकित मूल्य वाले पूर्ण प्रदत्त शेयरों के बदले एसबीआई के प्रति शेयर ₹ 1/- अंकित मूल्य के 28 शेयर। एसबीआई के प्रति शेयर ₹ 1/- अंकित मूल्य के कुल 4,88,54,308 शेयर।
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (एसबीएम)	एसबीएम के प्रति शेयर ₹ 10/- अंकित मूल्य वाले पूर्ण प्रदत्त शेयरों के बदले एसबीआई के प्रति शेयर ₹ 1/- अंकित मूल्य के 22 शेयर। एसबीआई के प्रति शेयर ₹ 1/- अंकित मूल्य के कुल 1,05,58,379 शेयर।
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (एसबीटी)	एसबीटी के प्रति शेयर ₹ 10/- अंकित मूल्य वाले पूर्ण प्रदत्त शेयरों के बदले एसबीआई के प्रति शेयर ₹ 1/- अंकित मूल्य के 22 शेयर। एसबीआई के प्रति शेयर ₹ 1/- अंकित मूल्य के कुल 3,27,08,543 शेयर।
भारतीय महिला बैंक लि. (बीएमबीएल)	प्रति शेयर ₹ 10/- अंकित मूल्य के पूर्ण प्रदत्त बीएमबीएल के 100,00,00,000 शेयरों के बदले प्रति शेयर ₹ 1/- अंकित मूल्य के 4,42,31,510 शेयर का पूर्ण भुगतान किया गया।

आगे, जहां कहीं ऐसा निर्धारित किया गया है, एसबीआई ने इक्विटी शेयरों के आंशिक भाग के हकदारों को नकदी भुगतान कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (एसबीपी) और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (एसबीएच) के संबंध में, जो पूर्ण स्वामित्व वाली संस्थाएं थीं, उन संस्थाओं में किए गए निवेश के बदले उन बैंकों की पूरी शेयर पूंजी रद्द कर दी गई।

ग. बैंक में e-Abs तथा e-BMB के विलय की गणना लेखांकन मानक 14 (एएस 14) ठद्दद्वद्ब्र के लिए द्बह्वद्दठ्ठख्क्डि तथा अधिग्रहण की अनुमोदित योजना के अनुसार 'ब्याज का समूहन (पूलिंग) पद्धति के अंतर्गत लेखांकित की गई है। इसके अनुसरण में, अंतरणकर्ता बैंकों की ₹ 11,314.75 की आस्ति तथा देयताएँ को बैंक के ₹ 1/- के अंकित मूल्य के 13,63,52,740 शेयरों के बदले प्रभावी तारीख को उन बैंकों की उस समय की राशि पर बैंक की बहियों में दर्ज किया गया तथा आंशिक भाग के हकदारों को ₹ 0.25 करोड़ का नकदी भुगतान किया गया। पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों में बैंक का निवेश प्रभावी तारीख से समाप्त हो गया। पूर्ववर्ती देशीय बैंकिंग अनुषंगियों और भारतीय महिला बैंक लि. के अंतरणकर्ता बैंकों की शेयर पूंजी और एसबीआई के तदनुरूपी निवेशों के बीच के निवल अंतर को और शेयरों के आंशिक हकदारों को अदा की गई नकद राशि को पूंजी आरक्षित निधि खाते में अंतरित किया गया है। अधिग्रहण पर अधिग्रहित की गई निवल आस्तियां निम्नानुसार हैं :

अधिग्रहीत आस्तियां	पूर्ववर्ती एसबीबीजे	पूर्ववर्ती एसबीएच	पूर्ववर्ती एसबीएम	पूर्ववर्ती एसबीपी	पूर्ववर्ती एसबीटी	पूर्ववर्ती बीएमबी	उप-योग
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा-राशियाँ	8,596.66	7,328.66	4,669.93	5,242.96	6,858.88	46.64	32,743.73
बैंकों में जमा-राशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	2,002.50	21,453.95	19,167.30	73.59	23,347.74	635.11	66,680.19
निवेश	34,922.37	43,628.77	23,861.63	32,706.10	40,777.06	707.62	1,76,603.55
अग्रिम	64,830.01	79,375.57	34,474.63	70,018.98	48,617.57	567.49	2,97,884.25
अचल आस्तियाँ	1,353.65	1,662.33	1,532.58	1,420.45	995.82	22.68	6,987.51
अन्य आस्तियाँ	4,558.73	9,598.12	5,261.05	13,367.08	5,176.53	50.94	38,012.45
कुल आस्तियाँ (क)	1,16,263.92	1,63,047.40	88,967.12	1,22,829.16	1,25,773.60	2,030.48	6,18,911.68
अधिग्रहित देयताएं							
आरक्षित राशियाँ एवं अधिशेष	4,070.33	8,377.94	2,766.44	1,858.95	2,554.84	-	19,628.50
जमाएँ	1,04,008.73	1,41,898.94	78,474.22	1,00,794.63	1,14,688.90	975.77	5,40,841.19
उधारियाँ	1,553.75	5,619.05	2,648.52	4,071.60	3,035.00	-	16,927.92
अन्य देयताएँ एवं प्रावधानीकरण	4,378.86	6,783.92	4,072.09	11,244.88	3,700.24	19.33	30,199.32
कुल देयताएँ (ख)	**1,14,011.67**	**1,62,679.85**	**87,961.27**	**1,17,970.06**	**1,23,978.98**	**995.10**	**6,07,596.93**
अधिग्रहीत निवल आस्तिया (क-ख)	**2,252.25**	**367.55**	**1,005.85**	**4,859.10**	**1,794.62**	**1,035.38**	**11,314.75**
पूर्ववर्ती डीबीएस और बीएमबीएल की शेयर पूंजी और एसबीआई के तदनुरुपी निवेशों के बीच निवल अंतर	17.44	-	4.79	-	14.88	1,000.01	1,037.12
घटाएं:							
(क) प्रतिफल के रूप में एसबीआई द्वारा जारी ₹ 1/- अंकित मूल्य के 13,63,52,740 शेयर	4.88	-	1.05	-	3.28	4.43	13.64
(ख) शेयरों की आंशिक पात्रता के बदले में नकदी	0.12	-	0.09	-	0.04	-	0.25
पूंजी आरक्षित राशियों को अंतरित	**12.44**	**-**	**3.65**	**-**	**11.56**	**995.58**	**1,023.23**

28. (क) अप्रैल 18, 2018 को, आरबीआई ने अपने परिपत्र के माध्यम से सूचित किया है कि परिपत्रीय विवेकीय मानदंडों के अनुसार यथा निर्धारित प्रावधान दरें विनियामक न्यूनतम अपेक्षाएं हैं और बैंक अर्थव्यवस्था के दवाबवाले क्षेत्रों को दिए गए अग्रिमों के संबंध में उच्च दर से प्रावधान कर सकते हैं। तदनुसार, बैंक ने अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार ऋणियों के मानक ऋणों पर ₹ 74.66 करोड़ की राशि का अतिरिक्त सामान्य प्रावधान किया है।

(ख) आरबीआई के पत्र डीबीआर.सं.बीपी.8756/21.04.048/2017-18 दिनांक 2 अप्रैल, 2018 के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2018 को एनसीएलटी खातों के संबंध में प्रावधान अपेक्षाएं प्रतिभूत भाग के 50% से कम करके 40% तक कर दिया है। वसूली की संभावनाओं के आधार पर, बैंक ने कुछ खातों के संबंध में इस छूट का लाभ उठाया है।

29. आरबीआई ने पत्र आरबीआई 2017-18/131/डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.101/21.04.048/2017-18 दिनांक 12 फरवरी, 2018 के अनुसार, दवाबग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु एक संशोधित रूपरेखा जारी की है, जो सीडीआर,एसडीआर, बाहरी एसडीआर स्वामित्व में परिवर्तन, वर्तमान दीर्घकालीन परियोजना ऋण (5/25 योजना) और एस4ए संबंधी विद्यमान दिशानिर्देशों का तुरंत स्थान ले लेगी। इस संशोधित रूपरेखा के तहत, उन खातों के स्टैंड स्टील लाभों को प्रदान नहीं किया जाएगा, जहां इनमें से कोई भी योजना लागू की गई थी परंतु अभी कार्यान्वित नहीं हुई है और तदनुसार इन खातों का आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण संबंधी आरबीआई के वर्तमान विवेकीय मानदंडों के अनुसार वर्गीकरण किया गया है।

30. बैंक ने दिनांक 1 नवंबर, 2017 से देय वेतन संशोधन की बकायाराशि के लिए ₹ 1,659.41 करोड़ का तदर्थ प्रावधान किया है।

31. अनुसूची 14 "अन्य आय" के तहत निवेशों की बिक्री पर लाभ / (हानि) (निवल) में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के आंशिक निवेश की बिक्री पर प्राप्त ₹ 5,436.17 करोड़ शामिल है।

32. (क) 28. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के परिणामों में 1 अप्रैल, 2017 से वर्ष के अंत तक की अवधि में पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों व पूर्ववर्ती बीएमबी के परिचालन के परिणाम भी शामिल हैं और इसलिए बैंक के परिणाम इसी अवधि में पिछले वर्ष के परिणामों से तुलनीय नहीं है।

(ख) आरबीआई दिशानिर्देशों/लेखांकन मानकों के अनुरूप पहली बार चालू वर्ष के वर्गीकरण से मिलान के लिए जहाँ भी आवश्यक था पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है, अतः पिछले वर्ष के आँकड़े नहीं दिए गए हैं।

भारतीय स्टेट बैंक

नकदी प्रवाह विवरण, 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

(000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण		31.03.2018 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
परिचालन कार्यकलाप से नकदी प्रवाह :			
कर पूर्व निवल लाभ		(15528,24,16)	14855,16,27
समायोजन :			
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास		2919,46,63	2293,30,96
अचल आस्तियों के विक्रय पर (लाभ)/हानि (निवल)		30,03,00	37,05,49
निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ)/हानि (निवल)		1120,61,02	-
समनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों के निवेशों के विक्रय पर (लाभ)/हानि		(5639,89,81)	(1755,00,00)
उचित मूल्य में ह्रास एवं अनर्जक आस्तियों के लिए किया गया प्रावधान		70680,23,69	32246,69,15
मानक आस्तियों पर प्रावधान		(3603,66,16)	2499,64,29
निवेशों पर मूल्यह्रास/(मूल्य वृद्धि) के लिए प्रावधान		8087,57,43	298,39,39
अन्य प्रावधान जिसमें आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान शामिल है		(124,95,17)	948,00,40
समनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों, सहयोगियों में निवेश से प्राप्त आय		(448,51,70)	(688,35,40)
पूंजीगत लिखतों पर प्रदत्त ब्याज		4472,04,27	4195,23,59
		61964,69,04	54930,14,14
समायोजन :			
जमाराशियों में वृद्धि/(कमी)		121022,95,24	314028,95,86
पूंजीगत लिखतों के अलावा उधार राशियों में वृद्धि/(कमी)		42629,85,28	(4640,71,53)
समनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों / सहयोगी बैंकों में निवेशों को छोड़कर अन्य निवेशों में वृद्धि)/कमी		(136164,12,43)	(188005,00,05)
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी		(136597,79,56)	(139624,65,51)
अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)		(2214,19,47)	(7469,50,80)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी		(29086,42,24)	(18051,26,83)
		(78445,04,14)	11167,95,28
कर वापसी /(कर भुगतान)		(6980,20,58)	(107,63,17)
परिचालन कार्यकलाप से उत्पन्न / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(क)**	**(85425,24,72)**	**11060,32,11**
निवेश कार्यकलाप से नकदी प्रवाह :			
समनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों / सहयोगी बैंकों में निवेश में (वृद्धि) / कमी		(1104,10,39)	(2631,24,15)
समनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों के निवेशों के विक्रय पर लाभ / (हानि)		5639,89,81	1755,00,00
समनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों / सहयोगी बैंकों से प्राप्त लाभांश		448,51,70	688,35,40
अचल आस्तियों में (वृद्धि) / कमी		(4104,97,78)	(2960,56,19)
विलय के बाद आंशिक पात्रताओं के लिए पूर्ववर्ती देशीय बैंकिंग अनुषंगियों का प्रदत नकदी		(25,18)	-
निवेश कार्यकलाप से उत्पन्न /(में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(ख)**	**879,08,16**	**(3148,44,94)**

(000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण		31.03.2018 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
वित्तपोषण कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
इक्विटी शेयर के निर्गम से प्राप्त राशि जिसमें शेयर के प्रीमियम शामिल हैं (निवल)		23782,45,47	5674,82,91
पूंजीगत लिखतों का निर्गम/(मोचन) (निवल)		(12603,22,50)	(922,40,00)
पूंजीगत लिखतों पर ब्याज		(4472,04,27)	(4195,23,59)
कर सहित लाभांशों का भुगतान		(2416,26,71)	(2337,46,38)
वित्तपोषण कार्यकलाप से प्राप्त /(में प्रयुक्त)निवल नकदी	**(ग)**	**4290,91,99**	**(1780,27,06)**
अंतरण आरक्षित निधियों पर विनिमय परिवतनों पर प्रभाव	**(घ)**	**1291,94,79**	**(1627,60,78)**
देशीय बैंकिंग अनुषंगियों एवं भारतीय महिला बैंक के विलय होने के कारण प्राप्त नकदी एवं नकदी समतुल्य	**(ङ)**	**98890,28,99**	**-**
नकदी एवं नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि / (कमी) (क)+(ख)+(ग)+(घ)+(ङ)		**19926,99,21**	**4503,99,33**
वर्ष के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य		**171971,64,98**	**167467,65,65**
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		**191898,64,19**	**171971,64,98**
टिप्पणी : नकदी एवं नकदी समतुल्य के घटक इस प्रकार हैं :		**31.03.2018**	**31.03.2017**
नकदी एवं भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष		150397,18,14	127997,61,77
बैंक में नकद शेष एवं मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि		41501,46,05	43974,03,21
योग		**191898,64,19**	**171971,64,98**

हस्ताक्षरकर्ता:

श्री दिनेश कुमार खारा
प्रबंध निदेशक
(जोखिम, आईटी एवं अनुषंगियां)

श्री पी. के. गुप्ता
प्रबंध निदेशक
(रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग)

श्री बी. श्रीराम
प्रबंध निदेशक
(कॉरपोरेट एवं ग्लोबल बैंकिंग)

निदेशक:
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता
श्री संजीव मल्होत्रा
श्री बसंत सेठ
डॉ. गिरीश के. अहूजा
श्री चंदन सिन्हा
डॉ. पुष्पेंद्र राय
श्री भास्कर प्रमाणिक

श्री रजनीश कुमार
अध्यक्ष

स्थान : मुंबई
दिनांक : 22 मई, 2018

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते वर्मा एंड वर्मा
सनदी लेखाकार

पी. आर. प्रसन्ना वर्मा
भागीदार: एम.नं.025854
फर्म पंजी. नं.004532 S

कृते जीएसए एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

सुनील अग्रवाल
भागीदार: एम. नं. 083899
फर्म पंजी. नं. 000257 N

कृते अमित रे एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

बासुदेव बनर्जी
भागीदार: एम. नं. 070468
फर्म पंजी. नं. 000483 C

कृते राव एण्ड कुमार
सनदी लेखाकार

के. च. एस. गुरु प्रसाद
भागीदार: एम. नं. 215652
फर्म पंजी. पंजी. नं. 003089 S

कृते चतुर्वेदी एण्ड शाह
सनदी लेखाकार

वितेश डी. गांधी
भागीदार: एम. नं. 110248
फर्म पंजी. नं. 101720 W

कृते मनुभाई एण्ड शाह, एलएलपी
सनदी लेखाकार

हितेश एम.पोमल
भागीदार: एम. नं.106137
फर्म पंजी. नं. 106041W/W100136

कृते चटर्जी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

आर. एन. बसु
भागीदार: एम. नं. 050430
फर्म पंजी. नं. 302114 E

कृते एस. एल. छाजेड़ एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

अभय छाजेड
भागीदार: एम. नं. 079662
फर्म पंजी. नं. 000709 C

कृते ब्रह्मय्या एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

के. जितेंद्र कुमार
भागीदार: एम. नं. 201825
फर्म पंजी. नं. 000511 S

कृते एस. के. मित्तल एंड कं.
सनदी लेखाकार

एस.के.मित्तल
भागीदार: एम. नं. 008506
फर्म पंजी. नं. 001135 N

कृते एम. भास्कर राव एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

एम. वी. रमण मूर्ति
भागीदार: स.सं.: M.No.206439
फर्म पंजी. सं.: 000459 S

कृते बंसल एण्ड कं.एलएलपी
सनदी लेखाकार

आर. सी. पाण्डेय
भागीदार: एम. नं. 070811
फर्म पंजी. नं. 001113N/N500079

कृते मित्तल गुप्ता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

अक्षय कुमार गुप्ता
भागीदार: एम. नं. 070744
फर्म पंजी. नं. 001874 C

कृते रे एण्ड रे
सनदी लेखाकार

अभिजीत नियोगी
भागीदार: एम. नं. 61380
फर्म पंजी. नं. 301072 E

स्थान : मुंबई
दिनांक : 22 मई, 2018

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति
भारत के राष्ट्रपति,

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की रिपोर्ट

1. हमने भारतीय स्टेट बैंक (बैंक) के 31 मार्च, 2018 की वित्तीय विवरणों जिसमें 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का तुलनपत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश तथा अन्य विवरणात्मक सूचना की लेखापरीक्षा की है। इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित की विवरणियां शामिल हैं:

   i) केन्द्रीय कार्यालय, 16 स्थानीय प्रधान कार्यालय, विश्व बाजार समूह, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय समूह, कारपोरेट लेखा समूह (केन्द्रीय), मध्य-कारपोरेट समूह) केन्द्रीय, दवाबग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह (केन्द्रीय), केन्द्रीय लेखा कार्यालय और 42 शाखाओं, जिनकी लेखापरीक्षा हमने की है;

   ii) 14,566 भारतीय शाखाएं, जिनकी लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों ने की है;

   iii) विदेश स्थित 51 शाखाएं जिनकी लेखा-परीक्षा स्थानीय लेखा-परीक्षकों ने की है।

हमारे एवं अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप बैंक द्वारा चुना गया। तुलनपत्र एवं लाभ हानि खाते में 9,033 भारतीय शाखाओं (अन्य लेखांकन इकाईयों सहित) की विवरणियां भी शामिल है, जिनकी लेखा-परीक्षा नहीं हुई है। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं का हिस्सा अग्रिमों में 3.49%, जमाराशियों में 12.56%, ब्याज आय में 4.62% तथा ब्याज व्यय में 12.85% है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों हेतु प्रबंधन वर्ग का दायित्व

2. भारतीय रिजर्व बैंक की अपेक्षाओं एवं बैंककारी विनियमन अधिनियम - 1949 के प्रावधानों, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा समाविष्ट लेखा - नीतियों एवं परंपराओं, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकरण एवं लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों, जो बैंक के वित्तीय स्थिति की सटीक और सही चित्र प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने की जिम्मेदारी बैंक-प्रबंधन की है। इस जिम्मेदारी के अंर्तगत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों की तैयारी से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण भी शामिल है जो धोखाधड़ी या त्रुटिवश किसी भी प्रकार के वस्तुगत गलत बयानी से मुक्त है। इन जोखिमों के आकलन में प्रबंधन ने ऐसे आंतरिक नियंत्रणों का कार्यान्वयन किया है जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने एवं परिकल्पित प्रक्रियाओं जो परिस्थितियों के अनुरूप है, से संबन्धित है। ताकि बैंक के सभी कार्यकलापों से संबन्धित आंतरिक नियंत्रण प्रभावी हो ।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

3. हमारी जिम्मेदारी इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों पर अपनी लेखा परीक्षा पर आधारित अभिमत देने की है। हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार पूरी की है। इन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का पालन करें एवं अपनी लेखापरीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएं और निष्पादित करें, ताकि हम समुचित रूप से इस बारे में आश्वस्त हो जाएं कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में कोई वस्तुगत गलत विवरण नहीं दिए गए हैं।

4. लेखापरीक्षा के अंतर्गत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत राशियों और प्रकटीकरणों के संबंध में लेखांकन साक्ष्य प्राप्त करने के लिए की जाने वाली निष्पादन प्रक्रियाएँ शामिल हैं। जाँच के लिए चुनी गई पद्धतियाँ लेखापरीक्षक के विवेक, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी भी वस्तुगत गलत बयानी के जोखिम के मूल्यांकन पर आधारित होती है। इन जोखिम मूल्यांकनों का निर्धारण करते समय लेखापरीक्षक बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों को संज्ञान में लेते हैं ताकि इन परिस्थितियों के लिए समुचित लेखा पद्धति की उचित प्रस्तुति की जा सके, लेकिन इसका उद्देश्य संस्था के आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशालीता के बारे में किसी भी प्रकार का अभिमत देना नहीं है। लेखा परीक्षा के अंतर्गत प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा-सिद्धांतों तथा प्रमुख आकलनों का निर्धारण तथा समग्र स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी किया जाता है।

5. हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखासाक्ष्य हमारे लेखा अभिमत को आधार प्रदान करने लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

अभिमत

6. हमारे अभिमत में, बैंक की बहियों में दर्शाए गए एवं जहां तक हमें जानकारी है तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :

   i) महत्वपूर्ण लेखा नीतियों एवं तत्संबंधी लेखा-टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर तुलनपत्र पूर्ण एवं सही हैं, जिसमें समस्त आवश्यक जानकारी शामिल है तथा उसे इस प्रकार तैयार किया गया है कि वह 31 मार्च, 2018 को भारत में सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखा सिद्धांतों के अनुरूप बैंक के कामकाज का सही और सटीक चित्र दर्शाता है;

   ii) महत्वपूर्ण लेखा नीतियों एवं तत्संबंधी लेखा-टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर लाभ एवं हानि खाता भारत में सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखा सिद्धांतों के अनुरूप, चालू वर्ष के लाभ का सही शेष दर्शाता है; तथा

   iii) इस तिथि को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में सही एवं सटीक चित्र प्रस्तुत करता है।

ध्यान देने योग्य विषय :

7. हम निम्नलिखित पर ध्यान आकर्षित करते हैं :-

   क) नोट सं. 3.2.1.1, ग्रेच्युटी के लिए अतिरिक्त देयता के कारण ₹ 2,707.50 करोड़ की अपरिशोधित शेष के संबंध में; और

   ख) नोट सं. 18(9)(ख), मानक आस्तियों के लिए प्रावधान पर ₹ 2,461.40 करोड़ की आस्थगित कर आस्तियों के निर्धारण के संबंध में।

   उपर्युक्त उल्लिखित मामलों के संबंध में हमारे अभिमत में संशोधन नहीं किया गया है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

8. तुलनपत्र और लाभ एवं हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के क्रमशः 'क' और 'ख' फार्मों में तैयार किए गए हैं और ये भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा उसके अंतर्गत बने विनियमों के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित जानकारी देते हैं ।

9. उपर्युक्त पैराग्राफ 1 से 5 की सीमाओं का अतिक्रमण न करते हुए एवं भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की अपेक्षाओं के अनुरूप एवं तत्संबंधी अपेक्षित प्रकटन की सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए हम निम्नानुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, कि:

   क) हमने जहाँ भी कोई जानकारी और स्पष्टीकरण माँगा है, जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार आवश्यक था, हमें वह जानकारी और स्पष्टीकरण दिया गया है और हमने उसे संतोषजनक पाया है।

   ख) हमारी जानकारी में आए बैंक के लेन-देन बैंक के अधिकार-क्षेत्र में ही हैं।

   ग) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से उचित पाई गई हैं।

10. हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि :

   क) इस रिपोर्ट में उल्लेख किए गए तुलनपत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण खाता बहियों और विवरणियों के अनुरूप हैं।

   ख) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षा की गई शाखा कार्यालयों की खातों की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और यह रिपोर्ट तैयार करते समय हमने उस पर उचित ध्यान दिया है।

   ग) हमारे अभिमत के अनुसार, तुलनपत्र, लाभ एवं हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखा मानकों के अनुरूप हैं।

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते वर्मा एंड वर्मा
सनदी लेखाकार

पी. आर. प्रसन्ना वर्मा
भागीदार: एम.नं.025854
फर्म पंजी. नं.004532 S

कृते जीएसए एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

सुनील अग्रवाल
भागीदार: एम. नं. 083899
फर्म पंजी. नं. 000257 N

कृते अमित रे एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

बासुदेव बनर्जी
भागीदार: एम. नं. 070468
फर्म पंजी. नं. 000483 C

कृते राव एण्ड कुमार
सनदी लेखाकार

के. च. एस. गुरु प्रसाद
भागीदार: एम. नं. 215652
फर्म पंजी. पंजी. नं. 003089 S

कृते चतुर्वेदी एण्ड शाह
सनदी लेखाकार

वितेश डी. गांधी
भागीदार: एम. नं. 110248
फर्म पंजी. नं. 101720 W

कृते मनुभाई एण्ड शाह, एलएलपी
सनदी लेखाकार

हितेश एम.पोमल
भागीदार: एम. नं.106137
फर्म पंजी. नं. 106041W/W100136

कृते चटर्जी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

आर. एन. बसु
भागीदार: एम. नं. 050430
फर्म पंजी. नं. 302114 E

कृते एस. एल. छाजेड़ एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

अभय छाजेड
भागीदार: एम. नं. 079662
फर्म पंजी. नं. 000709 C

कृते ब्रह्मय्या एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

के. जितेंद्र कुमार
भागीदार: एम. नं. 201825
फर्म पंजी. नं. 000511 S

कृते एस. के. मित्तल एंड कं.
सनदी लेखाकार

एस.के.मित्तल
भागीदार: एम. नं. 008506
फर्म पंजी. नं. 001135 N

कृते एम. भास्कर राव एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

एम. वी. रमण मूर्ति
भागीदार: स.सं.: M.No.206439
फर्म पंजी. सं.: 000459 S

कृते बंसल एण्ड कं.एलएलपी
सनदी लेखाकार

आर. सी. पाण्डेय
भागीदार: एम. नं. 070811
फर्म पंजी. नं. 001113N/N500079

कृते मित्तल गुप्ता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

अक्षय कुमार गुप्ता
भागीदार: एम. नं. 070744
फर्म पंजी. नं. 001874 C

कृते रे एण्ड रे
सनदी लेखाकार

अभिजीत नियोगी
भागीदार: एम. नं. 61380
फर्म पंजी. नं. 301072 E

स्थान : मुंबई
दिनांक : 22 मई, 2018

भारतीय स्टेट बैंक

समेकित तुलन - पत्र, 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार

(000 को छोड़ दिया गया है)

	अनुसूची सं.	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
पूंजी और देयताएँ			
पूंजी	1	892,45,88	797,35,04
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	2	229429,48,68	216394,79,86
अल्पांश हित		4615,24,51	6480,64,58
जमाराशियाँ	3	2722178,28,21	2599810,66,19
उधार राशियाँ	4	369079,33,88	336365,66,48
अन्य देयताएँ और प्रावधान	5	290238,19,13	285272,43,87
योग		**3616433,00,29**	**3445121,56,02**
आस्तियाँ			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ	6	150769,45,69	161018,61,07
बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	7	44519,65,14	112178,54,46
निवेश	8	1183794,24,19	1027280,86,90
अग्रिम	9	1960118,53,51	1896886,82,01
अचल आस्तियाँ	10	41225,79,26	50940,73,77
अन्य आस्तियाँ	11	236005,32,50	196815,97,81
योग		**3616433,00,29**	**3445121,56,02**
आकस्मिक देयताएँ	12	1166334,80,21	1184907,81,79
संग्रहण के लिए बिल		74060,22,00	77727,05,90
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	17		
लेखा - टिप्पणियाँ	18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं।

श्री दिनेश कुमार खारा
प्रबंध निदेशक
(जोखिम, आईटी एवं अनुषंगियां)

श्री पी. के. गुप्ता
प्रबंध निदेशक
(रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग)

बी. श्रीराम
प्रबंध निदेशक
(कॉरपोरेट एवं ग्लोबल बैंकिंग)

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते **वर्मा एण्ड वर्मा**
सनदी लेखाकार

रजनीश कुमार
अध्यक्ष

पी. आर. प्रसन्ना वर्मा
भागीदार
सं. सं. 025854
(फर्म पंजी. सं. 004532 S)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 22 मई, 2018

अनुसूचियाँ

अनुसूची 1 - पूंजी

(000 को छोड़ दिया गया है

	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
प्राधिकृत पूंजी : 5000,00,00,000 शेयर, ₹1 प्रति शेयर (पिछला वर्ष 5000,00,00,000 शेयर, ₹1 प्रति शेयर)	5000,00,00	5000,00,00
निर्गमित पूंजी : 892,54,05,164 इक्विटी शेयर, प्रति ₹1 (पिछला वर्ष प्रति ₹1 के 797,43,25,472 इक्विटी शेयर)	892,54,05	797,43,25
अभिदत्त और संदत्त पूंजी : 892,45,87,534 इक्विटी शेयर, प्रति ₹1 (पिछला वर्ष प्रति ₹1 के 797,35,04,442 इक्विटी शेयर) उपर्युक्त में प्रति ₹ 1 के 12,62,48,980 इक्विटी शेयर (पिछला वर्ष प्रति ₹ 1 के 12,70,16,300 इक्विटी शेयर) सम्मिलित हैं जो 1,26,24,898 (पिछला वर्ष 1,27,01,630) ग्लोबल डिपोजिटरी रसीदों के रूप में हैं।	892,45,88	797,35,04
योग	**892,45,88**	**797,35,04**

अनुसूची - 2 आरक्षित निधियाँ और अधिशेष

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	**सांविधिक आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	64753,52,12		61499,16,34	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	1204,52,01		3254,35,78	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	65958,04,13	-	64753,52,12
II	**पूंजी आरक्षित निधियाँ #**				
	अथशेष	5246,09,99		3354,19,48	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	4332,28,38		1892,26,33	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	30,61	9578,07,76	35,82	5246,09,99
III	**शेयर प्रीमियम**				
	अथशेष	55423,23,36		49769,47,71	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	23718,58,11		5659,92,72	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	17,59,96	79124,21,51	6,17,07	55423,23,36
IV	**विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	5073,92,01		6813,62,99	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	1498,80,30		22,09,80	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	193,62,77	6379,09,54	1761,80,78	5073,92,01

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
V.	**पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	35593,88,13		1374,03,37	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	662,40,83		34558,77,73	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	11408,30,31	24847,98,65	338,92,97	35593,88,13
VI	**राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां**				
	अथशेष	54644,18,21		53725,75,67	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन ##	3264,59,39		960,88,92	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	4425,50,57	53483,27,03	42,46,38	54644,18,21
VII	**लाभ और हानि खाते की शेष**		(9941,19,94)		(4340,03,96)
योग			229429,48,68		216394,79,86

इसमें समेकन पर पूंजीगत आरक्षित निधि ₹123,66,46 हजार (पिछले वर्ष ₹ 242,83,39 हजार) शामिल है

समेकन समायोजनों को घटाकर

अनूसूची - 3 जमाराशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क.	**I.**	**माँग जमाराशियाँ**		
		(i) बैंकों से	5240,84,61	6991,80,91
		(ii) अन्य से	185795,42,20	181890,89,78
	II.	**बचत बैंक जमाराशियाँ**	1019137,42,48	947361,71,12
	III.	**सावधि जमाराशियाँ**		
		(i) बैंकों से	15027,28,78	19848,97,66
		(ii) अन्य से	1496977,30,14	1443717,26,72
योग			**2722178,28,21**	**2599810,66,19**
ख.	**I.**	भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ	2596232,33,79	2491369,62,12
	II.	भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ	125945,94,42	108441,04,07
योग			**2722178,28,21**	**2599810,66,19**

अनूसूची 4 - उधार-राशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
I. भारत में उधार-राशियाँ					
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक			95394,09,00		5000,00,00
(ii) अन्य बैंक			4822,21,61		4376,17,42
(iii) अन्य संस्थाएँ एवं अभिकरण			4370,23,49		71912,62,74
(iv) पूंजीगत लिखत					
क) नवोन्मेषी सतत ऋण लिखत (आईपीडीआई)	11835,00,00			11505,00,00	
ख) गौण ऋण एवं बांड	33665,66,40	45500,66,40		42070,76,40	53575,76,40
योग		**150087,20,50**			**134864,56,56**
II. भारत के बाहर से उधार-राशियाँ					
(I) भारत के बाहर से उधार राशियाँ और पुनर्वित			216974,38,38		195439,97,42
(II) पूंजीगत लिखत					
क) नवोन्मेषी सतत ऋण लिखत (आईपीडीआई)	1955,25,00			5998,62,50	
ख) गौण ऋण एवं बांड	62,50,00	2017,75,00		62,50,00	6061,12,50
योग		**218992,13,38**			**201501,09,92**
कुल योग (I व II)		**369079,33,88**			**336365,66,48**
उपरोक्त I और II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार-राशियाँ		**108384,82,97**			**79426,89,27**

अनुसूची - 5 अन्य देयताएँ और प्रावधान

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	संदेय बिल	26667,07,53	31016,63,09
II.	अंतर-बैंक समायोजन (निवल)	-	100,17,15
III.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	40734,57,50	36342,34,83
IV.	प्रोद्भूत ब्याज	15996,01,47	15664,32,19
V.	आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	5,38,82	3362,04,95
VI.	बीमा व्यवसाय के पॉलिसीधारकों से संबंधित देयताएं	115128,68,83	96797,49,57
VII.	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	12717,18,97	16046,7372
VIII.	अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं)	78989,26,01	85942,68,37
योग		**290238,19,13**	**285272,43,87**

अनुसूची - 6 नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में शेष

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट तथा स्वर्ण सम्मिलित हैं)	15796,02,76	14942,25,80
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष राशियाँ		
	I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट तथा स्वर्ण सम्मिलित हैं)	134973,42,93	146076,35,27
	II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष राशियाँ	-	-
योग		**150769,45,69**	**161018,61,07**

अनुसूची - 7 बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	**भारत में**		
	(i) बैंकों में जमाराशियाँ		
	(क) चालू खातों में	380,85,00	365,03,31
	(ख) अन्य जमा खातों में	2275,38,97	43707,37,40
	(ii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि		
	(क) बैंकों में	1613,94,26	30001,53,04
	(ख) अन्य संस्थाओं में	-	19,45,50
योग		**4270,18,23**	**74093,39,25**
II.	**भारत के बाहर**		
	(i) चालू खातों में	29445,08,67	24958,30,27
	(ii) अन्य जमा खातों में	1550,38,84	4720,03,93
	(iii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	9253,99,40	8406,81,01
योग		**40249,46,91**	**38085,15,21**
कुल योग (I एवं II)		**44519,65,14**	**112178,54,46**

अनुसूची 8 - निवेश

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	**भारत में निवेश :**		
	(I) सरकारी प्रतिभूतियाँ	898369,89,37	778210,37,55
	(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	9203,62,94	7423,43,57
	(iii) शेयर	36902,41,97	30156,08,39
	(iv) डिबेंचर और बांड	108220,08,31	84954,01,86
	(v) सहयोगी एवं अनुषंगियां	3061,30,04	2731,15,94
	(vi) अन्य (म्यूचुअल फंड के यूनिट, कमर्शियल पेपर इत्यादि)	80682,84,64	81382,11,01
योग		**1136440,17,27**	**984857,18,32**

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
II. भारत के बाहर निवेश			
(i) सरकारी प्रतिभूतियां (इसमें स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलित हैं)		13318,89,79	10926,92,52
(ii) सहयोगी		113,74,52	110,56,19
(iii) अन्य निवेश (शेयर, डिबेंचर इत्यादि)		33921,42,61	31386,19,87
योग		**47354,06,92**	**42423,68,58**
कुल योग (I एवं II)		**1183794,24,19**	**1027280,86,90**
III. भारत में निवेश			
(i) निवेशों का सकल मूल्य		1148190,17,89	987835,48,02
(ii) घटाएँ : कुल प्रावधान/मूल्यह्रास		11750,00,62	2978,29,70
(iii) निवल निवेश (ऊपर I के अनुसार)	**योग**	**1136440,17,27**	**984857,18,32**
IV. भारत के बाहर निवेश			
(i) निवेशों का सकल मूल्य		47900,20,34	42524,45,77
(ii) घटाएँ: कुल प्रावधान/मूल्यह्रास		546,13,42	100,77,19
(iii) निवल निवेश (ऊपर II के अनुसार)	**योग**	**47354,06,92**	**42423,68,58**
कुल योग (III एवं IV)		**1183794,24,19**	**1027280,86,90**

अनुसूची 9 - अग्रिम

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क) I.	क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	68767,36,05	79390,60,01
II.	कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और माँग पर प्रतिसंदेय ऋण	758550,41,15	753228,61,48
III.	सावधि ऋण	1132800,76,31	1064267,60,52
योग		**1960118,53,51**	**1896886,82,01**
ख) I.	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों पर अग्रिम सम्मिलित हैं)	1515859,93,23	1495899,32,42
II.	बैंक / सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित	68812,50,75	82409,50,15
II.	अप्रतिभूत	375446,09,53	318577 ,99,44
योग		**1960118,53,51**	**1896886,82,01**
ग) I.	भारत में अग्रिम		
	(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	448358,95,60	471076,83,62
	(ii) सार्वजनिक क्षेत्र	161939,24,46	131884,87,37
	(iii) बैंक	3280,07,87	2641,74,42
	(iv) अन्य	1031896,41,62	993005,12,78
योग		**1645474,69,55**	**1598608,58,19**
II.	भारत के बाहर अग्रिम		
	(i) बैंकों से प्राप्य	77109,63,56	87892,69,43
	(ii) अन्यों से प्राप्य		
	(क) क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	14668,01,47	11719,22,54
	(ख) सिंडीकेट ऋण	124511,75,00	105052,29,85
	(ग) अन्य	98354,43,93	93614,02,00
योग		**314643,83,96**	**298278,23,82**
कुल योग [(ग -I एवं ग - II)]		**1960118,53,51**	**1896886,82,01**

अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
I.	**परिसर**				
	पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	42107,56,59		6505,13,56	
	परिवर्धन:				
	वर्ष के दौरान	119,06,88		1048,36,09	
	पुनर्मूल्यांकन के लिए	-		34558,77,73	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	11293,40,10		4,70,79	
	अद्यतन मूल्यह्रास				
	- लागत पर	666,86,16		731,28,94	
	- पुनर्मूल्यांकन पर	308,66,78	29957,70,43	384,87,11	40991,40,54
II.	**अन्य अचल आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित हैं)**				
	पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	28512,87,72		25746,84,21	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	4165,17,52		3339,55,38	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	1028,30,84		573,51,87	
	अद्यतन मूल्यह्रास	21360,19,16	10289,55,24	19269,63,13	9243,24,59
III.	**पट्टाकृत आस्तियाँ**				
	पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	117,38,81		122,51,66	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	6,85,52		9,39,35	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	4,22,13		14,52,20	
	आज तक का मूल्यह्रास (प्रावधानों सहित)	66,55,50		101,51,40	
		53,46,70		15,87,41	
	घटाएँ : पट्टा समायोजन खाता	-	53,46,70	4,70,45	11,16,96
IV.	**निर्माणाधीन आस्तियां (परिसर सहित)**		925,06,89		694,91,68
योग			**41225,79,26**		**50940,73,77**

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
(I)	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	-	4771,18,77
(II)	अंतर- बैंक समायोजन (निवल)	26,70,13	
(III)	प्रोद्भूत ब्याज	28002,40,66	25611,05,79
(IV)	अग्रिम रूप से प्रदत कर / स्रोत पर काटा गया कर	17728,89,88	12295,19,88
(V)	लेखन सामग्री और स्टांप	125,47,34	133,01,28
(VI)	दावों के निपटान से प्राप्त की गईं गैर-बैंकिंग आस्तियाँ	30,41,48	34,19,97
(VII)	आस्थगित कर अस्तियाँ (निवल)	11837,70,33	4923,37,87
(VIII)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ऋणान्वयन की कमी को पूरा करने के लिए नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी आदि के पास रखी हुई जमाराशियाँ #	95643,16,91	67709,71,52
(IX)	अन्य #	82610,55,77	81338,22,73
योग		**236005,32,50**	**196815,97,81**

इसमें समेकन आधार पर साख ₹ 1734,07,01 हजार शामिल है (पिछले वर्ष ₹ 943,41,50 हजार) शामिल है।

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	समूह के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	35546,03,53	33145,36,29
II.	अंशत: प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	619,44,30	603,35,11
III.	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की बाबत देयता	644808,04,15	656625,33,39
IV.	संघटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ		
	(क) भारत में	149282,50,36	160434,10,71
	(ख) भारत के बाहर	67762,40,06	75098,54,00
V.	प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व	121900,95,22	117916,38,53
VI.	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	146415,42,59	141084,73,76
योग		**1166334,80,21**	**1184907,81,79**
संग्रहण के लिए बिल		**74060,22,00**	**77727,05,90**

भारतीय स्टेट बैंक

समेकित लाभ और हानि खाता 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

(000 को छोड़ दिया गया है)

		अनुसूची सं.	31.03.2018 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	**आय**			
	अर्जित ब्याज	13	228970,27,66	230447,09,96
	अन्य आय	14	77557,24,41	68193,16,59
	योग		**306527,52,07**	**298640,26,55**
II.	**व्यय**			
	व्यय किया गया ब्याज	15	146602,98,20	149114,67,40
	परिचालन व्यय	16	96154,37,27	87289,88,19
	प्रावधान और आकस्मिक व्यय		67957,57,98	62626,38,25
	योग		**310714,93,45**	**299030,93,84**
III.	**लाभ/(हानि)**			
	वर्ष के लिए निवल लाभ/(हानि) (सहयोगियों और अल्पांश हित में हिस्सेदारी के लिए समायोजन करने के पूर्व)		(4187,41,38)	(390,67,29)
	जोड़ें : सहयोगियों के लाभ में हिस्सेदारी		438,15,98	293,28,42
	घटाएं : अल्पांश हित		807,03,60	(338,62,12)
	समूह के लिए निवल लाभ		(4556,29,00)	241,23,25
	आगे लाया गया शेष		(4340,03,96)	3279,83,29
	योग		**(8896,32,96)**	**3521,06,54**
IV.	**विनियोजन**			
	सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरण		59,94,63	3254,35,78
	पूंजी आरक्षित निधियों में अंतरण		921,21,43	2110,21,56
	वर्ष के दौरान पिछले वर्ष हेतु लाभांश का भुगतान (लाभांश पर कर सहित)		-	-
	वर्ष के लिए अंतिम लाभांश		-	2108,56,29
	लाभांश पर कर		63,70,92	387,96,87
	तुलनपत्र में ले जाई गई शेषराशि		(9941,19,94)	(4340,03,96)
	योग		**(8896,32,96)**	**3521,06,54**
	प्रति शेयर मूल आय		₹ (5.34)	₹ 0.31
	प्रति शेयर कम की गई आय		₹ (5.34)	₹ 0.31
	विशिष्ट लेखा नीतियां	17		
	लेखा - टिप्पणियाँ	18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ एवं हानि खाते का एक अभिन्न भाग है।

श्री दिनेश कुमार खारा
प्रबंध निदेशक
(जोखिम, आईटी एवं अनुषंगियां)

श्री पी. के. गुप्ता
प्रबंध निदेशक
(रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग)

बी. श्रीराम
प्रबंध निदेशक
(कॉरपोरेट एवं ग्लोबल बैंकिंग)

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते **वर्मा एण्ड वर्मा**
सनदी लेखाकार

रजनीश कुमार
अध्यक्ष

पी. आर. प्रसन्ना वर्मा
भागीदार
सं. सं. 025854
(फर्म पंजी. सं. 004532 S)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 22 मई, 2018

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2018 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा	144958,59,17	156790,48,00
II.	निवेशों पर आय	75036,61,62	64200,98,24
III.	भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	2410,75,18	2591,57,08
IV.	अन्य	6564,31,69	6864,06,64
योग		**228970,27,66**	**230447,09,96**

अनुसूची 14 - अन्य आय

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2018 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली	22829,85,38	19701,03,46
II.	निवेशों के विक्रय पर लाभ/ (हानि) (निवल)	14170,08,63	13778,42,77
III.	निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / (हानि) (निवल)	(1120,61,02)	-
IV.	भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ / (हानि) (निवल)	(30,73,27)	(43,81,46)
V.	विनिमय लेन-देन पर लाभ / (हानि) (निवल)	2522,45,61	2792,18,63
VI.	भारत/विदेश स्थित सहयोगियों से प्राप्त लाभांश	15,45,97	3,85,50
VII.	वित्तीय पट्टे से आय	-	-
VIII.	क्रेडिट कार्ड सदस्यता/सेवा शुल्क	2126,48,67	1415,89,43
IX.	बीमा प्रीमियम आय (निवल)	26925,87,69	22243,83,01
X.	बट्टे खाते डाले गए खातों में की गई वसूलियां	5522,46,46	4090,89,93
XI.	विविध आय	4595,90,29	4210,85,32
योग		**77557,24,41**	**68193,16,59**

अनुसूची 15 - दिया गया ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2018 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	जमाराशियों पर ब्याज	136109,15,67	138786,78,15
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर-बैंक उधार-राशियों पर ब्याज	5686,89,92	4617,77,07
III.	अन्य	4806,92,61	5710,12,18
योग		**146602,98,20**	**149114,67,40**

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2018 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	35410,62,16	35691,20,50
II.	भाड़ा, कर और बिजली खर्च	5392,58,19	5270,90,67
III.	मुद्रण और लेखन-सामग्री	603,44,87	544,30,58
IV.	विज्ञापन और प्रचार	1997,56,23	600,28,87
V.	(क) पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यह्रास	3094,39,40	2911,03,48
	(ख) बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास (पट्टाकृत आस्तियों के अतिरिक्त)	10,67,70	3,64,95
VI.	निदेशकों के शुल्क, भत्ते और व्यय	6,53,54	9,52,63
VII.	लेखा/परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित)	296,38,24	311,82,32
VIII.	विधि प्रभार	501,90,13	414,86,73
IX.	डाक व्यय, तार और टेलीफोन आदि	1031,49,33	975,44,05
X.	मरम्मत और अनुरक्षण	971,89,71	870,95,63
XI.	बीमा	2774,59,09	2479,26,16
XII.	अन्य परिचालन व्यय-क्रेडिट कार्ड परिचालन से संबंधित	1155,03,28	1655,63,91
XIII.	अन्य परिचालन व्यय बीमा व्यवसाय से संबंधित	29377,02,59	24228,69,27
XIV.	अन्य व्यय	13530,22,81	11322,28,44
योग		**96154,37,27**	**87289,88,19**

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

क. तैयार करने का आधार :

बैंक के वित्तीय विवरण, जहाँ अन्यथा न कहा गया हो, अवधिगत लागत परिपाटी के तहत लेखा की निरंतर प्रोद्भवन पद्धति के आधार पर तैयार किए गए हैं और वे भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा-सिद्धांतों (जीएएपी); जिनमें लागू सांविधिक प्रावधान, नियामक मानदंड/भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देश, बैंककारी विनियमन अधिनियम-1949, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), सेबी (म्यूचुअल फन्ड्स) अधिनियम,1996, कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा-मानक और भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएँ शामिल होती हैं; के अनुरूप हैं। विदेशी संस्थाओं की स्थिति में, सामान्यतः विदेशी संस्थाओं के लिए प्रयोज्य स्वीकृत लेखा सिद्धांतों को अपनाया गया है।

ख. प्राक्कलनों का प्रयोग:

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को, वित्तीय विवरणों की तिथि को - आस्तियों और देयताओं, (इसमें आकस्मिक देयताएँ सम्मिलित हैं) की सूचित राशि तथा सूचना अवधि के दौरान सूचित आय एवं व्यय में प्रतिफलित प्राक्कलन और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन यथोचित एवं तर्कसंगत हैं। भावी परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं।

ग. समेकन का आधार

1. आय निर्धारण:

1. समूह (जिसमें 28 अनुषंगियां, 8 संयुक्त उद्यम और 20 सहयोगी शामिल हैं) के समेकित वित्तीय निम्नलिखित के आधार पर तैयार किए गए हैं:

क. भारतीय स्टेट बैंक (मूल कंपनी) के लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण

ख. लेखा मानक 21 भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान के द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरणों लेखा मानक 21 के अनुसार सभी अंतः समूह भौतिक बकाया/लेनदेन, अवसूलीकृत लाभ/हानि को अलग करके तथा असमरूप लेखा नीतियों के लिए जहां आवश्यक हुआ है, वहाँ आवश्यक समायोजन करने के उपरांत अनुषंगियों की आस्ति/देयता/आय/व्यय का (मूल कंपनी की इन्हीं मदों से) क्रमशः अक्षरशः समेकन किया गया है।

ग. संयुक्त उद्यमों का समेकन- भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान के द्वारा संयुक्त उद्यमों में हितों पर वित्तीय सूचना के संबंधित लेखा मानक -27 के अनुसार समानुपातिक समेकन किया गया है।

घ. सहयोगियों के लिए किए गए निवेश का लेखाकरण ''इक्विटी-पद्धति'' के अंतर्गत भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान के समेकित वित्तीय विवरणों में 'सहयोगियों' में निवेश हेतु लेखाकरण से संबंधित लेखा मानक'' 23 के अनुसार किया गया है।

ङ. ''कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना'' से संबंधित आरबीआई परिपत्र के अनुसार, कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना के भाग के रूप में कंपनियों में प्राप्त किए गए नियंत्रण हित पर न तो समेकन के लिए विचार किया गया है और न ही ऐसे निवेश को अनुषंगी /सहयोगी में निवेश के रूप में समझा गया है कारण कि यह नियंत्रण कार्यक्षम प्रकृति का है, भागीदारी का नहीं।

2. अनुषंगी कंपनियों में समूह के निवेश की लागत तथा अनुषंगियों की इक्विटी में समूह के अंश के बीच के अंतर को वित्तीय विवरणों में साख/पूंजी आरक्षिती के रूप में दिखाया गया है।

3. समेकित अनुषंगियों की निवल आस्तियों में अल्पांश हित निम्नवत है:

क. जिस तिथि को किसे अनुषंगी में निवेश किया गया है, उस तिथि को अल्पांश हित की इक्विटी-राशि, और

ख. मूल कंपनी और अनुषंगी के स्थापित होने की तिथि से आय आरक्षितियों/हानि (इक्विटी) में अल्पांश-शेयर का उतार-चढ़ाव।

घ. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ:

1. आय निर्धारण:

1.1 जहाँ अन्यथा न कहा गया हो, आय और व्यय को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है। बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में आय एवं व्यय को उस देश के स्थानीय कानून के अनुसार शामिल किया गया है जिस देश में वह कार्यालय स्थित है।

1.2 ब्याज/छूट आय का लाभ और हानि खाते में प्रोद्भूत आधार पर दिखाया गया है सिवाय निम्न के (i) अग्रिमों, पट्टों और निवेशों से समाविष्ट अनर्जक आस्तियों से आय, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक/विदेश स्थित कार्यालयों के मामलों में संबंधित देश के विनियामकों (इसके पश्चात् सामूहिक रूप से विनियामक प्राधिकारी के रूप में संदर्भित) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली आधार पर किया जाता है, (ii) निवेशों तथा बट्टाकृत बिलों पर अतिदेय ब्याज और (iii) रुपया डेरीवेटिव्स पर आय जिसे वसूली के आधार पर लेखे में लिया गया है को "ट्रेडिंग" नाम दिया गया है।

1.3 निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ अथवा हानि को लाभ तथा हानि खाते में दिखाया गया है। तथापि "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ को (प्रयोज्य करों और सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित की जाने वाली निवल राशि) "पूंजी आरक्षिती खाते" में विनियोजित किया गया है।

1.4 वित्त पट्टों से हुई आय का परिकलन प्राथमिक पट्टा अवधि से अधिक अवधि के पट्टे में बकाया निवल निवेश पर पट्टे में अन्तर्निहित ब्याज दर लगाकर किया गया है। 01 अप्रैल, 2001 से प्रभावी पट्टों को पट्टे में निवल निवेश के समान राशि को आई सी ए आई द्वारा जारी लेखा मानक 19 - "पट्टा" के अनुसार अग्रिम के रूप में लेखे में लिया गया है। पट्टों का किराया मूल राशि और वित्त आय में संविभाजित किया है जो कि वित्त पट्टों के संबंध में बकाया निवल निवेशों के नियत आवधिक प्रतिफल के नमूने पर आधारित है। मूल राशि का उपयोग पट्टे में निवल निवेश की शेष राशि को घटाने के लिए किया गया है और वित्त आय को ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

1.5 "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी में निवेश पर आय (ब्याज को छोड़कर) को अंकित मूल्य की तुलना में बट्टाकृत मूल्य पर निम्नवत स्वीकृत किया गया है :

i. ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर इसे बिक्री/शोधन के समय मान्य किया गया है।

ii. शून्य-कूपन प्रतिभूतियों पर इसे प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए नियत आय आधार पर लेखे में लिया गया है।

1.6 लाभांश प्राप्त करने का अधिकार लागू होने पर, लाभांश आय को निर्धारित किया गया है।

1.7 इस अवधि में एलसी / बीजी, आस्थगित भुगतान गारंटियों, सरकारी व्यवसाय, एटीएम इंटरचेंज शुल्क और 'पुनर्संरचित खाते पर अग्रिम शुल्क' पर कमीशन को प्रोद्भूत आधार पर आनुपातिक रूप से निर्धारित किया गया है। अन्य सभी कमीशन और शुल्क आय उनकी प्राप्ति के आधार पर निर्धारित की गई है।

1.8 विशेष आवास ऋण योजना (दिसम्बर 2008 से जून 2009) के अंतर्गत प्रदत्त एकबारगी बीमा प्रीमियम को 15 वर्ष की अवधि के औसत ऋण पर परिशोधित किया गया है।

1.9 बॉन्ड/जमापत्र जारी करने के लिए किए गए भुगतान/खर्च को, दी गई दलाली, कमीशन व संबंधित बॉन्ड एवं जमापत्र की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है एवं इन्हें जारी करने पर हुए खर्च को अग्रिम रूप से प्रभारित किया गया है।

1.10 अनर्जक आस्तियों के विक्रय को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखे में लिया गया है,:-

i. जब बैंक अपनी वित्तीय आस्तियों का विक्रय प्रतिभूतिकरण कंपनी / पुनर्निर्माण कंपनी को करता है, तो इसे अपने खातों से हटा देता है।

ii. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य (बही मूल्य से प्रावधानों को घटा कर) से कम है तो इस कमी को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते के नामे किया गया है।

iii. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य से ज्यादा है, तो आरबीआई की अनुमति के अनुसार अतिरिक्त प्रावधान की राशि को उसके प्राप्त होने वाले वर्ष में ही वापस कर लिया गया है।

1.11 गैर-बैंकिंग इकाइयां

मर्चेण्ट बैंकिंग:

क. ग्राहक के साथ हुए करार के अनुसार और सुपुर्द कार्य को पूर्ण करने के चरण के आधार पर निर्गम-प्रबंधन और परामर्श शुल्क प्रभाव अंतरण को घटाकर शामिल किया गया है।

ख. सुपुर्द नियत-कार्य के पूरा होने के बाद निजी स्थानन शुल्क को शामिल किया गया है।

ग. शेयर दलाली कार्यकलाप से संबंधित दलाली आय को लेनदेन करने की तिथि पर शामिल किया गया है और उसमें स्टांप शुल्क एवं लेनदेन संबंधी व्यय शामिल है तथा योजना के लिए दी गई प्रोत्साहन राशियाँ शामिल नहीं हैं।

घ. सार्वजनिक निर्माण से संबंधित कमीशन को सार्वजनिक निर्गम के आवंटन की प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात बिचौलियों से सूचना प्राप्त होने पर लेखे में लिखा गया है।

ङ सार्वजनिक निर्गम/म्यूचुअल फंड/अन्य प्रतिभूतियों से संबंधित दलाली आय को ग्राहकों/बिचौलियों से राशि और सूचना प्राप्त होने के बाद लेखे में लिया गया है।

च. निक्षेपागार आय-वार्षिक अनुरक्षण प्रभार प्रोद्भवन आधार पर शामिल किए गए हैं और लेनदेन प्रभार लेनदेन की संव्यवहार तिथि को शामिल किए गए हैं।

आस्ति प्रबंधन

क. संबंधित योजनाओं में विशिष्ट दरों पर प्रबंधन शुल्क को आय में शामिल किया गया है। इन दरों को प्रत्येक योजना की निवल आस्ति के दैनिक औसत आधार पर लगाया गया है (इसमें जहां लागू हो, अंतर-योजना विनिधान और संबंधित योजनाओं में कांपनी द्वारा किए गए विनिधानों को शामिल नहीं किया गया है) और यह सेबी (म्यूचुअल-फंड) विनियम, 1996 द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुरूप है।

ख. संविदा की शर्तों के अनुसार, संविभाग सलाहकारी सेवाओं, संविभाग प्रबंधन सेवाओं से प्राप्त आय और वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) से प्राप्त प्रबंधन शुल्क को प्रोद्भवन आधार पर शामिल किया गया है।

ग. प्रतिस्थापन अधिकार के अंतर्गत कंपनी द्वारा अभिगगृहीत योजनाओं के अंतरित निवेशों की वसूली प्राप्ति आधार पर लेखे में ली गई है। निधिक गारंटी योजनाओं से होने वाली वसूली को प्राप्ति के वर्ष के आय के रूप में माना गया है।

घ. निर्धारित दरों से अधिक योजना व्ययों और नई फंड पेशकश से संबंधित व्ययों को सेबी (म्यूचुअल-फंड) विनियम, 1996 की अपेक्षाओं के अनुसार लाभ एवं हानि खाते में उसी वर्ष में शामिल किया गया है, जिसमें वे वहन किए गए।

ङ. असीमित अवधि वाली इक्विटी सम्बद्ध कर बचत योजनाओं और सुव्यवस्थित निवेश (एस आई पी) से संबंधित निवेशों पर प्रदत्त दलाली तथा/अथवा प्रोत्साहन राशि को 36 महीनों की अवधि के दौरान और अन्य योजनाओं के मामले में क्लो बैक अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है। सीमित अवधि वाली योजनाओं के मामले में, दलाली की राशि को योजनाओं की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है।

क्रेडिट कार्ड परिचालन:

क. सदस्यता ग्रहण शुल्क केवल सदस्यता ग्रहण का अधिकार प्रदान करती है और न कि अन्य कोई अधिकार/विशेषाधिकार और इसलिए प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिया गया है।

ख. विनिमय आय को प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिया गया है।

ग. कुल अनिर्धारित प्राप्तियों को, जिन्हें पूर्ण एवं सही सूचना के अभाव में ग्राहकों के खातों में जमा या समायोजित नहीं किया जा सका, तुलनपत्र में देयता के रूप में समझा गया है। अपलिखित किए गए, खातों वाले ग्राहकों के संबंध में 6 महीने से अधिक और 3 वर्षों तक की अनुमानित अनिर्धारित प्राप्तियों को तुलनपत्र की तिथि को आय के रूप में प्रतिलेखन किया गया है। इसके अतिरिक्त, 3 वर्षों से अधिक की समाधान नहीं हुई अनिर्धारित प्राप्तियों को भी तुलनपत्र की तिथि को आय के रूप में प्रतिलेखन किया गया है। तीन वर्षों से अधिक की गत अवधि वाले चेक की देयता को आय के रूप में प्रतिलेखन किया गया है।

घ. अन्य सभी आय/सेवा शुल्क सबंधित लेनदेन के समय दर्ज किए गए हैं।

फैक्टरिंग:

फैक्टरिंग प्रभार कंपनी द्वारा निर्धारित लागू दरों पर ऋणों को फैक्टरिंग पर उपचित हुए हैं। प्रक्रिया प्रभारों को तभी आय के रूप में शामिल किया गया है जब प्रलेखों के निष्पादन के पश्चात इसके प्राप्त होने की पर्याप्त निश्चितता हो। सभी सक्रिय मानक खातों के संबंध में सुविधा निरंतरता शुल्क (एसीएफ) की गणना की गई है और अगले सम्पूर्ण वित्त वर्ष के लिए उसे मई महीने में प्रभारित किया गया है। एक मई को एसीएफ के प्रोद्भवन की तिथि के रूप में समझा गया है।

जीवन बीमा:

क. पॉलिसी धारकों से देय होने पर, असंबद्ध व्यवसाय प्रीमियम (सेवाकर को घटाने के बाद) को आय के रूप में लिया जाता है। संबद्ध व्यवसाय के मामले में, एसोसिएटेड इकाइयों के आवंटन के समय प्रीमियम आय का निर्धारण किया जाता है। विभिन्न बीमा उत्पादों के मामले में प्रीमियम आय को उस तारीख से आय के रूप में लिया जाता है, जिस तारीख से पॉलिसी मूल्य जमा किया जाता है। कालातीत पॉलिसियों को जब तक पुनः प्रवर्तित नहीं किया जाता, तब तक ऐसी पॉलिसियों के वसूल न किए गए प्रीमियम को हिसाब में नहीं लिया जाता है।

ख. टॉप-अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम के रूप में समझा गया है।

ग. संबद्ध निधियों से आय जिसमें निधि प्रबंधन प्रभार, पॉलिसी प्रबंधन प्रभार, मृत्यु प्रभार आदि शामिल हैं; पॉलिसी के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार संबद्ध निधि से वसूल किए गए हैं और वसूली होने पर शामिल किए गए हैं।

घ. इक्विटियों प्रतिभूतियों और म्यूचुअल फंड की इकाइयों के संबंध में वसूल हुए लाभ एवं हानियों की गणना निवल बिक्री आगम राशियों और उनकी लागत के बीच अंतर के रूप में की जाती है। ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में, वसूल हुए लाभ एवं हानि की गणना निवल बिक्री आगम राशियों या मोचन अगाम राशियों और भारित औसत परिशोधित लागत के बीच अंतर के रूप में की जाती है। इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड की इकाइयों के संबंध में लागत की गणना भारित औसत पद्धति से की जाती है।

ङ. प्रतिभूतियाँ उधार देने और लेने की योजना के तहत इक्विटी शेयर उधार देने पीआर प्राप्त शुल्क को सीधी रेखा पद्धति के आधार पर उधार देने की अवधि के दौरान आय के रूप में माना जाता है।

च. पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम को पुनर्बीमाकर्ता के साथ हुई संधि अथवा सैद्धांतिक व्यवस्था की शर्तों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।

छ. दिए गए लाभः

- जहां प्रयोज्य हो, दावा-व्यय में पॉलिसी लाभ एवं दावा निपटान व्यय शामिल होते हैं।
- मृत्यु और अनुवृद्धि से संबंधित दावों की सूचना प्राप्त होने पर उन्हें हिसाब में लिया जाता है। अवधि के अंत की सूचनाओं पर ऐसे दावों की गणना के लिए विचार किया जाता है।
- परिपक्वता से संबंधित दावों को पोंलिसी की परिपक्वता तिथि को हिसाब में लिया जाता है।
- उत्तरजीविता और वार्षिकी लाभों की गणना उस समय की जाती है, जब वे देय होते हैं।
- अभ्यर्पणों को सूचित किए जाने पर हिसाब में लिया जाता है। अभ्यर्पणों में व्यपगत पॉलिसियों पर देय राशि सम्मिलित होती है और इसे देय होने पर हिसाब में लिया जाता है। अभ्यर्पणों और पॉलिसी व्यपगत होने पर प्रकटीकरण वसूली योग्य प्रभारों को घटाकर किया जाता है।
- न्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत विवादित दावों का उनके द्वारा निराकृत करने पर प्रबंधन के विवेकानुसार इन दावों के संबंध में उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करके निपटान करने के लिए प्रावधान किया गया है।
- पुनर्बीमाकर्ताओं से वसूल की जाने वाली राशियों को संबंधित दावों की अवधि के लिए हिसाब में लिया जाता है और उन्हें दावों से घटाया जाता है।

ज. कमीशन जैसे अधिग्रहण खर्च, चिकित्सा शुल्क आदि ऐसे खर्च हैं जो मुख्य रूप से नए एवं नवीकृत बीमा संविदाओं के अधिग्रहण से संबंधित होते हैं और इंनका भुगतान व्यय के समय ही कर दिया जाता है।

झ. **बीमा पॉलिसियों के लिए देयता:** सभी जीवन बीमा पॉलिसियों की बीमांकिक देयता के गणना बीमा अधिनियम, 1938 और आईआरडीए द्वारा जारी नियमों व विनियमों तथा परिपत्रों के अनुसार और इंस्टिट्यूट ऑफ एक्चूअरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी संबंधित मार्गदर्शी नोटों के अनुसार नियुक्त किए गए बीमांकनकर्ता द्वारा की जाती है। गैर-संबद्ध व्यवसाय के संबंध में देयता की गणना भावी सकल प्रीमियम मूल्यांकन पद्धति का उपयोग करके की जाती है। वर्तमान और भावी अनुभव को ध्यान में रखते हुए भावी अनुमानों के आधार पर एक सुनिश्चित देयता की गणना की जाती है। संबद्ध व्यवसाय से संबंधित इकाई देयता को मूल्यन तिथि को लागू निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) का उपयोग करके पॉलिसी धारकों के नाम में विद्यमान इकाइयों के मूल्य के अनुरूप लिया जाता है। विभिन्न बीमा पॉलिसियों का मूल्यांकन यूएलआईपी व्यवसाय का मूल्यांकन पद्धति के अनुरूप ही किया जाता है कारण कि पॉलिसी धारक के खाते में पड़ी हुई जमा राशि को और खर्च पूरा करने के लिए खर्चों की पर्याप्तता के लिए किए गए अतिरिक्त प्रावधान को देयता के रूप में समझा जाता है।

साधारण बीमा:

क. प्रीमियम जिसमें स्वीकृत की गई पुनर्बीमा शामिल है, को जोखिम प्रारम्भ होने की तिथि से बहियों में दर्ज किया जाता है। यदि प्रीमियम किस्तों में वसूल किया जाता है, तो देय किश्त की सीमा तक की राशि को किस्त की देय तिथि पर दर्ज किया जाता है, तो देय किश्त की सीमा तक की राशि को किस्त की देय तिथि पर दर्ज किया जाता है। प्रत्यक्ष व्यवसाय और स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम (पुनर्नियोजन प्रीमियम सहित) की सेवा कर घटाने के बाद 1/365 पद्धति के अनुसार सकल आधार पर संविदा अवधि या जोखिम अवधि, जो भी उपयुक्त हो, में आय के रूप में दिखाया गया है। पॉलिसियों के रद्द होने से प्रीमियम आय में होने वाले समायोजनों को उस अवधि में दिखाया गया है जिसमें वह रद्द की गई है।

ख. बंद की गई पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन को उस अवधि में आय के रूप में दिखाया गया है जिस अवधि में पुनर्बीमा जोखिम बंद की गई है। पुनर्बीमा संधियों के अंतर्गत लाभ कमीशन, जहां कहीं लागू हो, को लाभ के अंतिम निर्धारण वाले वर्ष में आय के रूप में दिखाया गया है, जिस प्रकार पुनर्बीमाकर्ता द्वारा सूचित किया गया है और उसे बंद की गई पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन के साथ रखा गया है।

ग. बंद की गई आनुपातिक पुनर्बीमा पॉलिसी के संबंध में, बंद की गई पुनर्बीमा पॉलिसी की लागत जोखिम के शुरुआत होने के आधार पर उपचित हुई है। गैर-आनुपातिक पुनर्बीमा लागत को देय होने के समय दिखाया गया है। गैर-आनुपातिक पुनर्बीमा लागत को पुनर्बीमा व्यवस्थाओं के अनुसार हिसाब लिया गया है। अन्य कोई अनुवर्ती संशोधन होने पर, प्रीमियमों को वापस या निरस्त करने को उस अवधि में दिखाया गया है जिसमें वह देय होता है।

घ. पुनर्बीमा प्राप्य स्वीकृतियों को बीमाकर्ताओं से वापस प्राप्त मात्र में हिसाब में लिया गया है।

ङ. अधिग्रहण लागतें जैसे कमीशन, पॉलिसी निर्गम व्यय आदि ऐसी लागतें हैं जो मुख्य रूप से नए एवं नवीकरण व्यवसाय संविदाओं के अधिग्रहण से संबंधित हैं और उस अवधि में व्यय की गई है जिसमें वे उपस्थित हुई हैं। अधिग्रहण लागत निर्धारण मुख्यतया लागतों और बीमा संविदाओं के निष्पादन (अर्थात जोखिम की शुरुआत) के आधार पर किया जाता है।

च. दावे को नुकसान होने की सूचना प्राप्त होने पर उपलब्ध सूचना और विगत अनुभव के आधार पर प्रबंधन द्वारा यथा अनुमानित देय दावा राशि के लिए प्रावधान करके हिसाब लगाया जाता है। तुलनपत्र को देय बकाया दावों से संबंधित प्रावधान में से पुनर्बीमा अवशिष्ट मूल्य और प्रबंधन द्वारा अनुमानित अन्य वसूलियों को घटाया जाता है।

छ. दावा संबंधी देयताएं जो किसी लेखा वर्ष जिनके लिए उपचित हो गई है परंतु

- जिसे लेखा अवधि की समाप्ति से पूर्व सूचित या दावा नहीं किया गया है (आईबीएनआर) या
- पर्याप्त रूप से सूचित नहीं की गई है, (अर्थात इस टिप्पणी के साथ सूचित की गई है कि संभावित दावा राशि का एक उचित अनुमान लगाने के लिए सूचना अपर्याप्त के साथ सूचित की गई है (आईबीएनआर), से संबंधित प्रावधान वह राशि है जो आईआरडीए की सहमति से भारतीय बीमांकिक सोसायटी द्वारा जारी मार्गदर्शी टिप्पणियों और इस संबंध में आईआरडीए द्वारा जारी अन्य निर्देशों के अनुसार बीमांकिक सिद्धांतों के आधार पर नियुक्त बीमांकनकर्ता/परामर्शी बीमांकनकर्ता द्वारा निर्धारित की गई है।

अभिरक्षा एवं निधि लेखांकन सेवाएं:

आय का निर्धारण उस सीमा तक किया गया है कि कंपनी को आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना है और इस आय का विश्वासपूर्वक मापन किया जा सकेगा।

पेंशन निधि परिचालन:

प्रबंधन शुल्क को कंपनी और एनपीएस न्यासियों के बीच हुए निवेश प्रबंधन करार (आई एमए) के अनुसार तैयार की गई संबद्ध योजनाओं में प्रत्येक योजना के दैनिक निवल आस्तियों के आधार पर शामिल किया गया है। यह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप है। कंपनी सेवा कर को घटाकर लेखों में आय प्रस्तुत करते हैं।

न्यासी परिचालन:

क. म्यूचुअल फंड ट्रस्टीशिप फीस का निर्धारण संबंधित योजनाओं के लिए सहमत की गई विशिष्ट दरों पर किया गया है और प्रत्येक योजना की औसत दैनिक निवल आस्तियों के आधार पर लागू की गई है (अंतर योजना निवेश, स्थायी जमाराशियों में निवेश, आस्ति प्रबंधन कंपनी द्वारा किए गए निवेश और आस्थगित राजस्व व्यय, जहां कहीं लागू हो, को छोडकर), तथा सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के अंतर्गत निर्दिष्ट की गई सीमाओं के अनुरूप है।

ख. कॉरपोरेट ट्रस्टीशिप एक्सेप्टेंस फीस का निर्धारण ट्रस्टीशिप असाइनमेंट की स्वीकृति या के निष्पादन, जो भी पहले हो, पर किया गया है। कॉरपोरेट ट्रस्टीशिप सेवा प्रभार ग्राहकों के साथ हुए ट्रस्टीशिप संविदाओं/करारों के अनुसार निर्धारित/प्रोद्भूत किए गए हैं।

ग. ऑनलाइन ''बिल'' सेवाओं से प्राप्त आय का निर्धारण तब किया जाता है जब शुल्क प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, इसलिए ऐसे आय निर्धारण की निश्चिंतता इस समय ऐसे अधिकार प्राप्त होने पर हो जाती है।

आंतरिक संरचना और सुविधा प्रबंधन:

जब कभी भी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, परियोजना प्रबंधन, सुविधा प्रबंधन और रखरखाव संविदाओं से प्राप्त आय को संविदा की अवधि के दौरान यथानुपात आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

निवेश:

सभी प्रतिभूतियों में लेन - देन को "निपटान तिथि"(सेटलमेंट डेट) पर दर्ज किया गया है ।

1.12 वर्गीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार निवेशों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)", "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" और "व्यवसाय के लिए धारित" (एचएफटी)।

1.13 वर्गीकरण का आधार:

i. जिन निवेशों को बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है, उन्हें "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ii. जिन निवेशों को सिद्धांततः क्रय तिथि से 90 दिनों के भीतर पुनर्विक्रय हेतु रखा गया है, उन्हें "व्यवसाय के लिए रखे गए (एचएफटी)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iii. जिन निवेशों को उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है, उन्हें "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iv. किसी निवेश को इसके क्रय के समय "परिपक्वता तक धारित", "विक्रय के लिए उपलब्ध" या "व्यवसाय के लिए रखे गए" के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उसके पश्चात श्रेणियों में परिवर्तन विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया गया है।

1.14 मूल्यांकन:

क. बैंकिंग व्यवसाय

i. किसी निवेश की अधिग्रहण-लागत का निर्धारण करने में:

क. अभिदानों पर प्राप्त दलाली/कमीशन को लागत में से घटा दिया गया है।

ख. निवेश के अधिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेन - देन कर (एसटीटी) आदि को उसी समय व्यय कर दिया गया है और इन्हें लागत में शामिल नहीं किया गया है।

ग. ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/आय माना गया है और इन्हें लागत/विक्रय-प्रतिफल में शामिल नहीं किया गया है।

घ. एएफएस और एचएफटी श्रेणी के तहत निवेशों की लागत का निर्धारण समूह इकाइयों द्वारा भारित औसत लागत पद्धति से किया जाता है और एटीएम श्रेणी के तहत निवेशों की लागत का निर्धारण एसबीआई द्वारा फीफो (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट) आधार पर और अन्य समूह इकायों द्वारा भारित औसत लागत पद्धति से किया जाता है।

ii. एचएफटी/एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण, अंतरण की तिथि को अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य, इन तीनों में से न्यूनतम के आधार पर किया गया है। ऐसे अंतरण पर हुआ मूल्यह्रास, यदि कोई हो, तो उस हेतु पूर्णतः प्रावधान किया गया है। परंतु एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में अंतरण अधिग्रहण लागत/बही मूल्य पर किया गया है। अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया गया है एवं किसी भी प्रकार के मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया गया है ।

iii. ट्रेजरी बिलों और वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यांकन रखाव लागत आधार पर किया गया है।

iv. **"परिपक्वता तक धारित"** श्रेणीः क) "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के निवेशों को अधिग्रहण लागत पर लेखे में लिया गया है जब तक कि उसका मूल्य अंकित मूल्य से अधिक न हो, जिसमें प्रीमियम को बची हुई परिपक्वता अवधि के लिए नियत आय आधार पर परिशोधित किया गया है। ऐसे प्रीमियम के परिशोधन को "निवेश पर ब्याज" शीर्ष के अन्तर्गत आय के सापेक्ष समायोजित किया गया है। (ख) अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों (देश और विदेश दोनों) में निवेश को अवधिगत लागत आधार पर मूल्यांकित किया गया है। अस्थायी से इतर प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग, कमी की पूर्ति के लिए प्रावधान किया गया है। (ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश जिसे रखाव लागत (यानी बही मूल्य) आधार पर मूल्यांकित किया गया है।

v. विक्रय के लिए उपलब्ध तथा व्यवसाय के लिए धारित श्रेणियाँः एएफएस एवं एचएफटी श्रेणिया के तहत रखे गए निवेशों का पुनर्मूल्यन विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित बाजार मूल्य या उचित मूल्य के अनुसार किया गया है और प्रत्येक श्रेणी से सम्बद्ध प्रत्येक समूह जैसे (i) (सरकारी प्रतिभूतियाँ) (ii) (अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ), (iii) (शेयर), (iv) (बांड एवं ऋणपत्र), (v) (अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम) और (vi) अन्य के सिर्फ निवल मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि को लेखे में नहीं लिया गया है। मूल्यह्रास का प्रावधान होने पर प्रत्येक प्रतिभूति का बही मूल्य बाजार के बही - मूल्य के अनुसार अंकन के पश्चात अपरिवर्तित रहा है।

vi. प्रतिभूति रसीद जारी करने के बदले प्रतिभूतिकरण कंपनी/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी को अनर्जक आस्तियां (वित्तीय आस्तियां) बेचे जाने के मामले में प्रतिभूति रसीद में निवेश को i) वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य (बही मूल्य में से प्रावधान घटा कर), ii) प्रतिभूति के मोचन, दोनों में जो भी कम हो, मान्य किया जाता है। आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों के मूल्य का नॉन एसएलआर के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है। तदनुसार, जिन मामलों में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का परिशोधन तत्सम्बद्ध योजना के लिखतों के लिए आबंटित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली के अनुसार किया गया है, उन मामलों में निवल आस्ति मूल्य, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी से प्राप्त, की गणना ऐसे निवेश के मूल्यन के लिए की गई है।

vii. देशीय कार्यालयों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के तथा विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में उस देश के विनियामकों के दिशा-निर्देशों के आधार पर निवेश को अर्जक और अनर्जक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। देशीय कार्यालयों के निवेश निम्नलिखित स्थितियों में अनर्जक हो जाते हैंः

क. ब्याज/किस्त (परिपक्वता राशि सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया है।

ख. इक्विटी शेयरों के संबंध में, जहाँ अद्यतन तुलनपत्र की अनुपलब्धता के कारण शेयरों को ₹1/- प्रति कंपनी मूल्य प्रदान किया गया है - ऐसे इक्विटी शेयरों को अनर्जक निवेश माना जाएगा।

ग. यदि इकाई द्वारा ली गई कोई ऋण-सुविधा बैंक-बही में अनर्जक आस्ति हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में उसी इकाई द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में निवेश को और जारीकर्ता द्वारा निवेश को अनर्जक निवेश माना जाएगा।

घ. उपर्युक्त, आवश्यक परिवर्तनों के साथ उन अधिमानी शेयरों पर भी लागू होगा जहाँ नियत लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है।

ङ. ऐसे डिबेंचरों/बांडों में निवेश जो अग्रिम प्रकृति के माने गए हैं, उन पर भी अनर्जक निवेश के वही मानदंड लागू होंगे जो निवेश पर लागू होते हैं।

च. विदेश स्थित कार्यालयों के मामले में अनर्जक निवेश हेतु प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों, जो अधिक सख्त हों, के अनुसार किया गया है।

viii. रेपो/रिवर्स रिपो लेनदेन (भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन लेनदेन के अलावा) का लेखाकरणः

क. रेपो/रिवर्स रेपो के अधीन विक्रय/क्रय की गई प्रतिभूतियों को संपार्श्विक ऋण लेन - देन के रूप में लेखांकित किया गया है। परंतु एकमुश्त विक्रय/क्रय लेनदेन मामलों की तरह प्रतिभूतियों को अंतरित किया गया है और इस तरह के अंतरणों को रिपो/ रिवर्स रिपो खातों एवं दुतरफा प्रविष्टियों का उपयोग करके दर्शाया गया है। इन प्रविष्टियों को परिपक्वता की तिथि को प्रतिवर्तित किया गया है। लागत एवं आय को यथास्थिति ब्याज व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है। रेपो खाते की शेष राशि को अनुसूची - 4 (उधार-राशियाँ) एवं रिवर्स रिपो खाते की शेष राशि को अनुसूची - 7 (बैंकों में शेष तथा माँग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि) के तहत श्रेणीबद्ध किया गया है।

ख. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन क्रय/ विक्रय की गई प्रतिभूतियों पर व्यय/ अर्जित ब्याज को व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है।

बाजार पुनर्खरीद और प्रतिवर्ती पुनर्खरीद लेनदेन के साथ-साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत आरबीआई के साथ लेनदेन को मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार उधार लेने और उधार देने के लेनदेन के रूप में माना गया है।

ख. बीमा व्यवसायः

जीवन और साधारण बीमा अनुषंगियों के मामले में, निवेश बीमा अधिनियम, 1938, आईआर डीएआई(निवेश) विनियम, 2016, कंपनी और आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण) विनियम, 2002, कंपनी की निवेश नीति और समय-समय पर आईआरडीएआई द्वारा तथा निर्गमित विभिन्न अन्य परिपत्रों/अधिसूचनाओं के अनुसार किए गए हैं।

(i) गैर-संबद्ध बीमा व्यवसाय और साधारण बीमा व्यवसाय से संबंधित निवेश का मूल्यांकनः

- सरकारी प्रतिभूतियों सहित सभी ऋण प्रतिभूतियों का अवधिगत लागत के आधार पर परिशोधन के अध्यधीन उल्लेख किया गया है।
- सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का तुलनपत्र की तारीख को उचित मूल्य पर आकलन किया गया है। उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई (बीएसई) पर बाजार बंद होने के समय उद्धृत आखिरी मूल्य में से निचले मूल्य को शामिल किया जाता है।
- असूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों, इक्विटी संबंधित लिखतों और अधिमान शेयरों का आंकन अवधिगत लागत आधार पर किया जाता है।

- प्रतिभूति उधार देने और उधार लेने के मामले में, उधार दिए गए इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन यथा उल्लिखित इक्विटी शेयरों की मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया जाता है।
- आईआरडीएआई द्वारा यथा निर्दिष्ट ''इक्विटी''के तहत वर्गीकृत अतिरिक्त टियर-1 (बेसल III अनुपालक) बेमियादी बॉण्ड का मूल्यांकन क्रिसिल से प्राप्त मूल्य के आधार पर किया जाता है।
- म्यूचुअल फंड यूनिटों में निवेश का जीवन बीमा में पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर और साधारण बीमा में तुलनपत्र की तारीख को मूल्यांकन किया जाता है।
- वैकल्पिक निवेश निधियों के निवेश का मूल्यांकन नवीनतम उपलब्ध एनएवी के आधार किया जाता है।
- शेयरधारकों के निवेशों और गैर-संबद्ध पॉलिसी धारकों के निवेशों के संबंध में सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिटों के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण होने वाले अवसूल लाभ या हानियाँ ''आय और अन्य आरक्षितियां(अनुसूची 2)'' में और ''बीमा व्यवसाय में पॉलिसी धारकों से संबंधित देयताएं (अनुसूची 5)''क्रमशः तुलनपत्र में लिए गए हैं।

ii. संबद्ध व्यवसाय से संबंधित निवेश का मूल्यांकन :

- एक वर्ष से अधिक की शेष परिपक्वता अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन क्रेडिट रेटिंग इन्फोर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड (क्रिसिल) से प्राप्त मूल्यों पर किया जाता है सिवाय भारत सरकार के स्क्रिपों के जिनका मूल्यांकन निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) संघ (एफआईएमएमडीए) से प्राप्त मूल्यों पर किया जाता है। एक वर्ष से अधिक की शेष परिपक्वता अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर अन्य ऋण प्रतिभूतियों का मूल्यांकन क्रिसिल बॉन्ड वैल्यूअर के आधार पर किया जाता है। एक वर्ष या उससे कम की शेष परिपक्वता अवधि वाली सरकारी और अन्य ऋण प्रतिभूतियों की अपरिशोधित और औसत लागत को प्रतिभूतियों की शेष अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है। ऐसे मूल्यांकन से होने वाले अवसूल लाभ या हानियों को लाभ एवं हानि खाते में शामिल किया गया है।
- सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का तुलनपत्र की तारीख को उचित मूल्य पर आकलन किया जाता है। उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) के बाजार बंद होने के समय के आखिरी उद्धृत मूल्य का उपयोग किया जाता है। एनएसई में सूचीबद्ध किए गए इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बीएसई के बाजार बंद होने के समय के आखिरी उद्धृत मूल्य पर किया गया है।
- असूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों का आंकन अवधिगत लागत आधार पर किया जाता है।
- प्रतिभूति उधार देने और उधार लेने के मामले में, उधार दिए गए इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन नीति के अनुसार किया जाता है जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है।
- आईआरडीए द्वारा यथा निर्दिष्ट ''इक्विटी'' के तहत वर्गीकृत अतिरिक्त टियर-1(बेसल-3 अनुपालक) बेमियादी बॉण्ड का मूल्यांकन क्रिसिल से प्राप्त मूल्य के आधार किया जाता है।
- म्यूचुअल फंड यूनिटों में किए गए निवेशों का मूल्यांकन पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर किया जाता है।
- इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिटों के उचित मूल्य में परिवर्तनों के कारण होने वाले अवसूल लाभों या हानियों को लाभ एवं हानि खाते में दिखाया जाता है।

2. ऋण/अग्रिम और उन पर प्रावधान

2.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक और अनर्जक ऋणों और अग्रिमों के रूप में किया गया है। ऋण आस्तियाँ उन मामलों में अनर्जक बन जाती हैं, जहाँः

i. सावधि ऋण के संबंध में, ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है।

ii. ओवरड्राफ्ट या नकद-ऋण अग्रिम के संबंध में खाता "असंगत" ("आउट ऑफ आर्डर)" रहता है, अर्थात् यदि बकाया शेष राशि निरन्तर 90 दिनों की अवधि के लिए संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से अधिक हो जाती है, या तुलनपत्र की तिथि को निरन्तर 90 दिनों तक कोई राशि जमा नहीं है अथवा ये जमाराशियाँ उसी अवधि के दौरान देय ब्याज का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त हैं;

iii. क्रय किए गए/बट्टाकृत बिलों के संबंध में, बिल 90 दिनों की अवधि से अधिक अतिदेय रहते हैं;

iv. कृषि अग्रिमों के संबंध में जब (अ) अल्पावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन की किस्त या ब्याज दो फसल- ऋतुओं के लिए अतिदेय रहते हैं। एवं (ब) दीर्घावधि फसलों के लिए कृषि अग्रिमों के संबंध में, जहाँ मूलधन या ब्याज एक फसल-ऋतु के लिए अतिदेय रहते हैं।

2.2 अनर्जक अग्रिमों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अवमानक, संदिग्ध और हानिप्रद आस्तियों में वर्गीकृत किया गया हैः

i. अवमानक : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों या उससे कम अवधि के लिए अनर्जक रह गई है;

ii. संदिग्ध : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों की अवधि के लिए अवमानक वर्ग में रही है।

iii. हानिप्रद : कोई ऋण आस्ति, जिसमें हानि की जानकारी हो गई है किन्तु उस राशि को पूर्णतया बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।

2.3 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशा -निर्देशों के अनुसार किए गए हैं और ये निम्नलिखित न्यूनतम प्रावधान मानदंड के अधीन किए गए हैंः

अवमानक आस्तियाँः

i. कुल बकाया पर 15% का सामान्य प्रावधान;
ii. ऋण जोखिमों, जो प्रारंभ से ही अप्रतिभूत हैं, के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहाँ प्रतिभूति का वसूली - मूल्य प्रारंभ से ही 10% से अधिक नहीं है);
iii. इन्फ्रास्ट्रक्चर अग्रिम खातों, जहाँ कुछ बचाव उपाय, जैसे एस्क्रो खाते आदि उपलब्ध हैं, से सम्बन्धित प्रतिभूति-रहित ऋण जोखिम - 20 %

संदिग्ध आस्तियाँः

-प्रतिभूत भाग

i.	एक वर्ष तक	-	25%
ii.	एक से तीन वर्ष तक	-	40%
iii.	तीन वर्ष से अधिक	-	100%
-अप्रतिभूत भाग			100%
हानिप्रद आस्तियाँः			100%

2.4 विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में, ऋण एवं अग्रिमों का वर्गीकरण एवं अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों में जो अधिक सख्त हों, के अनुसार किया गया है।

2.5 अग्रिमों में से विशिष्ट ऋण पर किए गए हानिप्रद प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के प्राप्त दावों और बट्टाकृत बिलों को घटा दिया गया है।

2.6 पुनर्संरचनागत/पुनः निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसके अनुरूप पुनर्संरचना के पहले एवं बाद में हुए ऋण/अग्रिम के उचित मूल्य का अंतर प्रावधान के तौर पर संबंधित ऋण/अग्रिम के लिए व्यवस्था की जाती है। उपरोक्त मामलों में अंकित मूल्य में कमी में एवं त्याग किए गए ब्याज के लिए यदि कोई अतिरिक्त प्रावधान किया जाता है तो वह राशि अग्रिम से घटा दी जाती है ।

2.7 अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप होने पर ही किसी खाते को अर्जक खाते के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है।

2.8 पूर्ववर्ती वर्षो में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के सापेक्ष वसूली गई राशि का निर्धारण वसूल किए गए वर्ष में आय के रूप में किया गया है।

2.9 अनर्जक आस्तियों पर विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं। ये प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के "अन्य देयताएँ और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के अन्तर्गत प्रदर्शित हैं एवं निवल अनर्जक आस्तियों का निर्णय करने के लिए इनको संज्ञान में नहीं लिया जाता है।

2.10 बैंक के मौजूदा निर्देशों के अनुसार मूलधन या बकाया ब्याज की एनपीए में वसूली का समायोजन (संबंधित उधारकर्ता को स्वीकृत नवीन/अतिरिक्त क्रेडिट सुविधाओं से बाहर नहीं) निम्नलिखित प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है:

अ. प्रभार

ब. अप्राप्त ब्याज/ब्याज

क. मूलधन

3. अस्थिर प्रावधान:

बैंक में अग्रिमों, निवेश तथा सामान्य प्रयोजनों हेतु पृथकरूप से अस्थायी प्रावधानों के सृजन एवं उपयोग हेतु एक नीति है। सृजन किए जाने वाले इन अस्थायी प्रावधानों की मात्रा का निर्धारण वित्त वर्ष के अंत में किया जाता है। इन अस्थायी प्रावधानों का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से नीति में निर्धारित असाधारण परिस्थितियों के अधीन सिर्फ आकस्मिकताओं के लिए ही किया जाएगा।

4. देशवार ऋण-जोखिम के लिए प्रावधान:

आस्ति वर्गीकरण की स्थिति के अनुरूप किए गए विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त पृथक देशवार ऋण जोखिम (निजी देश के अलावा) के लिए प्रावधान किए गए हैं। इन देशों का वर्गीकरण सात जोखिम श्रेणियों, यथा - नगण्य, कम, सामान्य, अधिक, अत्यधिक, प्रतिबंधित एवं ऋण में शामिल न होने वाले वर्गों में किया गया है तथा यह प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि प्रत्येक देश से संबंधित बैंक का देशवार ऋण जोखिम (निवल) कुल निधिक आस्तियों के 1% से अधिक नहीं होता है, तो ऐसे देशवार ऋण जोखिम पर कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है। यह प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के "अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

5. डेरिवेटिव्स:

5.1 बैंक तुलनपत्र की/तुलनपत्र इतर आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने या इनके क्रय-विक्रय के प्रयोजन से डेरिवेटिव्स संविदाएं जैसे विदेशी मुद्रा विकल्प, ब्याज दर अदला-बदली, मुद्रा अदला-बदली, परस्पर मुद्रा ब्याज दर अदला-बदली और वायदा दर करार निष्पादित करता है। तुलनपत्र की आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने के प्रयोजन से निष्पादित की जाने वाली विनिमय संविदाएं इस प्रकार तैयार की जाती हैं कि तुलनपत्र की अंतर्निहित मदों का प्रभाव प्रतिकूल और प्रति संतुलनकारी हो। इन डेरिवेटिव लिखतों का प्रभाव अंतर्निहित आस्तियों के क्रय-विक्रय पर निर्भर करता है और इसे बचाव-व्यवस्था लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार लेखे में लिया जाता है ।

5.2 बचाव संविदाओं के रूप में वर्गीकृत डेरिवेटिव संविदाओं को प्रोद्भवन आधार पर अंकित किया गया है। बचाव संविदाओं की गणना तब तक बाजार के बही मूल्य के अनुसार नहीं की जाती जब तक कि अंतर्निहित आस्तियाँ/देयताएं बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित न की गई हों। संविदा करते समय और आवधिक अंतरालों पर बचाव की प्रभावकारिता स्थापित की जाती है।

5.3 उपर्युक्त के सिवाय, सभी अन्य डेरिवेटिव संविदाएं उद्योग में प्रचलित सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित की गई है। बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तन, परिवर्तन की अवधि में लाभ और हानि खाते में शामिल किए गए हैं। डेरिवेटिव संविदाओं के अंतर्गत प्राप्य राशि, जो 90 दिनों से अधिक अतिदेय है, को लाभ और हानि खाते से "उचंत खाता कुल प्राप्य" में प्रतिवर्तित किया गया है। ऐसे मामलों में जहां डेरिवेटिव संविदाएं भविष्य में और अधिक निपटान के अवसर प्रदान करती हैं और यदि ये डेरिवेटिव संविदा के अतिदेय प्राप्य 90 दिनों से अधिक समय तक अदत्त रहने के कारण समाप्त न हो गई हो तो भावी आगमों से संबंधित सकारात्मक एमटीएम को भी लाभ और हानि खाते से "उचंत खाता सकारात्मक एमटीएम " में प्रतिवर्तित किया जाता है।

5.4 संदत्त या प्राप्त ऑप्शन प्रीमियम को ऑप्शन अवधि की समाप्ति पर लाभ और हानि खाते में अंकित किया गया है। विक्रय किए गए ऑप्शनों पर प्राप्त प्रीमियम और क्रय किए गए ऑप्शनों पर संदत्त प्रीमियम की शेष राशि का फॉरेक्स ओवर द काउंटर ऑप्शनों के लिए बाजार मूल्य पर परिकलन करके बही में शामिल किया गया है।

5.5 सौदों के उद्देश्य से बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए जाने वाले डेरिवेटिवों में किए गए निवेश को बाजार द्वारा दिए गए प्रचलित बाजार दरों के अनुसार मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ तथा हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है।

6. अचल आस्तियाँ मूल्यह्रास और परिशोधन:

6.1 अचल आस्तियों का अंकन लागत में से संचित मूल्यह्रास / परिशोधन घटाकर किया गया है।

6.2 लागत में क्रय लागत तथा समस्त व्यय, जैसे कि स्थान की तैयारी, संस्थापन लागतें और आस्ति पर उसका उपयोग करने से पूर्व वहन की गई प्रोफेशनल फीस शामिल है। उपयोग की गई आस्तियों पर वहन किए गए अनुवर्ती व्यय / व्ययों को केवल तभी पूंजीकृत किया गया है, जब ये व्यय इन आस्तियों से होने वाले भावी लाभ को या इन आस्तियों की व्यावहारिक क्षमता को बढ़ाते हैं।

6.3 इन देशीय परिचालनों के संबंध में मूल्यह्रास की दरें और मूल्यह्रास प्रभारित करने की पद्धति का विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	अचल आस्तियों का विवरण	मूल्यह्रास प्रभारित करने की पद्धति	मूल्यह्रास/परिशोधन दर
1	कंप्यूटर	सीधी रेखा पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
2	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग है	सीधी रेखा पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
3	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है और सॉफ्टवेयर विकसित करने का खर्च	सीधी रेखा पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
4	ऑटोमेटेड टैलर मशीन/ कैश डिपॉजिट मशीन/ क्वाइन डिस्पेंसर/क्वाइन वेंडिंग मशीन	सीधी रेखा पद्धति	20.00% प्रति वर्ष
5	सर्वर	सीधी रेखा पद्धति	25.00% प्रति वर्ष
6	नेटवर्क उपकरण	सीधी रेखा पद्धति	20.00% प्रति वर्ष
7	अन्य अचल आस्तियां	सीधी रेखा पद्धति	आस्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर। प्रमुख अस्थायी आस्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन निम्नानुसार रहता है: परिसर - 60 वर्ष; वाहन - 5 वर्ष; सुरशित जमा लॉकर - 20 वर्ष; फर्नीचर व फिक्सचर - 10 वर्ष

6.4 वर्ष के दौरान देशीय परिचालनों से प्राप्त आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास वर्ष में आस्ति का उपयोग करने के दिनों के अनुपात के आधार पर प्रभारित किया गया है।

6.5 आस्तियाँ जिनमें से प्रत्येक का मूल्य '1000/- से कम था उन्हें क्रय वर्ष में ही बट्टे खाते डाल दिया गया है।

6.6 पट्टाकृत परिसरों से सम्बद्ध पट्टा प्रीमियम, यदि कोई हो तो को पट्टा अवधि पर परिशोधित किया गया है और पट्टा किराये को उसी वर्ष प्रभारित किया गया है।

6.7 बैंक द्वारा 31 मार्च, 2001 को या उससे पूर्व पट्टे पर दी गई आस्तियों के संबंध में पट्टे पर दी गई आस्तियों के मूल्य को पट्टाकृत आस्तियों के रूप में अचल आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है और वार्षिक पट्टा शुल्क (पूंजी-वसूली) एवं मूल्यह्रास के अंतर को पट्टा समानीकरण लेखे में लिया गया है।

6.8 विदेश स्थित कार्यालयों की अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देशों के स्थानीय विनियमों/मानदंडों के अनुसार किया गया है।

6.9 बैंक पुनर्मूल्यांकन के लिए केवल अचल आस्तियों पर ही विचार करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अधिग्रहित आस्तियों का पुनर्मूल्यन नहीं किया गया है। इसके बाद हर तीन वर्षों में पुनर्मूल्यन की गई आस्ति का मूल्यांकन किया जाता है।

6.10 पुनर्मूल्यांकन के कारण निवल बही मूल्य में वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते में जमा किया जाता है। इन्हें लाभ और हानि खाते में नहीं दिखाया जाता है। निवल बही मूल्य में वृद्धि पर किए गए मूल्यह्रास की भरपाई पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते से की गई है।

6.11 पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर मूल्यह्रास पुनर्मूल्यांकन के समय यथामूल्यांकित आस्तियों की शेष उपयोगी अवधि पर काटा गया है।

7. पट्टे:

आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों के लिए लागू प्रावधानीकरण मानदंड, जैसाकि उपरोक्त पैरा 3 में दिया गया है, वित्तीय पट्टों पर भी लागू है।

8. आस्तियों की अपसामान्यता:

जब कभी घटनाएँ अथवा स्थितियों में परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव राशि की वसूली संदिग्ध है, तो ऐसी स्थिति में अचल आस्तियों की अपसामान्यता हेतु समीक्षा की जाती है। धारित और प्रयोग की जाने वाली आस्तियों की वसूली हो पाएगी या नहीं इसे मापने के लिए आस्ति की रखाव राशि की तुलना आस्ति द्वारा अपेक्षित भविष्यगत निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से तुलना करके ज्ञात की जाती है। यदि ऐसी आस्तियों को अपसामान्यता के योग्य पाया जाता है तो अपसामान्यता का माप-समावेश उस अधिक राशि के आधार पर किया जाता है जो आस्ति की रखाव राशि और उसके उचित मूल्य के बीच का अंतर होता है।

9 . विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का प्रभाव:

9.1 विदेशी मुद्रा लेन - देन

i. विदेशी मुद्रा लेन - देन को लेन - देन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर दर्ज किया गया है।

ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की सूचना भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) द्वारा अधिसूचित अंतिम (तत्काल/वायदा) दरों का प्रयोग तुलन पत्र की तिथि को करके दी गई है।

iii. विदेशी मुद्रा गैर मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, की सूचना लेन - देन की तिथि को प्रचलित मुद्रा विनिमय दरों का प्रयोग करके दी गई है।

iv. विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की सूचना एफईडीएआई की अंतिम तत्काल दर का प्रयोग करके दी गई है।

v. व्यवसाय के लिए रखी गई बकाया तत्काल विदेशी मुद्रा विनिमय तथा वायदा संविदाओं को इनकी निर्धारित परिपक्वता के लिए एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

vi. विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, जो व्यवसाय के लिए अपेक्षित नहीं हैं और तुलनपत्र की तिथि को बकाया हैं, का अंतिम तत्काल दर पर पुनः मूल्यांकन किया गया है। ऐसी वायदा विनिमय संविदा के प्रारंभ से उद्भूत प्रीमियम या बट्टे को संविदा की परिपक्वता अवधि के व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया गया है।

vii. मौद्रिक मदों के निर्धारण से उद्भूत विनिमय अंतर राशियों को उन दरों, जो दरे आरंभ से दर्ज की गई थीं, से भिन्न दरों पर उस अवधि,

जिसमें ये दरें उद्भूत हुई हैं, की आय या व्यय के रूप में निर्धारित किया गया है।

viii. मुद्रा वायदा व्यापार में विदेशी मुद्रा दरों की आरंभिक स्थिति में हुए परिवर्तनों के कारण हुए लाभ/हानि को विदेशी मुद्रा समाशोधन गृह से प्रतिदिन निर्धारित किया जाता है और इस लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

9.2 विदेशी परिचालन:

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयों (ओ बी यू) को असमाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिनिधि कार्यालयों को समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

क. असमाकलित परिचालन:

i. असमाकलित विदेशी परिचालनों की दोनों मौद्रिक और गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है।

ii. असमाकलित विदेशी परिचालनों की आय एवं व्यय को तिमाही की औसत एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम दर पर परिवर्तित किया गया है।

iii निवल निवेश का निपटान होने तक असमाकलित विदेशी परिचालनों से उद्भूत विनिमय अंतर-राशियों का संचयन विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति में किया गया है ।

iv. विदेश स्थित कार्यालयों/अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों की विदेशी मुद्रा में आस्तियां और देयताएं (विदेश स्थित कार्यालयों की स्थानीय मुद्रा के अलावा) तुलनपत्र की तिथि लागू हाजिर दर का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित किया गया है।

ख. समाकलन परिचालन:

i. विदेशी मुद्रा लेन - देन को लेन - देन की तिथि की सूचित मुद्रा और विदेशी मुद्रा में विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में आरंभिक अभिज्ञान पर दर्ज किया गया है।

ii. समाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है। आकस्मिक देयताएं हाजिर दर पर रूपांतरित की गई हैं।

iii. अवधिगत लागत के अनुरूप अग्रनीत विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर का प्रयोग करके दी गई है।

10. कर्मचारी हितलाभ:

10.1 अल्पावधिक कर्मचारी हितलाभ:

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ यथा चिकित्सा हितलाभ, जिसको कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा के विनिमय में प्रदान किया जाना अपेक्षित है, कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा अवधि के दौरान शामिल किया गया है।

10.2 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ:

i. नियत हितलाभ योजना

क. एसबीआई एक भविष्य निधि योजना का परिचालन करता है, बैंक की भविष्य निधि योजना के अंतर्गत सभी पात्र कर्मचारी यह हितलाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। बैंक निर्धारित दर पर (वर्तमान समय में कर्मचारियों के मूल वेतन एवं पात्र-भत्ते का 10%) मासिक अंशदान करता है। इन अंशदान को, इस उद्देश्य के लिए स्थापित न्यास को प्रेषित कर दिया जाता है तथा इसे लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। बैंक इस प्रकार के वार्षिक अंशदानों और उस पर ब्याज को संबंधित वर्ष के संदर्भ में व्यय मानता है। यदि कोई कमी हो तो बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उसका प्रावधान किया जाता है।

एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भविष्य निधि, एक हितलाभ सेवानिवृत्त योजना में अंशदान करता है। इस भविष्य निधि का प्रबंध एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एम्प्लाईज पीएफ ट्रस्ट के न्यासियों द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत प्रदत्त या देय अंशदान को उस अवधि के लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है जिस अवधि में कर्मचारी ने संबंधित सेवा प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, सांविधिक दर के अनुसार ब्याज देयता की तुलना में अंशदानों पर देय ब्याज में कमी, यदि कोई हो, का निर्धारण करने के लिए एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा वार्षिक आधार पर एक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है।

ख. समूह, पृथक ग्रेच्युटी नियत हितलाभ योजनाएँ परिचालित करता है। बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है। यह हितलाभ कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति या नौकरी के दौरान या मृत्यु हो जाने या नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि के भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है। यह राशि बैंक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूल वेतन के समतुल्य राशि होती है, जो सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा के अध्यधीन रहती है। यह हितलाभ सेवा के पांच वर्ष पूरे होने पर ही प्राप्त होता है। बैंक इस राशि का आवधिक अंशदान, वार्षिक स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करता है।

ग. एसबीआई सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करता है। यह हितलाभ नियमानुसार मासिक भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है और यह भुगतान कर्मचारियों को नियमानुसार उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु होने या नौकरी की समाप्ति पर किया जाता है। निहितीकरण नियमों के अनुसार विभिन्न चरणों में सम्पन्न होता है। एसबीआई पेंशन फंड नियमों के अनुसार पेंशन निधि में वेतन के 10% का मासिक अंशदान करता है। पेंशन-देयता की गणना वार्षिक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यन के आधार पर की जाती है और एसबीआई आवश्यक होने पर पेंशन विनियम के अंतर्गत हितलाभों के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए इस निधि में अतिरिक्त अंशदान आवधिक आधार पर करता है।

घ. नियत हितलाभ-प्रावधान-लागत को प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर अग्रनीत बीमांकिक मूल्यन के आधार पर अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से निर्धारित किया जाता है। बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ और हानि में तुरन्त शामिल कर दिया जाता है और उन्हें स्थगित नहीं किया जाता है।

ii. नियत अंशदान योजनाएँ:

एसबीआई ने 01 अगस्त 2010 को या उसके बाद एसबीआई में नियुक्त अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लागू की है, जो एक नियत अंशदान योजना है और नए कर्मचारी बैंक की वर्तमान पेंशन योजना के सदस्य बनने के पात्र नहीं हैं। इस योजना के तहत आने वाले कर्मचारी, अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते की 10 % राशि को अंशदान के रूप में जमा करेंगे और इतनी ही राशि एसबीआई अपनी ओर से देगा। संबंधित कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक इन अंशदानों को एसबीआई में जमा रखा जाएगा एवं इस जमा पर किसी चालू भविष्य निधि खाते के समकक्ष ब्याज दिया जाएगा। एसबीआई इन अंशदानों एवं इन पर दिए जाने वाले ब्याज को संबंधित वर्ष के खर्च के रूप में परिगणित करता है। स्थायी सेवानिवृति खाता संख्या की प्राप्ति पर समेकित अंशदान राशि को एनपीएस न्यास में अंतरित कर दिया जाता है।

iii. कर्मचारियों के अन्य दीर्घावधि हितलाभ:

क. समूह का प्रत्येक कर्मचारी प्रतिपूरित अनुपस्थिति, रजत जयंती सम्मान और अवकाश यात्रा - रियायत, सेवानिवृत्ति लाभ और पुनर्वासन भत्ते का पात्र होता है। इस प्रकार के दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ की लागत के लिए निधि बैंक द्वारा आंतरिक स्रोत से उपलब्ध कराई जाती है।

अन्य दीर्घावधि हितलाभ के प्रावधान की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को बीमांकिक मूल्यन की अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया जाता है। पूर्ववर्ती सेवा लागत को लाभ और हानि में तुरन्त शामिल कर दिया जात है और उन्हें स्थगित नहीं किया जाता है।

10.3 विदेश स्थित कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के कर्मचारी हितों को सम्बन्धित देशों के स्थानीय कानूनों/विनियमों के अनुसार मूल्यांकित एवं लेखांकित किया जाता है।

11. आय पर कर:

समूह द्वारा भुगतान की गई वर्तमान कर तथा आस्थगित कर प्रभार की कुल राशि आय कर व्यय होता है। चालू वर्ष के कर तथा आस्थगित कर का निर्धारण आय कर अधिनियम 1961 तथा लेखा मानक 22, जो आय पर कर के लेखा से संबंधित है, ऐसा करते समय विदेश स्थित कार्यालयों द्वारा संबंधित देशों के कर नियमों के अनुसार भुगतान किए गए कर को भी शामिल किया जाता है। आस्थगित कर समायोजनों में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं में हुए परिवर्तन भी समाविष्ट हैं। आस्थगित कर - आस्तियों और देयताओं का आकलन वर्तमान वर्ष की कर योग्य आय और लेखा आय तथा अग्रेनित हानि के बीच के अवधिगत विभेद के प्रभाव पर विचार करते हुए किया गया है।

आस्थगित कर आस्तियां और देयताओं को कर दर और कर नियमों द्वारा आंका जाता है जिसे तुलन-पत्र के दिन या उसके बाद अधिनियमित किया गया हो। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में हुए परिवर्तन का प्रभाव लाभ और हानि खाते में प्रकट किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों का अभिज्ञान प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर प्रबंधन के विवेक के आधार पर किया जाता है कि क्या उनकी वसूली होने की संभावना है/ होना निश्चित है। आस्थगित कर आस्तियों का आत्मसात नहीं हुई मूल्यह्रास और कर हानियों को आगे ले जाकर तभी निर्धारण किया जाता है जब इस बात का पक्का प्रमाण हो कि ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की वसूली भावी लाभ के सामने की जा सकती है।

समेकित वित्तीय विवरण में दर्शाए गए आयकर व्यय में, प्रचलित कानून के अनुसार, मूल बैंक और इसकी अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों के पृथक वित्तीय विवरणों की राशि के समग्र रूप से जोड़ा गया है।

12. प्रति शेयर आय:

12.1 बैंक आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक - 20 "प्रति शेयर आय" के अनुसार प्रति शेयर 'मूल और कम हुई आय रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों को प्राप्य उस वर्ष के करोपरांत निवल लाभ को उस वर्ष के लिए शेष इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

12.2 कम की हुई प्रति शेयर आय यह प्रदर्शित करती है कि यदि प्रतिभूतियों अथवा अन्य संविदाओं को वर्ष के दौरान जारी करने या संपरिवर्तित करने का विकल्प लिया गया तो शेयर मूल्यों में कितनी कमी आएगी, कम की हुई प्रति शेयर आय की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और कम संभावना इक्विटी शेयरों के बीच तुलना करके की जाती है।

13. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां:

13.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 29 के अनुसार जारी " प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ" में बैंक पिछले परिणाम से उद्भूत वर्तमान दायित्व होने पर ही प्रावधान शामिल करता है, संसाधनों के संभावित बहिर्गमन के परिणामस्वरूप दायित्व के निपटान आर्थिक लाभ को समाविष्ट कर, इस दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन कर किया जा सकता है।

13.2 निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधान का समावेश नहीं किया गया है

i पिछले परिणाम से उद्भूत किसी सम्भावित दायित्व के लिए और बैंक के नियंत्रण से बाहर होने वाले एक या अधिक अनिश्चित भावी परिणामों की प्राप्ति या अप्राप्ति से जिसकी पुष्टि की जा सकेगी, अथवा

ii किसी वर्तमान दायित्व के लिए, जो पिछले परिणामों से उद्भूत है, किन्तु उसे अभिज्ञान में नहीं लिया गया है, क्योंकि :-

क. यह संभव नहीं है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा, अथवा

ख. दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता. ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है। इन दायित्वों का नियमित अंतरालों पर मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे दायित्व के केवल उस अंश का, जिसके आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना है, नितान्त दुर्लभ परिस्थितियों, जिनमें कोई विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता, के अलावा प्रावधान किया गया है।

13.3 बैंक के डेबिट कार्डधारकों को दिए जाने वाले रिवार्ड प्वाइंट्स के लिए प्रावधान बीमांकिक के आकलन के अनुसार किया जा रहा है।

13.4 आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है।

14. सर्राफा लेनदेन:

एसबीआई अपने ग्राहकों को बेचने के लिए परेषण आधार पर बहुमूल्य धातु बारों समेत सर्राफा का आयात करता है। ये आयात सामान्यता दुतरफा आधार पर होते हैं और ग्राहकों के लिए इनकी कीमत आपूर्तिकर्ता

के द्वारा मांगी गई कीमत के आधार पर तय होती है। बैंक इस तरह के सर्राफा लेनदेन पर कुछ फीस के रूप में आय प्राप्त करता है। इस फीस की गणना कमीशन आय के अंतर्गत होती है। बैंक खुदरा ग्राहकों को भी सर्राफा मदें बेचता है। बैंक सोना जमा करने के लिए लेता है और इस पर उधार भी देता है, जिसे जमा / अग्रिम (जो भी हो) माना जाता है। इसमें भुगतान किए गए / प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय / आय के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है।

15. विशेष आरक्षित निधि:

राजस्व एवं अन्य निधियों में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि भी शामिल है। बैंक के निदेशक बोर्ड ने एक संकल्प पारित कर इस आरक्षित निधि के सृजन के लिए अनुमोदन किया है और यह भी पुष्टि की है कि उसका इस विशेष आरक्षित निधि से आहरण करने की कोई मंशा नहीं है।

16. शेयर जारी करने पर व्यय:

शेयर जारी करने के व्यय शेयर प्रीमियम खाते में खर्च के रूप में दिखाए गए हैं।

अनुसूची- 18 (समेकित)

लेखा-टिप्पणियां

1. उन अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों की सूची जिन्हें शामिल करके समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं:

1.1 समेकित विवरण तैयार करते समय निम्नांकित 28 अनुषंगियों, 8 संयुक्त उद्यमों और 20 सहयोगियों (मूल संस्था भारतीय स्टेट बैंक के साथ समूह में सम्मिलित) को शामिल किया गया है, जिसमें 18 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सम्मिलित है:

क. अनुषंगियां :

क्र. सं.			समूह का हिस्सा (%)	
	अनुषंगी का नाम	निगमन-देश	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1)	एसबीआई कैपिटल कैपिटल मार्केट्स लि.	भारत	100.00	100.00
2)	एसबीआईकैप सिक्युरिटीज लि.	भारत	100.00	100.00
3)	एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लि.	भारत	100.00	100.00
4)	एसबीआईकैप वैंचर्स लि.	भारत	100.00	100.00
5)	एसबीआईकैप (सिंगापुर) लि.	सिंगापुर	100.00	100.00
6)	एसबीआईकैप (यूके) लि.	यू.के.	100.00	100.00
7)	एसबीआई डीएफएचआई लि.	भारत	72.17	71.58
8)	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.	भारत	86.18	86.18
9)	एसबीआई इंफ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स प्रा. लि.	भारत	100.00	100.00
10)	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.	भारत	100.00	100.00
11)	एसबीआई पेमेंट सर्विसेस प्रा. लि.	भारत	100.00	100.00
12)	एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा. लि.	भारत	92.60	92.60
13)	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	भारत	62.10	70.10
14)	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. @	भारत	74.00	74.00
15)	एसबीआई कार्ड्स एण्ड पेमेंट्स सर्विसेस प्रा. लि. @	भारत	74.00	60.00
16)	एसबीआई बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि.@ (पहले का नाम- जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि.)	(भारत	74.00	40.00**
17)	एसबीआई - एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेस प्रा. लि. @	भारत	65.00	65.00
18)	एसबीआई फंड मैनेजमेंट प्रा. लि. @	भारत	63.00	63.00
19)	एसबीआई फंड मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्रा. लि.@	मॉरीशस	63.00	63.00
20)	कॉमर्शियल इंडो बैंक एलआईसी, मास्को @	रूस	60.00	60.00
21)	बैंक एसबीआई बोत्सवाना लिमिटेड	बोत्सवाना	100.00	100.00
22)	एसबीआई कनाड़ा बैंक	कनाड़ा	100.00	100.00
23)	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया)	यूएसए	100.00	100.00
24)	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्विकोस लिमिटाडा	ब्राजील	100.00	100.00
25)	एसबीआई (मॉरीशस) लि.	मॉरीशस	96.60	96.60
26)	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	99.00	99.00
27)	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	नेपाल	55.00	55.00
28)	नेपाल एसबीआई मर्चेण्ट बैंकिंग लिमिटेड	नेपाल	55.00	55.00

@ ऐसी कंपनियां जो शेयरधारक करार के अनुसार संयुक्त नियंत्रण वाली इकाइयां हैं, फिर भी ये वित्तीय विवरणों का समेकन से संबंधित लेखा मानक-21 के अनुसार समेकित की गई हैं क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक की इन कंपनियों में 50% से अधिक हिस्सेदारी है।

* पिछले वर्ष में पूर्ववर्ती पांच अनुषंगियां, अर्थात (i) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (एसबीबीजे), (ii) स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (एसबीएम), (iii) स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (एसबीटी) (iv) स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (एसबीपी), (v) स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (एसबीएच) भी समेकित की गई। दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से इनका एसबीआई में विलय कर दिया गया।

** कृपया नीचे नोट 1.1 (i) का अवलोकन करें।

ख. संयुक्त उद्यम :

क्र. सं.	अनुषंगी का नाम	निगमन-देश	समूह का हिस्सा (%) चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1)	सी-ऐज टेकनोलॉजीज़ लि.	भारत	49.00	49.00
2)	एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	भारत	45.00	45.00
3)	एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज़ प्रा. लि.	भारत	45.00	45.00
4)	मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	सिंगापुर	45.00	45.00
5)	मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज़ लि.	बेरमुडा	45.00	45.00
6)	ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-मैनजमेंट कंपनी प्रा. लि.	भारत	50.00	50.00
7)	ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड--ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.	भारत	50.00	50.00
8)	जियो पेमेंट्स बैंक लि.	भारत	30.00	30.00

ग. सहगोयी :

क्र. सं.	अनुषंगी का नाम	निगमन-देश	समूह का हिस्सा (%) चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1)	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	भारत	35.00	35.00
2)	अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
3)	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
4)	इलाकाई देहाती बैंक	भारत	35.00	35.00
5)	लंगपी देहांगी रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
6)	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
7)	मेघालय ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
8)	मिज़ोरम रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
9)	नागालैंड रूरल बैंक‘	भारत	35.00	35.00
10)	पूर्वांचल बैंक	भारत	35.00	35.00
11)	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
12)	उत्कल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
13)	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
14)	वनांचल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
15)	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	26.27
16)	तेलंगाना ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
17)	कावेरी ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	31.50
18)	मालवा ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
19)	दि क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. Ltd.	भारत	20.05	24.42
20)	बैंक ऑफ भूटान लि.	भूटान	20.00	20.00

क. नोट 8 में यथा उल्लिखित अधिग्रहण के कारण, अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार एसबीआई समूह का हिस्सा बढकर एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड (एक अनुषंगी) में 71.58% से 72.17% तक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक (एक सहयोगी) में 26.27% से 35% तक, कावेरी ग्रामीण बैंक (एक सहयोगी) में 31.50% से 35% तक और दि क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एक सहयोगी) में 24.42% से 24.45% तक बढ़ गया है।

ख. मार्च 2018 के महीने में, एसबीआई ने दि क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एक सहयोगी) के अपने 4.40% हिस्से को बेच दिया, जिसके कारण एसबीआई समूह का हिस्सा घटकर 24.45% से 20.05% तक हो गया है।

ग. अप्रैल 2017 के महीने में, एसबीआई ने नेपाल एसबीआई बैंक लि. (एक विदेशी बैंकिंग अनुषंगी) में ₹ 68.47 करोड़ के समतुल्य 109.56 करोड़ नेपाल रुपए की पूंजी लगाई है।

इसके अतिरिक्त जनवरी 2018 के महीने में, नेपाल एसबीआई बैंक लि. ने प्रति 100 नेपाल रुपए अंकित मूल्य के 59,13,089 बोनस शेयर एसबीआई को जारी किए। नेपाल एसबीआई बैंक लि. में एसबीआई के हिस्से में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

घ. अगस्त 2017 के महीने में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड (एक पूर्ण स्वामित्व वाली विदेशी बैंकिंग अनुषंगी) ने यूनाइटेड किंगडम में कार्य करना शुरू कर दिया है। 31 मार्च, 2018 तक इक्विटी में कोई प्रदत्त पूंजी नहीं लगाई गई और इसलिए इस पर समेकन हेतु विचार नहीं किया गया है। इस अनुषंगी ने अप्रैल 2018 माह से अपना परिचालन शुरू कर दिया है।

ङ सितंबर 2017 के महीने में, एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड (एक अनुषंगी) ने प्रति शेयर ₹ 520 के अपने 27,69,230 इक्विटी शेयरों की वापसी खरीद की है। एसबीआई और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि. से वापसी खरीद वाले शेयरों की संख्या एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड में उनके संबंधित हिस्से के यथानुपात में है। एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड में एसबीआई समूह का हिस्सा अपरिवर्तित रहा है।

च. सितंबर 2017 के महीने में, एसबीआई ने पब्लिक ऑफर के रूप में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एक अनुषंगी) के अपने 8% हिस्से को बेच दिया, जिसके कारण इसका हिस्सा घटकर 70.10% से 62.10% तक हो गया।

छ. नवंबर 2017 के महीने में, एसबीआई ने एसबीआई फाउंडेशन (एक अलाभकारी कंपनी) में ₹ 3 करोड़ की पूंजी लगाई है कारण कि यह एक अलाभकारी कंपनी है [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 7(2) के तहत निगमित], इसलिए एसबीआई फाउंडेशन पर लेखा मानक 21 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय समेकन हेतु विचार नहीं किया जा रहा है।

ज. दिसंबर 2017 के महीने में, एसबीआई ने एसबीआई कार्ड्स एण्ड पेमेंट्स सर्विसेस प्राइवेट लि. (एक अनुषंगी) के अपने हिस्से में वृद्धि की है और इसे 60% से 74% तक कर दिया है (₹ 887.26 करोड़ निवेश करके प्रति ₹ 10/- के 10,98,99,999 शेयर खरीदे)।

झ. 15 दिसंबर, 2017 को, एसबीआई ने जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट लि. (15.12.2017 से पूर्व एक संयुक्त उद्यम) के अपने हिस्से में वृद्धि की और इसे 40% से 74% तक कर दिया (₹ 264.07 करोड़ निवेश करके प्रति ₹ 10/- के 80,24,342 शेयर खरीदे)। परिणामस्वरूप, जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट लि. को दिनांक 15 दिसंबर, 2017 से एक अनुषंगी के रूप में समेकित किया गया है और 15 मार्च, 2018 से इसका नाम बदलकर एसबीआई बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि. कर दिया गया है।

ञ. फरवरी 2018 के महीने में, नेपाल एसबीआई बैंक लि. ने नेपाल एसबीआई मर्चेण्ट बैंकिंग लि. (एक उप अनुषंगी) में 8.89 करोड़ नेपाल रुपए में पूंजी लगाई है (प्रति 100 नेपाल रुपए मूल्य के 8,88,889 शेयरों के लिए)।

इसके अतिरिक्त मार्च 2018 के महीने में, नेपाल एसबीआई मर्चेण्ट बैंकिंग लि. ने नेपाल एसबीआई बैंक लि. को प्रति 100/- नेपाल रुपए अंकित मूल्य के 1,11,111 बोनस शेयर जारी किए हैं। नेपाल एसबीआई मर्चेण्ट बैंकिंग लि. में एसबीआई समूह का हिस्सा अपरिवर्तित रहा है।

ट. एसबीआई होम फाइनैंस लि. (एक सहयोगी) जिसमें एसबीआई का हिस्सा 25.05% है, परिसमापन के अधीन है और इसलिए लेखा मानक 21 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय समेकन हेतु इस पर विचार नहीं किया जा रहा है।

1.2 समूह के वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए समेकित वित्तीय विवरण एक अनुषंगी (बैंक एसबीआई बोत्सवाना लिमिटेड) के समीक्षित वित्तीय विवरण और एक अनुषंगी (एसबीआई कनाडा बैंक) तथा एक सहयोगी (बैंक ऑफ भूटान लि.) के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण) शामिल हैं जिनके परिणाम महत्वपूर्ण नहीं है।

2. शेयर पूंजी:

क. वर्ष के दौरान, सहयोगी बैंकों (पूर्ववर्ती सहयोगी बैंक) और भारतीय महिला बैंक लि. के अधिग्रहण पर, बैंक ने पूर्ववर्ती स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (एसबीबीजे), स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (एसबीएम), स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (एसबीटी) और भारतीय महिला बैंक लि. के पात्र शेयरधारकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्वैप अनुपात के अनुसार इक्विटी शेयर जारी किए हैं। तदनुसार, बैंक ने दिनांक 01.04.2017 को प्रतिफल के रूप में प्रति शेयर ₹ 1/- अंकित मूल्य के 13,63,52,740 इक्विटी शेयर जारी किए हैं (एसबीबीजे के शेयरधारकों को 4,88,54,308 शेयर, एसबीएम के शेयरधारकों को 1,05,58,379 शेयर, एसबीटी के शेयरधारकों को 3,27,08,543 शेयर और बीएमबीएल के शेयरधारक के रूप में भारत सरकार को 4,42,31,510 शेयर)।

ख. बैंक को प्रति शेयर ₹ 1/- के 52,21,93,211 इक्विटी शेयर जारी करने के बदले ₹ 14,947.78 करोड़ की प्रीमियम राशि सहित ₹ 15,000.00 करोड़ की आवेदन राशि प्राप्त हुई है। इक्विटी शेयरों का आवंटन दिनांक 12.06.2017 को किया गया।

ग. बैंक को रोककर रखे गए प्रति शेयर ₹ 1/- के 3,400 इक्विटी शेयर जारी करने के रूप में ₹ 0.05 करोड़ की प्रीमियम राशि सहित ₹ 0.05 करोड़ की आवेदन राशि प्राप्त हुई है। रोककर रखे गए इक्विटी शेयरों का आवंटन दिनांक 01.11.2017 को किया गया।

घ. बैंक को भारत सरकार को जारी प्रति शेयर ₹ 1/- के 29,25,33,741 इक्विटी शेयर के अधिमानी निर्गम के बदले भारत सरकार से ₹ 8,770.75 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5,659.93 करोड़) की शेयर प्रीमियम राशि सहित ₹ 8,800.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5,681.00 करोड़) की आवेदन राशि

प्राप्त हुई है। इक्विटी शेयरों का आवंटन दिनांक 27.03.2018 को किया गया। ये शेयर भारत सरकार के डिमैट खाते (सीडीएसएल) में दिनांक 03.04.2018 को जमा किए गए और दिनांक 02.04.2018 को एनएसई और दिनांक 03.04.2018 को बीएसई में सूचीबद्ध किए गए।

ङ शेयर जारी करने से संबंधित व्यय ₹ 17.60 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 6.17 करोड़) शेयर प्रीमियम खाते को नामे किया गया।

3. लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

3.1 लेखा मानक - 5 "इस अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, अवधि पूर्व मदें और लेखा नीतियों में परिवर्तन"

एसबीआई ने दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से आस्थगित भुगतान गारंटियों को छोड़कर, साख-पत्र और बैंक गारंटियां पर अर्जित कमीशन की बुकिंग के संबंध में अपनी लेखा नीतियों में परिवर्तन किया है। अब ये पूर्व में किए गए वसूली आधार के स्थान पर, एलसी/बीजी की अवधि के अनुसार निर्धारित की जा रही हैं।

नीति में इस परिवर्तन का प्रभाव, पिछली प्रथा की तुलना में 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इस शीर्ष के तहत ₹ 1,203.60 करोड़ की सीमा तक कम आय के रूप में परिणीत हुआ है।

3.2 लेखा-मानक-15 'कर्मचारी- हितलाभ'

3.2.1 नियत हितलाभ योजनाएँ

3.2.1.1 पेंशन योजना एवं ग्रेच्युटी योजना :

निम्नलिखित तालिका में लेखा मानक 15 के तहत यथा अपेक्षित नियत हितलाभ पेंशन योजना एवं ग्रेच्युटी योजना की स्थिति निर्धारित की गई है (2005 में संशोधित) :-

(₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
1 अप्रैल, 2017 को आरंभिक नियत हितलाभ दायित्व	83,870.13	73,164.38	9,929.61	9,898.33
एसबीआई बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि. के लिए समायोजन*	-	-	8.70	-
वर्तमान सेवा लागत	978.19	1,285.52	302.75	287.33
ब्याज लागत	6,248.32	5,834.23	722.05	766.59
विगत सेवा लागत (निहित लाभ)	-	1,200.00	3,614.64	0.01
अधिग्रहण पर हस्तांतरित हुई देयता	-	-	1.20	-
बीमांकिक हानियाँ (लाभ)	3,338.70	8,106.01	(9.83)	263.87
प्रदत्त लाभ	(4,190.43)	(3,360.17)	(1,543.31)	(1,286.52)
बैंक द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान	(2,458.35)	(2,359.84)	-	-
31 मार्च, 2018 को अंतिम नियत हितलाभ दायित्व	**87,786.56**	**83,870.13**	**13,025.81**	**9,929.61**
योजना आस्तियों में परिवर्तन				
1 अप्रैल, 2017 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	79,303.20	66,813.97	9,863.77	9,249.72
एसबीआई बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि. के लिए समायोजन*	-	-	6.21	-
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	5,908.09	5,522.97	717.37	755.56
नियोक्ता द्वारा अंशदान	4,363.81	7,817.68	243.49	876.22
अधिग्रहण/पर हस्तांतरित आस्तियां	-	-	2.01	-
कर्मचारियों द्वारा अनुमानित अंशदान	-	3.09	-	-
प्रदत्त हितलाभ	(4,190.43)	(3,360.17)	(1,543.32)	(1,286.52)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(135.07)	2,505.66	(26.37)	268.79
31 मार्च, 2018 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	**85,249.60**	**79,303.20**	**9,263.16**	**9,863.77**

(₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान				
31 मार्च, 2018 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	87,786.56	83,870.13	13,025.81	9,929.61
31 मार्च, 2018 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	85,249.60	79,303.20	9,263.16	9,863.77
कमी/(अधिशेष)	2,536.96	4,566.93	3,762.65	65.84
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत (निहित) इतिशेष	-	-	(2,707.50)	-
लेखे में नहीं ली गई अस्थायी देयता इतिशेष	-	-	-	-
निवल देयता/(आस्ति)	**2,536.96**	**4,566.93**	**1,055.15**	**65.84**
तुलन-पत्र में शामिल की गई राशि				
देयताएँ	87,786.56	83,870.13	13,025.81	9,929.61
आस्तियाँ	85,249.60	79,303.20	9,263.16	9,863.77
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	2,536.96	4,566.93	3,762.64	65.84
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत (निहित) इतिशेष	-	-	(2,707.50)	-
लेखे में नहीं ली गई अस्थायी देयता इतिशेष	-	-	-	-
कुल देयताएँ/(आस्तियाँ)	**2,536.96**	**4,566.93**	**1,055.15**	**65.84**
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत				
वर्तमान सेवा लागत	978.19	1,285.52	302.75	287.33
ब्याज लागत	6,248.32	5,834.23	722.05	766.59
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(5,908.09)	(5,522.97)	(717.37)	(755.56)
कर्मचारियों द्वारा अनुमानित अंशदान	-	(3.09)	-	-
लेखे में ली गई (परिशोधित) विगत सेवा लागत	-	-	0.05	-
लेखे में ली गई विगत सेवा लागत (निहित लाभ)	-	1,200.00	907.09	0.01
लेखे में शामिल की गई वर्ष के दौरान निवल बीमांकिक हानियाँ (लाभ)	3,473.77	5,600.35	16.54	(4.92)
अनुसूची 16 "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" में शामिल की गई नियत लाभ योजनाओं की कुल द्वठुएँड	**4,792.19**	**8,394.04**	**1231.11**	**293.45**
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ और बीमांकिक प्रतिलाभ का समाधान				
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	5,908.09	5,522.97	717.37	755.56
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(135.07)	2,505.66	(26.37)	268.79
योजना आस्तियों पर बीमांकिक प्रतिलाभ	5773.02	8,028.63	691.00	1,024.35
तुलन-पत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति) के आरंभिक अधिशेष व इतिशेष का समाधान				
1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार निवल प्रारंभिक देयता/(आस्ति)	**4,566.93**	**6,350.41**	**65.84**	**648.61**
एसबीआई बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि. के लिए समायोजन*	-	-	2.50	-
लाभ और हानि खाते में शामिल व्यय	4,792.19	8,394.04	1231.11	293.45
एसबीआई द्वारा सीधे प्रदत्त	(2,458.35)	(2,359.84)	-	-
अन्य प्रावधानों को डेबिट	-	-	-	-
आरक्षित निधियों में शामिल	-	-	-	-
हस्तांतरित निवल देयता/(आस्ति)	-	-	(0.81)	-
नियोक्ता का अंशदान	(4,363.81)	(7,817.68)	(243.49)	(876.22)
तुलन-पत्र में शामिल की गई निवल देयता/(आस्ति)	**2,536.96**	**4,566.93**	**1,055.15**	**65.84**

*एसबीआई बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि. (पहले का नाम जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि.) के मामले में समेकन की पद्धति में परिवर्तन के कारण समायोजन कुल व्यवसाय समेकन की तुलना में यथानुपातिक व्यवसाय समेकन के आधार पर किया गया है।

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार पेंशन निधि तथा ग्रेच्युटी निधि की योजना आस्तियों के अंतर्गत किए गए निवेश निम्नानुसार हैं :

पेंशन निधि	ग्रेच्युटी निधि	
आस्तियों की श्रेणी	**योजना आस्तियों का %**	**योजना आस्तियों का %**
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	24.57%	21.11%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	30.32%	24.36%
ऋण प्रतिभूतियाँ, पूंजी बाज़ार प्रतिभूतियाँ एवं बैंक जमा	30.55%	14.71%
म्यूचुअल फंड	2.49%	2.25%
बीमाकर्ता प्रबंधित निधियाँ	2.19%	30.22%
अन्य	9.88%	7.35%
योग	**100.00%**	**100.00%**

प्रमुख बीमांकिक आकलन;

विवरण	पेंशन योजनाएँ		ग्रेच्युटी योजनाएँ	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	7.76%	7.45% to 7.51%	7.78%	7.27% to 7.27%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	7.76%	7.00% to 8.00%	7.78%	7.00% to 8.00%
वेतन बढ़ोतरी	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
पलायन दर	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%

बीमांकिक मूल्यन में प्रतिफलित भावी वेतन वृद्धि का पूर्वानुमान, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा रोजगार-बाजार में आपूर्ति और मांग की स्थिति जैसे अन्य संगत कारणों को ध्यान में रखकर किया गया है। ये अनुमान बहुत लंबी अवधि के हैं तथा सीमित विगत अनुभव/निकट भविष्य पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य भी बताते हैं कि बहुत लंबी अवधि में लगातार, उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है, लेखा-परीक्षकों ने इन्हें स्वीकार किया है।

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 में संशोधन होने और ग्रेच्युटी की सीमा ₹ 10.00 लाख से बढ़कर ₹ 20.00 लाख तक होने के फलस्वरूप, ₹ 3,610.00 करोड़ की अतिरिक्त देयता निकली है। आरबीआई ने पत्र सं. डीबीआर. बीपी.9730/21.04.2018 दिनांक 27 अप्रैल 2018 के अनुसार सूचित किया है कि बैंक अपने विवेक से, इस खर्च को 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुई तिमाही से लेकर अगली चार तिमाहियों में बांट सकते हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि संवर्धित ग्रेच्युटी से संबंधित अपरिशोधित खर्च को टियर-1 पूंजी से नहीं घटाया जाएगा।
तदनुसार, ₹ 3,610 करोड़ की कुल देयता में से, ₹ 902.50 करोड़ की राशि 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए लाभ एवं हानि खाते को नामे की गई है और ₹ 2,707.50 करोड़ की शेष अपरिशोधित देयता अगली तीन तिमाहियों, अर्थात जून-18 तिमाही से दिसंबर 18 तिमाही में प्रभारित की जाएगी।

3.2.1.2 कर्मचारी भविष्य निधि

बैंक के भविष्य निधि न्यास में हुई ब्याज की कमी के संबंध में नियतिवादी दृष्टिकोण के अनुसार संचालित बीमांकिक मूल्यांकन "निरंक" देयता दर्शाता है। अतः वित्तीय वर्ष 2017-18 में किसी भी तरह का प्रावधान नहीं किया गया है।

निम्नलिखित तालिका बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए या किया गया बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार भविष्य निधि की स्थिति को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

	भविष्य निधि	
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
1 अप्रैल, 2017 को नियत हितलाभ दायित्व योजना की आरंभिक राशि	26,221.36	25,409.49
वर्तमान सेवा लागत	961.65	827.29
ब्याज लागत	2,455.58	2,199.84
कर्मचारी अंशदान (वीपीएफ सहित)	1,396.25	1,065.98
हस्तांतरित हुई देयता	3,309.05	-
बीमांकिक हानि (लाभ)	25.56	-
प्रदत्त लाभ	(4,070.79)	(3,281.24)

(₹ करोड़ में)

	भविष्य निधि	
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
31 मार्च, 2018 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का इतिशेष	**30,298.66**	**26,221.36**
योजना आस्तियों में परिवर्तन		
1 अप्रैल, 2017 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	27,221.93	26,240.79
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	2,455.58	2,199.84
अंशदान	2,357.90	1,893.27
अन्य कंपनियों से हस्तांतरित	3,723.65	-
प्रदत्त हितलाभ	(4,070.79)	(3,281.24)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	185.98	169.27
31 मार्च, 2018 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	**31,874.25**	**27,221.93**
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान		
31 मार्च, 2018 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	30,298.66	26,221.36
31 मार्च, 2018 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	31,874.25	27,221.93
कमी/(अधिशेष)	(1,575.59)	(1,000.57)
तुलन पत्र में शामिल न की गई निवल आस्ति	1,575.59	1,000.57
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत		
वर्तमान सेवा लागत	961.65	827.29
ब्याज लागत	2,455.58	2,199.84
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(2,455.58)	(2,199.84)
ब्याज में आई कमी को वापस किया गया	-	-
अनुसूची 16 "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" में शामिल की गई नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत।	961.65	827.29
तुलन-पत्र में शामिल की गई प्रारम्भिक एवं अंतिम निवल देयता / (आस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल, 2017 को प्रारम्भिक निवल देयता	-	-
उपरोक्तानुसार व्यय	961.65	827.29

(₹ करोड़ में)

	भविष्य निधि	
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियोक्ता का अंशदान	(961.65)	(827.29)
तुलन-पत्र में शामिल की गई निवल देयता /(आस्ति)	-	-

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि की योजना आस्तियों के अंतर्गत निवेश निम्नानुसार हैं:

	भविष्य निधि
आस्तियों की श्रेणी	**योजना आस्तियों का %**
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	36.91%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	23.09%
ऋण प्रतिभूतियाँ, पूंजी बाजार प्रतिभूतियाँ और बैंक जमा	32.78%
बीमाकर्ता प्रबंधित निधियाँ	1.60%
अन्य	5.62%
योग	**100.00%**

प्रमुख बीमांकिक आकलन;

विवरण	**भविष्य निधि**	
	चालू वर्ष	**चालू वर्ष**
बट्टा दर	7.78%	7.27%
सुनिश्चित प्रतिलाभ	8.65%	8.80%
पलायन दर	2.00%	2.00%
वेतन वृद्धि	5.00%	5.00%

i) एसबीआई कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत देयता पर सुनिश्चित प्रतिलाभ दर लागू है, जो नीचे बताई गई दो दरों में से किसी से कम नहीं होगी :

क. पूर्ववर्ती वर्ष (पूर्ववर्ती 31 मार्च को समाप्त) में बारह माह के लिए नई सावधि जमाओं के लिए बैंक द्वारा उद्धृत औसत मानक दर (एक चौथाई प्रतिशत ऊपर या नीचे समायोजित) से आधा प्रतिशत अधिक : या

ख. तीन प्रतिशत वार्षिक, बशर्ते कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाए।

ii) एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. का भविष्य निधि, जिसका प्रबंध एक न्यास द्वारा किया जाता है, के नियमों में यह दिया गया है कि यदि न्यास बोर्ड इस कारण से कि निवेश पर आय कम हुई है या अन्य किसी कारण से उस दर से ब्याज अदा करने में असमर्थ हैं, जो दर कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 60 के तहत सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि के लिए घोषित की जाती है, तब कम पड़ने वाली राशि की पूर्ति इस कंपनी द्वारा की जाएगी।

3.2.2.1 नियत अंशदान योजना

3.2.2.1 कर्मचारी भविष्य निधि

समूह (नोट 3.2.1.2 में शामिल की गई इकाइयों को छोड़कर) द्वारा भविष्य निधि योजना के लिए ₹ 28.59 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 22.22 करोड़) की राशि अंशदान की गई है और उसे लाभ एवं हानि खाते में 'कर्मचारी को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान' शीर्ष के तहत शामिल किया गया है।

3.2.2.2 अगस्त, 01 2010 या उसके बाद बैंक की सेवा में आने वाले सभी श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए बैंक ने नियत अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) लागू की है। इस योजना का प्रबंधन नई पेंशन योजना (एनपीएस) न्यास द्वारा पेन्शन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के तत्त्वावधान में किया जाता है। एनपीएस के लिए, राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. को केंद्रीय रिकार्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹ 390.00 करोड़ का अंशदान किया (पिछले वर्ष ₹ 328.69 करोड़ था)।

3.2.3 दीर्घावधि कर्मचारी- हितलाभ (अनिधिकृत देयताएँ)

3.2.3.1 संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ (अर्जित अवकाश) निम्नलिखित तालिका में बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार संचयी क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों (अर्जित अवकाश) की स्थितियां दर्शायी गई है:

(₹ करोड़ में)

	संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ (अर्जित अवकाश)	
विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
परिभाषित हितलाभ दायित्व की वर्तमान राशि में बदलाव		
1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार परिभाषित प्रारंभिक हितलाभ दायित्व	4,760.15	4,379.90
वर्तमान सेवा लागत	210.14	214.49
ब्याज लागत	432.32	344.17
अधिग्रहण में हस्तांतरित हुई देयता	1,188.49	-
बीमांकिक हानियां/(लाभ)	593.93	398.78
प्रदत्त लाभ	(936.51)	(577.19)
31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार इतिशेष परिभाषित निवल देयता	6,248.52	4,760.15

(₹ करोड़ में)

	संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ (अर्जित अवकाश)	
विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
लाभ एवं हानि खाते में शामिल निवल लागत		
वर्तमान सेवा लागत	210.14	214.49
ब्याज लागत	432.32	344.17
बीमांकिक (लाभ)/हानियां	593.93	398.78
अनुसूची 16 -ठख्रस्व्लाष्ठ्रइुद्रर्श को भुगतान एवं उनके लिए ख्र्स्त्रठ्ठद्दठुक्ड में शामिल परिभाषित हितलाभ योजनाओं की कुल लागत	1,236.39	957.44
तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित प्रारंभिक एवं अंतिम निवल देयता / (आस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक निवल देयता	4,760.15	4,379.67
उपरोक्तानुसार व्यय	1,236.39	957.67
अधिग्रहण में हस्तांतरित हुई देयता	1,188.49	-
नियोजक का अंशदान	-	-
नियोजक द्वारा प्रदत्त प्रत्यक्ष लाभ	(936.51)	(577.19)
तुलन-पत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	6,248.52	4,760.15

प्रमुख बीमांकिक अनुमान :

विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
बट्टा दर	7.78%	7.27%
वेतन वृद्धि	5.00%	5.00%
पलायन दर	2.00%	2.00%

संचित प्रतिपूरक अनुपस्थितियां (अर्जित अवकाश) (उपर्युक्त तालिका में शामिल की गई इकाइयों को छोड़कर)

सेवानिवृत्ति पर किए जाने वाले अवकाश नकदीकरण सहित अर्जित अवकाश नकदीकरण के लिए समूह द्वारा ₹ 36.17 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 113.95 करोड़) का प्रावधान किया गया है और उसे लाभ एवं हानि खाते में "कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान" शीर्ष में शामिल किया गया है।

3.2.3.2 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ

समूह द्वारा अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ के लिए ₹ (-) 38.69 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ (-) 20.52 करोड़) की राशि का प्रावधान/(अपलेखन) किया गया तथा इसे लाभ एवं हानि लेखा में ठख्रस्ल्वझ्ड्डर्श को भुगतान एवं उनके लिए ख्र्रठ्ठद्द ठ्ठक्ड शीर्ष में शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ के लिए किए गए प्रावधान का विवरणः

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	अवकाश यात्रा एवं गृह यात्रा छूट (नकदीकरण/उपयोग)	(4.20)	19.23
2	रुग्ण अवकाश	3.35	(53.14)
3	रजत जयंती अवार्ड	(12.64)	11.13
4	अधिवर्षिता पर पुनर्वास व्यय	(13.23)	1.32
5	आकस्मिक अवकाश	-	-
6	सेवानिवृत्ति अवार्ड	(11.97)	0.94
	योग	**(38.69)**	**(20.52)**

3.2.4 उपर्युक्त सूचीबद्ध कर्मचारी हितलाभ भारत में स्थित समूह के कर्मचारियों के संबंध में है। विदेश स्थित कार्यालयों के कर्मचारियों को उक्त योजनाओं में शामिल नहीं किया गया है।च

3.3 लेखा मानक - 17 'खंडवार सूचना'च

3.2.1 खंड अभिनिर्धारण

I) प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

निम्नलिखित बैंक के प्राथमिक खंड हैः-

-खजाना (ट्रेजरी)

- कारपोरेट/थोक बैंकिंग

- खुदरा बैंकिंग

-अन्य बैंकिंग व्यवसाय

बैंक की वर्तमान लेखा एवं सूचना प्रणाली में उपरोक्त खंडों के लिए अलग से आंकड़े संग्रहण व एक्ट्रेक्ट करने की व्यवस्था नहीं है। तथापि, वर्तमान आंतरिक, संगठनात्मक तथा प्रबंधकीय रिपोर्टिंग संरचना एवं प्राथमिक खंडों में निहित जोखिम व प्रतिलाभ के आधार पर निम्नलिखित के अनुसार उनकी गणना की गई है :-

क. ट्रेजरी- ट्रेजरी खंड में संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी विनिमय व डेरिवेटिव्स संविदाओं में ट्रेडिंग शामिल हैं। ट्रेजरी खंड की आय में मुख्य रूप से फीस तथा ट्रेडिंग परिचालनों से होने वाले लाभ या हानि तथा निवेश पोर्टफोलियो की ब्याज-आय शामिल होती है।

ख. कारपोरेट/थोकबैंकिंग- कारपोरेट/थोक बैंकिंग खंड में कारपोरेट लेखा समूह, मध्य कारपोरेट लेखा समूह तथा तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह की ऋण गतिविधियाँ शामिल हैं। इनमें कारपोरेट और संस्थागत ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली ऋण व लेन-देन सेवाएँ तथा विदेश स्थित कार्यालयों के गैर-कोष परिचालन भी शामिल हैं।

ग. खुदरा बैंकिंग- खुदरा बैंकिंग खंड में राष्ट्रीय बैंकिंग समूह की शाखाएँ आती हैं, इन शाखाओं की गतिविधियों में राष्ट्रीय बैंकिंग समूह से संबद्ध कॉरपोरेट ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराने सहित वैयक्तिक बैंकिंग गतिविधियाँ शामिल हैं। इस खंड में एजेंसी व्यवसाय व एटीएम भी शामिल हैं।

घ. बीमा व्यवसाय - बीमा व्यवसाय खंड में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के परिणाम शामिल हैं।

ङ. अन्य बैंकिंग व्यवसाय

उपर्युक्त (क) से (घ) के अंतर्गत वर्गीकृत न किए गए खंड इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं। इस खंड में भी समूह की एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. को छोड़कर सभी गैर-बैंकिंग अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों के परिचालन शामिल हैं।

ख. द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

क. देशीय परिचालन - भारत में परिचालित शाखाएँ, अनुषंगियां और संयुक्त उद्यम

ख. विदेशी परिचालन - भारत के बाहर परिचालित शाखाएँ, अनुषंगियां और संयुक्त उद्यम तथा भारत में परिचालन करने वाली समुद्र पारीय बैंकिंग इकाइयाँ।

ग. अंतर-खंडीय अंतरणों का मूल्य-निर्धारण

खुदरा बैंकिंग खंड मूलतः प्राथमिक संसाधन संग्रहण इकाई है। कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग एवं ट्रेज़री खंड, खुदरा बैंकिंग खंड से ही निधियाँ प्राप्त करते हैं। बाजार संबद्ध निधि अंतरण मूल्यन (एमआरएफटीपी) का अनुसरण किया जाता है, इसके अंतर्गत निधीयन केंद्र (फंडिंग सेंटर) नामक एक अलग इकाई बनाई गई है। निधीयन केंद्र, व्यवसाय इकाइयों द्वारा जमाओं या उधारियों के रूप उगाही गई निधियों को कल्पित (नोशनल) रूप से खरीदता है तथा आस्ति सृजन में लगी व्यवसाय इकाइयों को कल्पित विक्रय करता है।

घ) व्यय, आस्तियों और देयताओं का आबंटन

सीधे कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग एवं खुदरा बैंकिंग परिचालनों अथवा राजकोषीय परिचालन खंड से संबंधित कॉरपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं में किए गए खर्च को उसी अनुसार आबंटित किया गया है। सीधे-सीधे न जुड़े हुए खर्च को प्रत्येक खंड के कर्मचारियों की संख्या/सीधे संबंध रखने वाले व्यय के अनुपात के आधार पर आबंटित किया गया है।

बैंक में कुछ ऐसी सामान्य आस्तियाँ और देयताएँ होती हैं जिन्हें किसी खंड में शामिल नहीं किया जा सकता, उन्हें अन-आबंटित श्रेणी में रखा गया है।

3.2.2 खंडवार सूचना

भाग क: प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

(₹ करोड़ में)

व्यवसाय खंड	ट्रेजरी	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग	खुदरा बैंकिंग	अन्य बैंकिंग परिचालन	योग	व्यवसाय खंड
आय (विशेष मदों से पूर्व)	82,163.87 (78,525.43)	64,365.45 (83,694.12)	1,11,963.61 (1,06,413.35)	34,088.22 (28,047.53)	8,637.67 (6,174.73)	3,01,218.82 (3,02,855.16)
अन-आबंटित आय						2,571.02 (2,419.27)
घटाएं : अंतर खंडीय आय						2,298.53 (6,634.17)
कुल आय						3,01,491.31 (2,98,640.26)
परिणाम (विशेष मदों से पूर्व)	-16.83 (14,559.33)	-38,316.71 (-24,803.47)	19,464.25 (10,826.76)	1,832.28 (1,308.71)	1,680.23 (1,717.58)	-15,356.78 (3,608.91)
जोड़े : विशेष मदें	5,036.21 (-)					5,036.21 (-)
परिणाम (विशेष मदों के पश्चात)	5,019.38 (14,559.33)	-38,316.71 (-24,803.47)	19,464.25 (10,826.76)	1,832.28 (1,308.71)	1,680.23 (1,717.58)	-10,320.57 (3,608.91)
अन-आबंटित आय (+) / व्यय (-) - निवल						-1,924.34 (-2,664.08)
कर-पूर्व लाभ / (हानि)						-12,244.91 (944.83)
कर						-8,057.50 (1,335.50)
असाधारण लाभ						0.00 (0.00)
सहयोगियों के लाभ में हिस्से से पूर्व निवल लाभ/(हानि) और अल्पांश हित						-4,187.41 (-390.67)
जोड़े: सहयोगियों के लाभ में हिस्सा						438.16 (293.28)
घटाएं : अल्पांश हित						807.04 (-338.62)
समूह के लिए निवल लाभ / (हानि)						-4,556.29 (241.23)
अन्य सूचना :						
खंड आस्तियां	10,85,909.92 (10,07,725.87)	10,24,506.47 (11,51,526.43)	13,19,933.76 (11,33,220.08)	1,27,099.09 (1,06,318.18)	27,548.89 (18,110.16)	35,84,998.13 (34,16,900.72)
अन-आबंटित आस्तियां						31,434.87 (28,220.84)
कुल आस्तियां						36,16,433.00 (34,45,121.56)
खंड देयताएं	8,10,044.02 (7,09,453.02)	10,63,520.41 (11,03,341.85)	13,11,488.36 (12,14,492.46)	1,19,097.01 (99,646.13)	21,136.24 (12,525.34)	33,25,286.04 (31,39,458.80)
अन-आबंटित देयताएँ						60,825.01 (88,470.61)
कुल देयताएँ						33,86,111.05 (32,27,929.41)

भाग ख : द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

(₹ करोड़ में)

	देशीय परिचालन	विदेशी परिचालन	कुल
आय	2,88,659.38 (2,86,662.86)	12,831.93 (11,977.40)	3,01,491.31 (2,98,640.26)
निवल लाभ / (हानि)	-6,162.65 (-2,871.79)	1,606.36 (3,113.02)	-4,556.29 (241.23)
आस्तियाँ	32,04,196.42 (30,59,467.86)	4,12,236.58 (3,85,653.70)	36,16,433.00 (34,45,121.56)
देयताएँ	29,78,268.42 (28,46,368.69)	4,07,842.63 (3,81,560.72)	33,86,111.05 (32,27,929.41)

(i) आय/व्यय संपूर्ण वर्ष के लिए है। आस्तियां/देयताएं 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार है।

(ii) कोष्ठक के आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।

3.4 लेखा मानक - 18 "संबंधित पक्षों का प्रकटन"

3.4.1 समूह के संबंधित पक्ष

क. संयुक्त उद्यम

1. सी-ऐज टेकनोलॉजीज लि.
2. जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा.लि. (14.12.2017 तक)
3. एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
4. एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.
5. मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
6. मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.
7. ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-मैनजमेंट कंपनी प्रा. लि.
8. ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.
9. जियो पेमेंट्स बैंक लि.

ख. सहयोगी :

i.) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
2. अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक
3. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक
4. इलाकाई देहाती बैंक
5. लंगपी देहांगी रूरल बैंक
6. मध्यांचल ग्रामीण बैंक
7. मेघालय ग्रामीण बैंक
8. मिजोरम रूरल बैंक
9. नागालैंड रूरल बैंक‘

10 पूर्वांचल बैंकच

11 सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक

12 उत्कल ग्रामीण बैंक

13 उत्तराखंड ग्रामीण बैंक

14 वनांचल ग्रामीण बैंक

15 राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक

16 तेलंगाना ग्रामीण बैंक

17 कावेरी ग्रामीण बैंक

18 मालवा ग्रामीण बैंक

ii. अन्य

19 दि क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

20 बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड

21 एसबीआई होम फाइनैंस लिमिटेड (परिसमापन के अधीन)

ग. एसबीआई के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

1. श्री रजनीश कुमार, अध्यक्ष (07.10.2017 से)
2. श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य (06.10.2017 तक)
3. श्री रजनीश कुमार, प्रबंध निदेशक (कॉरपोरेट बैंकिंग समूह) (06.10.2017 तक)
4. श्री पी. के. गुप्ता, प्रबंध निदेशक (रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग)
5. श्री दिनेश कुमार खारा, प्रबंध निदेशक (जोखिम, आईटी एवं अनुषंगियाँ)
6. श्री बी. श्रीराम प्रबंध, निदेशक प्रबंध निदेशक (कॉरपोरेट एवं ग्लोबल बैंकिंग समूह)

3.4.2 वर्ष के दौरान जिन पक्षकारों के साथ लेनदेन किए गए

लेखा मानक लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अंतर्गत ''सरकार-नियंत्रित उद्यम'' के संबंधित पक्ष के संबंध में कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त, लेखा मानक 18 के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के संबंधियों सहित बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति वाले लेनदेनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

3.4.3 लेनदेन एवं शेष राशियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक एवं उनके संबंधी	योग
वर्ष 2017-18 के दौरान लेनदेन			
ब्याज आय	- (-)	- (-)	- (-)
ब्याज व्यय	0.09 (0.18)	- (-)	0.09 (0.18)
लाभांश के रूप में अर्जित आय	29.24 (33.83)	- (-)	29.24 (33.83)
अन्य आय	0.17 (0.30)	- (-)	0.17 (0.30)
अन्य व्यय	12.31 (11.54)	- (-)	12.31 (11.54)
प्रबंधन संविदा	- (-)	2.05 (1.39)	2.05 (1.39)
मार्च 31, 2018 को बकाया			
देय राशियां			
जमा	44.75 (15.21)	- (-)	44.75 (15.21)
अन्य देयताएं	1.19 (47.99)	- (-)	1.19 (47.99)
प्राप्य राशियां	- (-)	- (-)	- (-)
बैंकों के पास जमाशेष	67.66 (81.15)	- (-)	67.66 (81.15)
निवेश	- (0.41)	- (-)	- (0.41)
अग्रिम	0.07 (0.07)	- (-)	0.07 (0.07)
अन्य आस्तियां			
वर्ष के दौरान अधिकतम बकायाराशि			
उधारराशियां	- (-)	- (-)	- (-)
जमा	206.21 (29.48)	- (-)	206.21 (29.48)
अन्य देयताएं	119.61 (55.33)	- (-)	119.61 (55.33)
बैंकों के पास शेष राशियां	- (-)	- (-)	- (-)
अग्रिम	0.62 (0.42)	- (-)	0.62 (0.42)
निवेश	77.10 (81.15)	- (-)	77.10 (81.15)
अन्य आस्तियां	0.07 (0.07)	- (-)	0.07 (0.07)
गैर-निधि वचनबद्धताएं (एलसी/बीजी)	- (-)	- (-)	- (-)

(कोष्ठक के आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं)

वर्ष के दौरान अन्य पक्ष से संबंधित लेनदेनों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं है।

3.5 लेखा मानक -19 "पट्टे":

3.5.1 वित्तीय पट्टा

अप्रैल 01, 2001 को या उसके बाद वित्तीय पट्टे पर ली गई आस्तियां : वित्तीय पट्टों का ब्योरा नीचे प्रस्तुत किया गया

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
कुल न्यूनतम पट्टा भुगतान बकाया		
1 वर्ष से कम	17.26	4.87
1 से 5 वर्ष	56.06	9.35
5 वर्ष और उससे अधिक	-	-
योग	73.32	14.22
ब्याज लागत देय राशियां		
1 वर्ष से कम	4.77	0.97
1 से 5 वर्ष	13.19	1.36
5 वर्ष और उससे अधिक	-	-
योग	17.96	2.33
न्यूनतम पट्टा भुगतान देय राशियों का वर्तमान मूल्य		
1 वर्ष से कम	12.49	3.90
1 से 5 वर्ष	42.87	7.99
5 वर्ष और उससे अधिक	-	-
योग	**55.36**	**11.89**

3.5.2 परिचालन पट्टा

परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों की जानकारी नीचे प्रस्तुत की गई है :

परिचालन पट्टों में मुख्य रूप से कार्यालय परिसर और स्टाफ निवास शामिल हैं, जो समूह इकाइयों के विकल्प पर नवीकरण योग्य हैं।

रद्द होने योग्य नहीं परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों की देयता नीचे प्रस्तुत की गई है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
1 वर्ष तक	208.15	307.04
1 वर्ष से 5 वर्ष तक	613.63	1,189.15
5 वर्ष के पश्चात	252.46	310.99
योग	**1,074.24**	**1,807.18**

इस वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते में ली गई पट्टा भुगतानों की राशि ₹ 3,289.58 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2,615.41 करोड़) है।

3.6 लेखा मानक-20 'प्रति शेयर उपार्जन'

बैंक, लेखा मानक 20, "प्रति शेयर उपार्जन" के अनुसार प्रत्येक इक्विटी शेयर पर मूल और कम की गई आय रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर "मूल आय" की गणना, वर्ष के दौरान, कर पश्चात समेकित निवल लाभ/(हानि) को बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर निकाली गई है।

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मूल तथा कम किए गए		
वर्ष के प्रारंभ में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	797,35,04,442	776,27,77,042
वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयरों की संख्या	95,10,83,092	21,07,27,400
वर्ष के अंत तक बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	892,45,87,534	797,35,04,442
प्रति शेयर मूल आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	853,30,51,135	780,37,67,851
प्रति शेयर कम की गई आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयरों की संख्या	853,30,51,135	780,37,67,851
निवल लाभ (₹ करोड़ में)	(4,556.29)	241.23
प्रति शेयर मूल आय (₹)	(5.34)	0.31
प्रति शेयर कम की गई आय (₹)	(5.34)	0.31
प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य (₹)	1.00	1.00

3.7 लेखा मानक- 22 'आय पर कर का लेखांकन'

i) आस्थगित कर के कारण वर्ष के दौरान ' 9804.79 करोड़ की राशि को लाभ एवं हानि खाते में जमा की गई है (पिछले वर्ष ' 3,507.06 करोड़ जमा की गई) on account of deferred tax.

ii) आस्थगित कर आस्तियां और प्रमुख मदों की देयताओं का विश्लेषण नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर आस्तियाँ (डीटीए)		
दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	3,486.07	2,769.18
अग्रिमों के लिए प्रावधान र	4,415.43	2,974.42
संचित हानियों पर	13,889.32	5,281.99
अन्य आस्तियों/वीआरएस/अन्य देयता के लिए प्रावधान	743.57	724.65
बट्टे का परिशोधन	7.31	61.89
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	14.91	3.89
एसबीआई के विदेश स्थित कार्यालयों के कारण डीटीए	317.04	427.91
अन्य	200.25	393.12
योग	23,073.90	12,637.05

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर देयताएं (डीटीएल)		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	89.71	277.04
प्रतिभूतियों पर उपार्जित परंतु देय नहीं ब्याज	6,315.01	5,045.06
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(viii)के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	4,690.10	4,645.01
विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि पर	117.30	563.28
एसबीआई के विदेश स्थित कार्यालयों के कारण डीटीएल	2.80	2.19
अन्य	26.66	543.14
कुल	11,241.58	11,075.72
निवल आस्थगित कर आस्तियां/ (देयताएं)	11,832.32	1,561.33

$ वर्ष के दौरान, बैंक ने आईआरसीए मानदंडों के अनुसार मानक आस्तियों पर प्रावधान करने के संबंध में आस्थगित कर आस्तियों के लिए ₹ 2,461.40 करोड़ निर्धारित किए हैं जिसे अब तक इस वर्ष के परिणामों के अनुवर्ती प्रभाव से आस्थगित कर आस्ति के रूप में नहीं समझा गया है।

3.8 लेखा मानक -28 "आस्तियों की क्षति":

प्रबंधन की दृष्टि में, वर्ष के दौरान, आस्तियों की क्षति का कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया जिस पर लेखा मानक 28 - "आस्तियों की क्षति" लागू होती हो।

3.9 लेखा मानक - 29 'प्रावधान, आकस्मिकताएं देयताएं और आकस्मिक आस्तियां'

- **लाभ एवं हानि खाते में शामिल की गई प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लाभ एवं हानि खाते में व्यय शीर्ष के तहत दर्शाए गए "प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं" का विश्लेषण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क)	कराधान हेतु प्रावधान		
	- वर्तमान कर	1,758.40	5427.24
	- आस्थगित कर	(9,804.79)	(3,507.06)
	- आय कर का प्रतिलेखन	(11.11)	(584.68)
ख)	निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	72,217.65	57,155.07
ग)	अलाभकारी आस्तियों के लिए प्रावधान	(691.67)	(1,238.32)
घ)	पुनर्रचित आस्तियों के लिए प्रावधान	(3,584.56)	2,191.63
ङ)	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	8,177.30	1,721.96
च)	अन्य प्रावधान	(103.65)	1,460.54
	योग	**67,957.58**	**62,626.38**

(कोष्ठ के आंकड़े ऋण दर्शाते हैं)

- **अस्थिर प्रावधान:**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क)	आरंभिक अधिशेष	193.76	193.76
ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
ग)	वर्ष के दौरान आहरण	-	-
घ)	इतिशेष	193.76	193.76

- आकस्मिक देयताओं के विवरण (लेखा मानक-29):

क्रम सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1	समूह के विरुद्ध दावे जो ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं हैं।	व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में मूल बैंक और उसके विभिन्न अनुषंगियां एक पक्ष है। समूह आशा नहीं करता कि इन कार्यवाहियों के परिणाम स्वरूप बैंक की वित्तीय स्थितियों, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाह पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कुछ मामलों में कर निर्धारण अपीलें विचाराधीन हैं तथा समूह उन विभिन्न मामलों में भी एक पक्ष है।
2	अंशतः प्रदत्त निवेशों/उद्यम निधि पर देयताएँ	यह मद, अंशतः चुकता निवेशों के लिए चुकता न की गई शेष राशि की देयता को दर्शाती है। इसमें जोखिम पूंजी निधियों हेतु अनाहरित प्रतिबद्धताएं भी शामिल हैं।
3	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएँ	समूह अपनी सामान्य व्यावसायिक कार्यकलाप के भाग के रूप में, भविष्य की किसी तारीख को पूर्व-निर्धारित दर पर मुद्रा परिवर्तन के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाएं करता है। वायदा मुद्रा विनिमय संविदाएँ, संविदागत दर पर निर्धारित तारीख को विदेशी मुद्रा खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्धता होती है। कल्पित राशि को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया जाता है। अपने ग्राहकों के साथ किए गए लेनदेन के संबंध में संतुलन साधने के लिए सामान्यतः एसबीआई अंतर-बैंक बाजार में प्रतिसंतुलन लेनदेन करता है। इसका परिणाम बड़ी संख्या में बकाया लेनदेन होता है, और इसलिए संविभाग की सकल कल्पित मूल राशि की मात्रा भी बहुत बढ़ जाती है, जबकि निवल बाजार जोखिम बहुत कम होता है।
4	ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ, स्वीकृतियाँ, परांकन तथा अन्य दायित्व	अपनी सामान्य वाणिज्यिक बैंकिंग कार्यकलापों के एक भाग के रूप में समूह, अपने ग्राहकों की ओर से प्रलेखी ऋण तथा गारंटियाँ जारी करता है। प्रलेखी ऋण से समूह के ग्राहकों की ऋण-अवस्थिति बढ़ती है। गारंटियाँ सामान्यतः बैंक की ओर से अप्रतिसंहरणीय (जिसे वापस न लिया जा सके) आश्वासन होता है कि यदि ग्राहक अपने वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल रहता है तो बैंक उनका भुगतान करेगा।
5	अन्य मदें जिनके लिए समूह आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है।	समूह अपने लिए तथा ग्राहकों की ओर से अंतर-बैंक सहभागियों के साथ मुद्रा ओपशंस, वायदा दर करार, विदेशी मुद्रा विनिमय तथा ब्याज दर स्वैप में शामिल होता है। मुद्रा स्वैप, पूर्व-निर्धारित दरों के आधार पर ब्याज/मूल राशि के माध्यम से एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में विनिमय का नकदी प्रवाहों के परिवर्तन की प्रतिबद्धता हैं। ब्याज दर स्वैप, ब्याज की स्थिर तथा अस्थिर दर नकदी प्रवाहों के विनिमय की प्रतिबद्धताएँ हैं। आकस्मिक देयताएँ, संविदाओं के ब्याज अंश की गणना के लिए बेंचमार्क के रूप में प्रयोग की जाने वाली विशिष्ट राशियाँ हैं। आगे, इसमें संविदाओं की ऐसी अनुमानित राशि भी शामिल है जो पूंजी खाते में डाली जानी है और जिसका प्रावधान नहीं किया गया, एसबीआई द्वारा सहयोगियों एवं अनुषंगियों की ओर से जारी चुकौती आश्वासन पत्र, जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि खाते के अंतर्गत बैंक की देयताएँ और अन्य विविध आकस्मिक देयताएँ भी शामिल हैं।

उपर्युक्त आकस्मिक देयताएँ यथास्थिति, न्यायालय/पंचाट/न्यायालय के बाहर समझौते, अपीलों के निपटान, राशियों की मांग, संविदागत बाध्यताओं की शर्तों, संबंधित पक्षों द्वारा माँग और उसे उद्भूत करने के दायित्व पर आधारित हैं।

- आकस्मिक देयताओं के प्रति प्रावधानों में उतार-चढ़ावः

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
a)	आरंभिक अधिशेष	1,026.38	719.21
b)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	127.43	442.30
c)	वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	227.72	7.47
d)	वर्ष के दौरान उपयोग न की गई राशि की वापसी	399.80	127.66
e)	इतिशेष	526.29	1,026.38

4 समूह इकाइयों के बीच अंतर-बैंक/कंपनी शेषों का सतत आधार पर समाधान किया जा रहा है। चालू वर्ष में लाभ एवं हानि खाते पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

5. एसबीआई की पट्टाधारित संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि का रिवर्सलः

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुपालन में, बैंक ने कुछ पट्टाकृत संपतियों के मूल्य में पूर्व अवधि में ₹ 11,210.94 करोड़ के पुनर्मूल्यांकन के प्रभाव को प्रतिवर्तित किया, जिसका परिणाम ₹ 193.24 करोड़ की पूर्व प्रभारित राशि का प्रतिलेखन है।

6. आरबीआई ने परिपत्र सं.बीपी.बीसी.102/21.04.048/2017-18 दिनांक अप्रैल 2,2018 के अनुसार बैंकों को 31 दिसंबर, 2017 और 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाहियों के लिए एएफएस और एचएफटी में धारित निवेशों की बाजार हानियों से संबंधित प्रावधान को फैलाने का विकल्प दिया है। इस परिपत्र में कहा गया है कि जिस तिमाही में नुकसान हुआ है, उस तिमाही से शुरू करके चार तिमाही तक प्रत्येक तिमाही में समान रूप से प्रावधान को फैलाया जाए। बैंक ने संबंधित तिमाहियों में निवेशों बाजार हानि के लिए संपूर्ण निवल हानि का निर्धारण किया है और उक्त विकल्प को काम में नहीं लिया है।

7. आरबीआई द्वारा जारी परिपत्र सं. डीबीआर. बीपी. बीसीसं. 63/21.04.018/2016-17 दिनांक 18 अप्रैल, 2017 में दिए गए आदेश के अनुसार अनर्जक आस्तियों के लिए (मानक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को छोड़कर) एसबीआई द्वारा किए गए प्रावधानों के संबंध में वित्त वर्ष 2016-17 के विचलन से संबंधित प्रकटीकरण निम्नानुसार हैंः

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	राशि
1	31 मार्च, 2017 को सकल एनपीए, जो एसबीआई द्वारा रिपोर्ट की गई है	1,12,342.99
2	31 मार्च, 2017 को सकल एनपीए, जो आरबीआई द्वारा मूल्यांकित की गई है	1,35,582.12
3	सकल एनपीए में विचलन (2-1)	23,239.13
4	31 मार्च, 2017 को निवल एनपीए, जो एसबीआई द्वारा रिपोर्ट की गई है	58,277.38
5	31 मार्च, 2017 को निवल एनपीए, जो आरबीआई द्वारा मूल्यांकित की गई है	75,795.85
6	निवल एनपीए में विचलन (2-1)	17,518.47
7	31 मार्च, 2017 को एनपीए के लिए प्रावधान, जो एसबीआई द्वारा रिपोर्ट की गई है।	54,065.61
8	31 मार्च, 2017 को एनपीए के लिए प्रावधान, जो आरबीआई द्वारा मूल्यांकित की गई है।	59,786.27
9	प्रावधान में विचलन (8-7)*	5,720.66
10	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए एसबीआई का रिपोर्ट किया गया कर पश्चात निवल लाभ	10,484.10
11	प्रावधानों के विचलन को ध्यान में रखते हुए एसबीआई का समायोजित (कल्पित) कर पश्चात निवल लाभ	6,743.25

* आरबीआई द्वारा नोट किए गए विचलनों के कारण उपर्युक्त उल्लिखित पूर्वप्रभावी नए एनपीए का निवल चालू प्रभाव 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के परिणामों में विधिवत रूप से दर्शाए गए हैं।

8. पूर्ववर्ती देशीय बैंकिंग अनुषंगियों (डीबीएस) और भारतीय महिला बैंक लि. का अधिग्रहण

अ) भारत सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 35 की उप-धारा (2) के तहत आदेश दिनांक 22 फरवरी, 2017 और 20 मार्च, 2017 के अनुसार एसबीआई की पांच देशीय बैंकिंग अनुषंगियों, अर्थात स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर (एसबीबीजे), स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (एसबीएच), स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (एसबीपी), स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (एसबीएम), स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (एसबीटी) के अधिग्रहण और भारतीय महिला बैंक लिं. (बीएमबीएल) के अधिग्रहण के लिए मंजूरी प्रदान की है। भारत सरकार के आदेशों के अनुसार अधिग्रहण की योजनाएं दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगी (यहां इसके बाद प्रभावी तिथि के रूप में संदर्भित किया गया है)।

उक्त योजना के अनुसार, अंतरणकर्ता बैंकों के उपक्रमों के इस प्रभावी तिथि से तुरंत पहले उनके स्वामित्व, कब्जे या अंतरणकर्ता बैंक के अधिकार वाले सभी व्यवसाय, आस्तियां, देयताएं, आरक्षितियां एवं अधिशेष, वर्तमा या आकस्मिक और उक्त संपत्तियों से उठने वाले अन्य सभी अधिकार और हित शामिल किए हुए समझे जाएंगे और इस प्रभावी तिथि को या इस तिथि से एसबीआई को अंतरित हो जाएंगे (यहां इसके बाद इसे अंतरिती बैंक के रूप में संदर्भित किया गया है)।

ख) विलय की गई इकाइयों के शेयरधारकों को नीचे यथा उल्लिखित बैंक के शेयर आवंटित किए गए हैं:

अन्तरणकर्ता बैंक का नाम	शेयर विनिमय अनुपात/निर्गमित
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (एसबीबीजे)	एसबीबीजे के प्रति शेयर ₹ 10/- अंकित मूल्य वाले पूर्ण प्रदत्त शेयरों के बदले एसबीआई के प्रति शेयर ₹ 1/- अंकित मूल्य के 28 शेयर। एसबीआई के प्रति शेयर ₹ 1/- अंकित मूल्य के कुल 4,88,54,308 शेयर।
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (एसबीएम)	एसबीएम के प्रति शेयर ₹ 10/- अंकित मूल्य वाले पूर्ण प्रदत्त शेयरों के बदले एसबीआई के प्रति शेयर ₹ 1/- अंकित मूल्य के 22 शेयर। एसबीआई के प्रति शेयर ₹ 1/- अंकित मूल्य के कुल 1,05,58,379 शेयर।
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (एसबीटी)	एसबीटी के प्रति शेयर ₹ 10/- अंकित मूल्य वाले पूर्ण प्रदत्त शेयरों के बदले एसबीआई के प्रति शेयर ₹ 1/- अंकित मूल्य के 22 शेयर। एसबीआई के प्रति शेयर ₹ 1/- अंकित मूल्य के कुल 3,27,08,543 शेयर।
भारतीय महिला बैंक लि. (बीएमबीएल)	प्रति शेयर ₹ 10/- अंकित मूल्य के पूर्ण प्रदत्त बीएमबीएल के 100,00,00,000 शेयरों के बदले प्रति शेयर ₹ 1/- अंकित मूल्य के 4,42,31,510 शेयर का पूर्ण भुगतान किया गया।

आगे, जहां कहीं ऐसा निर्धारित किया गया है, एसबीआई ने इक्विटी शेयरों के आंशिक भाग के हकदारों को नकदी भुगतान कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (एसबीपी) और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (एसबीएच) के संबंध में, जो पूर्ण स्वामित्व वाली संस्थाएं थीं, उन संस्थाओं में किए गए निवेश के बदले उन बैंकों की पूरी शेयर पूंजी रद्द कर दी गई।

ग) बैंक में e-Abs तथा e-BMB के विलय की गणना लेखांकन मानक 14 (एएस 14) "समेकन के लिए लेखांकन" तथा अधिग्रहण की अनुमोदित योजना के अनुसार 'ब्याज का समूहन (पूलिंग) पद्धति के अंतर्गत लेखांकित की गई है। इसके अनुसरण में, अंतरणकर्ता बैंकों की ₹ 11,314.75 की आस्ति तथा देयताएँ को बैंक के ₹ 1/- के अंकित मूल्य के 13,63,52,740 शेयरों के बदले प्रभावी तारीख को उन बैंकों की उस समय की राशि पर बैंक की बहियों में दर्ज किया गया तथा आंशिक भाग के हकदारों को ₹ 0.25 करोड़ का नकदी भुगतान किया गया। पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों में बैंक का निवेश प्रभावी तारीख से समाप्त हो गया। पूर्ववर्ती देशीय बैंकिंग अनुषंगियों और भारतीय महिला बैंक लि. के अंतरणकर्ता बैंकों की शेयर पूंजी और एसबीआई के तदनुरूपी निवेशों के बीच के निवल अंतर को औरशेयरों के आंशिक हकदारों को अदा की गई नकद राशि को पूंजी आरक्षित निधि खाते में अंतरित किया गया है। अधिग्रहण पर अधिग्रहित की गई निवल आस्तियां निम्नानुसार हैं :

(₹ करोड़ में)

अधिगहीत आस्तियां	पूर्ववर्ती एसबीबीजे	पूर्ववर्ती एसबीएच	पूर्ववर्ती एसबीएम	पूर्ववर्ती एसबीपी	पूर्ववर्ती एसबीटी	पूर्ववर्ती बीएमबी	उप-योग
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा-राशियाँ	8,596.66	7,328.66	4,669.93	5,242.96	6,858.88	46.64	32,743.73
बैंकों में जमा-राशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	2,002.50	21,453.95	19,167.30	73.59	23,347.74	635.11	66,680.19
निवेश	34,922.37	43,628.77	23,861.63	32,706.10	40,777.06	707.62	1,76,603.55
अग्रिम	64,830.01	79,375.57	34,474.63	70,018.98	48,617.57	567.49	2,97,884.25
अचल आस्तियाँ	1,353.65	1,662.33	1,532.58	1,420.45	995.82	22.68	6,987.51
अन्य आस्तियाँ	4,558.73	9,598.12	5,261.05	13,367.08	5,176.53	50.94	38,012.45
कुल आस्तियाँ (क)	**1,16,263.92**	**1,63,047.40**	**88,967.12**	**1,22,829.16**	**1,25,773.60**	**2,030.48**	**6,18,911.68**
अधिग्रहित देयताएं							
आरक्षित राशियाँ एवं अधिशेष	4,070.33	8,377.94	2,766.44	1,858.95	2,554.84	-	19,628.50
जमाएँ	1,04,008.73	1,41,898.94	78,474.22	1,00,794.63	1,14,688.90	975.77	5,40,841.19
उधारियाँ	1,553.75	5,619.05	2,648.52	4,071.60	3,035.00	-	16,927.92
अन्य देयताएँ एवं प्रावधानीकरण	4,378.86	6,783.92	4,072.09	11,244.88	3,700.24	19.33	30,199.32
कुल देयताएँ (ख)	**1,14,011.67**	**1,62,679.85**	**87,961.27**	**1,17,970.06**	**1,23,978.98**	**995.10**	**6,07,596.93**

(₹ करोड़ में)

अधिगहीत आस्तियां	पूर्ववर्ती एसबीबीजे	पूर्ववर्ती एसबीएच	पूर्ववर्ती एसबीएम	पूर्ववर्ती एसबीपी	पूर्ववर्ती एसबीटी	पूर्ववर्ती बीएमबी	उप-योग
अधिग्रहीत निवल आस्तियाँ (क-ख)	**2,252.25**	**367.55**	**1,005.85**	**4,859.10**	**1,794.62**	**1,035.38**	**11,314.75**
पूर्ववर्ती डीबीएस और बीएमबीएल की शेयर पूंजी और एसबीआई के तदनुरुपी निवेशों के बीच निवल अंतर	17.44	-	4.79	-	14.88	1,000.01	1,037.12
घटाएं:							
(क) प्रतिफल के रूप में एसबीआई द्वारा जारी ₹ 1/- अंकित मूल्य के 13,63,52,740 शेयर	4.88	-	1.05	-	3.28	4.43	13.64
(ख) शेयरों की आंशिक पात्रता के बदले में नकदी	0.12	-	0.09	-	0.04	-	0.25
पूंजी आरक्षित राशियों को अंतरित	12.44	-	3.65	-	11.56	995.58	1,023.23

9. अप्रैल 18, 2017 को, आरबीआई ने अपने परिपत्र के माध्यम से सूचित किया है कि परिपत्रीय विवेकीय मानदंडों के अनुसार यथा निर्धारित प्रावधान दरें विनियामक न्यूनतम अपेक्षाएं हैं और बैंक अर्थव्यवस्था के दवाबवाले क्षेत्रों को दिए गए अग्रिमों के संबंध में उच्च दर से प्रावधान कर सकते हैं। तदनुसार, बैंक ने अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार ऋणियों के मानक ऋणों पर ₹ 74.66 करोड़ की राशि का अतिरिक्त सामान्य प्रावधान किया है।

10. आरबीआई ने पत्र आरबीआई 2017-18/131/डीबीआर.सं.बीपी. बीसी. 101/21.04.048/2017-18 दिनांक 12 फरवरी, 2018 के अनुसार, दवाबग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु एक संशोधित रूपरेखा जारी की है, जो सीडीआर,एसडीआर, बाहरी एसडीआर स्वामित्व में परिवर्तन, वर्तमान दीर्घकालीन परियोजना ऋण (5/25 योजना) और एस4ए संबंधी विद्यमान दिशानिर्देशों का तुरंत स्थान ले लेगी। इस संशोधित रूपरेखा के तहत, उन खातों के स्टैंड स्टील लाभों को प्रदान नहीं किया जाएगा, जहां इनमें से कोई भी योजना लागू की गई थी परंतु अभी कार्यान्वित नहीं हुई है और तदनुसार इन खातों का आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण संबंधी आरबीआई के वर्तमान विवेकीय मानदंडों के अनुसार एसबीआई द्वारा वर्गीकरण किया गया है।

11. बैंक ने दिनांक 1 नवंबर, 2017 से देय वेतन संशोधन की बकायाराशि के लिए ₹ 1,659.41 करोड़ का तदर्थ प्रावधान किया है।

12. अनुसूची 14 "अन्य आय" के तहत निवेशों की बिक्री पर लाभ / (हानि) (निवल) में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के आंशिक निवेश की बिक्री पर प्राप्त ₹ 5,036.21 करोड़ शामिल है।

13. प्रतिचक्रीय बफर प्रावधान (सीसीपीबी)

अस्थायी प्रावधानों/प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र क्रमांक डीबीआर. सं.बीबी.बीसी.79/21.04.048/2014-15 दिनांक 30 मार्च, 2015 के माध्यम से अनर्जक आस्तियों के लिए विशेष प्रावधान कर उपयोग में लाने हेतु बैंकों को 31 दिसंबर, 2014 को उनके द्वारा सीसीपीबी में धारित 50% तक अनुमति दी है, जो कि बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमोदित नीति के तहत हैं।

वर्ष के दौरान, एसबीआई ने अनर्जक आस्तियों के लिए विशेष प्रावधान करने में सीसीपीबी का उपयोग नहीं किया है।

14. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के संबंध में, आईआरडीएआई ने बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 34(1) के तहत आदेश सं. आईआरडीए/लाइफ/ओआरडी/विविध/228/10/2012 दिनांक 5 अक्तूबर, 2012 के अनुसार मास्टर पॉलिसीधारकों को प्रदत्त प्रशासनिक प्रभार की ₹ 84.32 करोड़ राशि (पिछले वर्ष ₹ 84.32 करोड़) संवितरित करने और आदेश सं. आईआरडीए/लाइफ/ओआरडी/विविध/083/03/2014 दिनांक 11 मार्च, 2014 के अनुसार कॉरपोरेट एजेंट को प्रदत्त आधिक्त कमीशन की ₹ 275.29 करोड़ की राशि (पिछले वर्ष ₹ 275.29 करोड़) क्रमशः सदस्यों या लाभार्थियों को वापस करने के निदेश जारी किए हैं। आगे आईआरडीए ने दिनांक 5 अक्तूबर, 2012 को जारी निदेशों को दोहराते हुए दिनांक 11 जनवरी, 2017 को फिर से निदेश जारी किए हैं। इस कंपनी ने उक्त निदेश/आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकारी (अर्थात वित्त मंत्रालय, भारत सरकार) और प्रतिभूति अपील अधिकरण (एसएटी) के पास अपील दायर की है। चूंकि अंतिम आदेश अभी प्राप्त होने बाकी है, इसलिए उक्त राशियों को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है।

15. एसबीआई द्वारा अनुपालन की गई लेखा नीति के अनुसार लाइफ और जनरल इंश्योरेंस अनुषंगियों में किए गए निवेशों का फिर से उल्लेख करने के बजाय इन्हें आईआरडीए (निवेश) विनियमन, 2016 के अनुसार लेखे में लिया गया है। 31 मार्च, 2018 को बीमा अनुषंगियों के निवेश कुल निवेशों का लगभग 9.87% (पिछले वर्ष 9.35%) भाग है।

16. आरबीआई परिपत्र डीबीओडी सं.बीपी.बीसी.42/21.01.02/2007-08 के अनुसार, मोचनीय अधिमानी शेयरों को देयताओं और उन पर देय कूपन को ब्याज के रूप में समझा गया है।

17. वर्तमान आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार, समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य वर्गीकरण पर विचार किया गया है। तदनुसार, मूल कंपनी और इसकी अनुषंगियों के अगल-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई अतिरिक्त सांविधिक सूचना जो समेकित वित्तीय विवरणों की दृष्टि से सही एवं उचित नहीं है और इसी प्रकार ऐसी मदों से संबंधित सूचना जो महत्वपूर्ण नहीं है, आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक परिभाषा की दृष्टि से समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकट नहीं की गई है।

18. क. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के परिणामों में पूर्ववर्ती देशीय बैंकिंग अनुषंगियों (डीबीएस) और भारतीय महिला बैंक लि. (बीएमबीएल) के 1 अप्रैल, 2017 से इस वर्ष की समाप्ति तक के परिचालनों के परिणाम शामिल हैं। इसलिए, एसबीआई समूह के परिणाम पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि से तुलना योग्य नहीं है।

ख) पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के साथ वर्गीकरण के लिए जहां आवश्यक हुआ है, पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है। आरबीआई के दिशानिर्देशों/लेखा मानकों के अनुरूप जहां पहली बार प्रकटन किए गए हैं, वहां पिछले वर्ष के आंकड़ों का उल्लेख नहीं किया गया है।

श्री दिनेश कुमार खारा
प्रबंध निदेशक
(जोखिम, आईटी एवं अनुषंगियां)

श्री पी. के. गुप्ता
प्रबंध निदेशक
(रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग)

बी. श्रीराम
प्रबंध निदेशक
(कॉरपोरेट एवं ग्लोबल बैंकिंग)

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते **वर्मा एण्ड वर्मा**
सनदी लेखाकार

रजनीश कुमार
अध्यक्ष

पी. आर. प्रसन्ना वर्मा
भागीदार
सं. सं. 025854
(फर्म पंजी. सं. 004532 S)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 22 मई, 2018

भारतीय स्टेट बैंक

समेकित नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

(000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण		31.03.2018 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
परिचालन कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
कर-पूर्व निवल लाभ (सहयोगियों के लाभ का हिस्सा सहित परंतु अल्पांश हित को घटाकर)		(12613,79,21)	1576,73,82
समायोजन:			
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास		3105,07,10	2914,68,43
अचल आस्तियों के विक्रय पर (लाभ)/हानि (निवल)		30,73,27	43,81,46
विनिधानों के विक्रय पर (लाभ)/हानि (निवल)		1120,61,02	-
विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ)/हानि (निवल)		(5134,30,14)	(1587,01,92)
अलाभकारी आस्तियों के लिए प्रावधान		71525,98,80	55916,75,12
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान		(3584,56,16)	2191,62,66
निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		8177,30,33	1721,95,84
अन्य प्रावधान (आकस्मिकताओं के प्रावधान सहित)		(103,64,78)	1460,54,04
सहयोगियों के लाभ में हिस्सा		(438,15,98)	(293,28,42)
सहयोगियों के लाभांश		(15,45,97)	(3,85,50)
पूंजी लिखतों पर संदत्त ब्याज		4554,43,06	5296,02,56
उप योग		**66624,21,34**	**69237,98,09**
समायोजन:			
जमाराशियों में वृद्धि/(कमी)		121391,84,57	345953,09,75
पूंजीगत लिखतों को छोड़कर उधार राशियों में वृद्धि/(कमी)		44832,14,90	(22743,77,32)
अनुषंगी एवं सहयोगियों में निवेश को छोड़कर विनिधानों में (वृद्धि)/कमी		(164770,34,41)	(221333,86,62)
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी		(134190,21,63)	(82542,67,86)
अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)		(111,91,71)	10789,34,61
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी		(22273,22,00)	(20576,17,56)
उप योग		**(88497,48,94)**	**78783,93,09**
कर-वापसी (प्रदत्त कर)		(8010,41,70)	(1377,93,39)
परिचालन कार्यकलाप द्वारा उपलब्ध निवल नकदी (प्रवाह)	**(क)**	**(96507,90,64)**	**77405,99,70**
विनिधान कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
सहयोगियों के विनिधानों में (वृद्धि)/कमी		5239,13,69	1585,92,52
सहयोगियों से प्राप्त लाभांश		15,45,97	3,85,50
अचल आस्तियों में (वृद्धि)/कमी		6601,82,54	(4423,70,61)
समेकन पर साख में (वृद्धि)/कमी		(790,65,51)	1,80,36
विनिधान कार्यकलाप द्वारा उपलब्ध कराई गई निवल नकदी	**(ख)**	**11065,76,69**	**(2832,12,23)**
वित्तपोषण कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
ईक्विटी शेयर पूंजी निर्गम से प्राप्त राशि शेयर प्रीमियम सहित		23782,45,47	5674,82,91
पूंजीगत लिखतों में (वृद्धि)/कमी		(12118,47,50)	(2289,95,25)
पूंजी लिखतों पर ब्याज		(4554,43,06)	(5296,02,56)

(000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण		31.03.2018 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
संदत्त लाभांश उस पर कर सहित		(2416,26,71)	(2337,46,38)
अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों द्वारा संदत्त लाभांश कर		(143,58,57)	(161,10,37)
अल्पांश हित में (वृद्धि)/कमी		997,46,74	213,24,14
वित्तीय कार्यकलाप से/(में प्रयुक्त) सृजित निवल नकदी	**(ग)**	**5547,16,37**	**(4196,47,51)**
रूपांतरण आरक्षित पर विनिमय उतार-चढ़ाव का प्रभाव	**(घ)**	**1305,17,53**	**(1739,70,98)**
भारतीय महिला बैंक के विलय होने के कारण प्राप्त नकदी एवं नकदी समतुल्य	**(ङ)**	**681,75,35**	**-**
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि / (कमी) (क)+(ख)+(ग)+(घ)+(ङ)		**(77908,04,70)**	**68637,68,98**
वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		**273197,15,53**	**204559,46,55**
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		**195289,10,83**	**273197,15,53**

नकदी और नकदी समतुल्य	**31.03.2018**	**31.03.2017**
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियां	150769,45,69	161018,61,07
बैंकों में जमाराशियां और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन राशि)	44519,65,14	112178,54,46
योग	**195289,10,83**	**273197,15,53**

श्री दिनेश कुमार खारा
प्रबंध निदेशक
(जोखिम, आईटी एवं अनुषंगियां)

श्री पी. के. गुप्ता
प्रबंध निदेशक
(रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग)

बी. श्रीराम
प्रबंध निदेशक
(कॉरपोरेट एवं ग्लोबल बैंकिंग)

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते **वर्मा एण्ड वर्मा**
सनदी लेखाकार

रजनीश कुमार
अध्यक्ष

पी. आर. प्रसन्ना वर्मा
भागीदार
सं. सं. 025854
(फर्म पंजी. सं. 004532 S)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 22 मई, 2018

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

प्रति
निदेशक बोर्ड
भारतीय स्टेट बैंक
कॉरपोरेट केन्द्र
स्टेट बैंक भवन, मुंबई

समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमने भारतीय स्टेट बैंक (इस बैंक), इसकी अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों (इस समूह) की 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार संलग्न समेकित तुलन-पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ एवं हानि खाता तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश और इन समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित अन्य विवरणात्मक सूचना की लेखा-परीक्षा की है।

वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन वर्ग की जिम्मेदारी

2. इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंधन जिम्मेदारी है जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा मानक-21 -''समेकित वित्तीय विवरणटट, लेखा मानक-23 - ''समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगियों में निवेश का लेखाटट और लेखा-मानक-27 - ''संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टटट और भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 और भारत में स्वीकार्य सामान्यतः अन्य लेखा सिद्धांतों की अपेक्षाओं के अनुसार हैं और भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधन की इस जिम्मेदारियों में एसबीआई समूह के समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण एवं जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की रूपरेखा, कार्यान्वयन और रख-रखाव शामिल हैं जो सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं और विषय-वस्तु संबंधी गलत विवरणों से मुक्त हैं जो चाहे धोखाधड़ी या गलती के कारण आ गए हों। हमें सूचित किया गया है कि इन जोखिमों का निर्धारण करने के लिए, समूह की अलग-अलग इकाइयों ने ऐसे आंतरिक नियंत्रण कार्यान्वित किए हैं जो ऐसी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हैं जिससे कि समूह की सभी गतिविधियों के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रभावी हो। ये विवरण अलग-अलग वित्तीय विवरणों और घटकों से संबंधित अन्य वित्तीय सूचना के आधार पर तैयार किए गए हैं।

लेखा-परीक्षकों की जिम्मेदारी

3. हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणियों पर अपनी लेखा-परीक्षा पर आधारित अभिमत देने की है. हमने अपनी लेखा-परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार पूरी की है. इन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का पालन करें एवं अपनी लेखा-परीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएं और निष्पादित करें, ताकि हम समुचित रूप से इस बारे में आश्वस्त हो जाएं कि वित्तीय विवरणों में कोई वस्तुगत गलत विवरण नहीं दिए गए हैं।

4. लेखा-परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत राशियों और प्रकटीकरणों के संबंध में लेखांकन साक्ष्य प्राप्त करने के लिए की जाने वाली निष्पादन प्रक्रियाएँ शामिल है। जाँच के लिए चुनी गई पद्धतियाँ लेखा-परीक्षक के विवेक, वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी भी वस्तुगत गलत बयानी के जोखिम के मूल्यांकन पर आधारित होती है. इन जोखिम मूल्यांकनों का निर्धारण करते समय लेखा-परीक्षक बैंक के वित्तीय विवरणियों को तैयार करने से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों को संज्ञान में लेते हैं ताकि इन परिस्थितियों के लिए समुचित लेखा पद्धति की उचित प्रस्तुति की जा सके, लेकिन इसका उद्देश्य संस्था के आंतरिक नियंत्रणों के प्रभावशीलता के बारे में किसी भी प्रकार का अभिमत देना नहीं है। लेखा-परीक्षा के अंतर्गत प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा-सिद्धांतों तथा प्रमुख आकलनों का निर्धारण तथा समग्र वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी किया जाता है।

5. हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखासाक्ष्य हमारे लेखा अभिमत को आधार प्रदान करने लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

अभिमत

6. हमारे अभिमत में और हमारी श्रेष्ठ जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, और अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टों, प्रबंधन द्वारा यथा प्रस्तुत एक अनुषंगी और कतिपय सहयोगियों के अलेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय सूचना पर हमारे द्वारा विचार किए जाने पर, संलग्न समेकित वित्तीय विवरण सही एवं उचित हैं और भारत में स्वीकार्य सामान्यतः लेखा सिद्धांतों के अनुरूप हैं;

   (क) 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार समूह की स्थिति के संबंध में समेकित तुलन-पत्र,
   (ख) इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समूह के समेकित लाभ एवं हानि खाते में समेकित लाभ के संबंध में; और
   (ग) इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समूह के नकदी प्रवाह के समेकित नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में।

अन्य मामले

7. इन समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल हैं :

   (क) हमारे सहित 14 (चौदह) संयुक्त लेखा-परीक्षकों ने बैंक के लेखा-परीक्षिततत खातों की लेखा-परीक्षा की है, जो 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार ₹34,54,752 करोड़ की कुल आस्तियां, इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए ₹2,65,100 करोड़ का कुल राजस्व, और ₹19,927 करोड़ का निवल नकदी प्रवाह प्रकट करते हैं;

(ख) अन्य लेखा-परीक्षकों ने 26 (छब्बीस) अनुषंगियों, 8 (आठ) संयुक्त उद्यमों और 19 (उन्नीस) सहयोगियों के लेखा-परीक्षित खातों की लेखा-परीक्षा की है, जो 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार ₹1,76,687 करोड़ की कुल आस्तियों में समूह का अंश, इसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए ₹44,143 करोड़ के कुल राजस्व में समूह का अंश, ₹2,774 करोड़ के निवल नकदी प्रवाह में समूह का अंश, और सहयोगियों से ₹435 करोड़ के लाभ में समूह का अंश प्रकट करते हैं;

(ग) 1 (एक) अनुषंगी की लेखों की समीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिनके 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्त वर्ष के वित्तीय विवरणों में उसी वर्ष की स्थिति के अनुसार ₹ 312 करोड़ की कुल आस्तियां, ₹ 15 करोड़ की कुल आय, ₹ 0.32 करोड़ का निवल नकदी प्रवाह में समूह का अंश प्रकट करते हैं।

(घ) 1 (एक) अनुषंगी के अलेखापरीक्षित खाते 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार ₹ 5,308 करोड़ की कुल आस्तियां, ₹ 188 करोड़ की कुल आय, ₹ 125 करोड़ का निवल नकदी प्रवाह और ₹ 3 करोड़ के सहयोगियों से लाभ में समूह का अंश प्रकट करते हैं।

ये वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय सूचना प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई हैं। जहाँ तक इनका ऐसी अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और अनुषंगियों के कार्यों से संबंध है, उसके बारे में हमारा अभिमत पूर्ण रूप से अन्य लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट और उपर्युक्त संदर्भित अलेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है।

8. इस समूह की एक अनुषंगी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लेखा-परीक्षकों ने रिपोर्ट दी है कि; चालू जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए देयताओं के बीमांकिक मूल्यांकन की जिम्मेदारी इस कंपनी के नियुक्त बीमांकक ("नियुक्त बीमांकक") की है। चालू जीवन बीमा पॉलिसियों और ऐसी पॉलिसियों के संबंध में, जिनका प्रीमियम बंद हो गया है परंतु देयता 31 मार्च 2018 तक बनी हुई है, इनकी देयताओं का बीमांकिक मूल्यांकन नियुक्त बीमांकक द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित किया गया है और हमारा अभिमत है कि ऐसे मूल्यांकन का पूर्वानुमान प्राधिकारी की सहमति से भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ("आईआरडीएआई / "प्राधिकरण") और भारतीय बीमांकिक संस्थान द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं मानदंडों पर आधारित है। इस कंपनी के स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारा अभिमत चालू जीवन बीमा पॉलिसियों और ऐसी पॉलिसियों के संबंध में, जिनका प्रीमियम बंद हो गया है परंतु देयता बनी हुई है, देयताओं का मूल्यांकन करने के लिए नियुक्त बीमांकक द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र पर आधारित है।

ध्यान देने योग्य विषय

9. हम निम्नलिखित पर ध्यान आकर्षित करते हैं :-

क) नोट सं. 3.2.1.1, ग्रेच्युटी के लिए अतिरिक्त देयता के कारण ₹ 2,707.50 करोड़ की अपरिशोधित शेष के संबंध में; और

ख) नोट सं. 18(9)(ख), मानक आस्तियों के लिए प्रावधान पर ₹ 2,461.40 करोड़ की आस्थगित कर आस्तियों के निर्धारण के संबंध में।

उपर्युक्त उल्लिखित मामलों के संबंध में हमारे अभिमत में संशोधन नहीं किया गया है।

कृते **वर्मा एण्ड वर्मा**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 004532S

पी. आर. प्रसन्ना वर्मा
भागीदार
सं. सं. 025854

स्थान : मुंबई
दिनांक : 22 मई, 2018